



असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त सरकारी प्रतिवेदन

03 जुलाई, 2019

घोडश विधान सभा

त्रयोदश सत्र

बुधवार, तिथि 03 जुलाई, 2019 ई०

12 आषाढ़, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रश्नोत्तर काल। अल्प-सूचित प्रश्न लिये जायेंगे। अल्पसूचित प्रश्न संख्या

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, राज्य में गिरती कानून व्यवस्था पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है, इसको स्वीकृत किया जाय महोदय....

अध्यक्ष : ललित जी, आपने जो कार्य-स्थगन सूचना दी है, वह आसन के संज्ञान में है, उसका निस्तारण तो हम कार्य-स्थगन के मामले उठाने का जो समय है, उस समय करेंगे। फिलहाल आपसे यही कहेंगे कि विधि-व्यवस्था या अन्य विषय पर तो चर्चा करने के लिए यह लम्बा सत्र है, इसमें पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। गृह विभाग पर मांग भी आयेगी, इसपर तीन घंटे का डिसकशन होगा। अभी आप ही लोगों का प्रश्न है

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, प्रत्येक दिन लूट, हत्या हो रही है

अध्यक्ष : ललित जी, हम कहे न कि इन सब बातों की चर्चा करने के लिए आपके पास पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। गृह विभाग पर पूरे तीन घंटे की बहस भी होगी और इसपर विमर्श भी होगा। आपकी कार्य-स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है न, उस समय जब कार्य-स्थगन सूचना का समय होता है, उस समय इसको मेंशन कीजियेगा।

श्री महबूब आलम : महोदय, महोदय

अध्यक्ष : अब आपको क्या हो गया, फिर आप वह लेकर आ गये, लिखने वाला आपको कहाँ मिल जाता है, आपको यह कहाँ मिलता है लिखने वाला, उस बेचारे को भी आप परेशान करते हैं।

श्री महबूब आलम : महोदय, महोदय

श्री रत्नेश सादा : महोदय, महोदय, व्यवस्था है

अध्यक्ष : महोदय, क्या है आपका, अभी प्रश्न काल है तो इसमें क्या व्यवस्था है ?

श्री रत्नेश सादा : महोदय, व्यवस्था है कि नेता, प्रतिपक्ष आज तीन दिन से सत्र में अनुपस्थित हैं ...

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न सं0-2, माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत। लघु जल संसाधन विभाग।

(व्यवधान)

अब प्रश्नकाल चलने दीजिए । अब उसको आप मोड़कर रख लीजिए महबूब जी । आपको तो बराबर कहते हैं कि अपने नाम का, आपके वालिदेन ने जो आपका नाम रखा है महबूब, कम से कम इसका अर्थ समझिए और सदन की कार्यवाही चलने दीजिए ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-2(श्री कुमार सर्वजीत)

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड-1 आपदा प्रबंधन विभाग से पत्रांक-3759 दिनांक 18.10.2016 द्वारा सुखाड़ घोषित करने का मानक निर्धारित किया गया है । यह लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित मामला नहीं है ।
खंड-2 आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

खंड-3 लघु जल संसाधन विभाग द्वारा आहर, पईन तथा सिंचाई पोखर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है । निधि उपलब्धता के आधार पर सभी आहर, पईन, पोखर का जीर्णोद्धार कराने का सरकार का प्रस्ताव है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, हमने प्रश्न इसलिए रखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में हाथ जोड़कर के लोगों से अपील किया कि जो हालात उत्पन्न हो रही है जल संकट को लेकर के, इसमें सबका सहयोग चाहिए और आहर, पोखर के बड़े पैमाने पर सफाई होनी चाहिए । माननीय मंत्री जी ने कहा कि आहर, पोखर की पैसे की उपलब्धता पर सफाई हो रही है । महोदय, 24.09.2018 को हमने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके और हमने कहा था कि सम्पूर्ण मगध प्रमंडल में पूरे बिहार में जल संकट उत्पन्न हो रही है, इसलिए बड़े पैमाने पर नहर, पोखर, पईन की सफाई होनी चाहिए । यह पत्र हमारा है, यह पत्र जब मुख्यमंत्री सचिवालय से गया और जब प्रधान सचिव से मुलाकात करके उनको अवगत कराया कि पूरे मगध प्रमंडल में चाहे वह सासाराम हो, गया हो, नवादा हो, जहानाबाद हो, अरवल हो, यह सभी जगह विगत 30 से 40 वर्षों से नहर, आहर, पोखर की खुदाई नहीं हो रही है । खुदाई किसकी हो रही है, जो संवेदक माननीय मंत्री के ऑफिस में जाते हैं और वे च्वाईस करते हैं कि इसी नहर, आहर की टेंडर निकाली जाय

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए न ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, प्रश्न हमारा यही है कि जब जल संचय संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है तो माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहिए कि जल संकट जो उत्पन्न हो रही है,

हम उसका निवारण कैसे करेंगे ? बालू की भी वही स्थिति है महोदय । अब ये कहेंगे कि हमारा विभाग यह नहीं है । जिस तरह से नदियों से बालू का उठाव हो रहा है, लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है । इंसान को पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है ..

अध्यक्ष : अब आप पूरक पूछिए न, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे ।

श्री कुमार सर्वजीत : हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से जब मगध प्रमंडल में गया जिला को पत्र मिला कि आहर की सफाई अविलंब हो जानी चाहिए । प्रधान सचिव का पत्र प्राप्त हुआ कि पैसा की उपलब्धता नहीं है । बिहार सरकार, भारत सरकार पैसा का मामला यह कहां आता है । यह पैसा का मामला है और इन्होंने कहा कि पैसा की उपलब्धता पर हम करेंगे

अध्यक्ष : आपका क्या पूरक है ?

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, नहर, आहर और पईन के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, क्या इसका अविलम्ब निवारण करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यह हम इनसे जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी, एक मिनट । माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत जी का प्रश्न काफी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण भी है । इसी क्रम में हम एक सूचना भी देना चाहते हैं सदन को और आप सभी माननीय सदस्यों को कि आप सब भी काफी लोग, जो सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम हुआ था, उसमें उपस्थित थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी घोषणा की है कि सरकार इस संबंध में जो आसन्न सूखे की स्थिति है या संभावित है या जो कम वर्षा हो रही है या जो जल ग्रहण का क्षेत्र है, उसमें लगातार कमी होती जा रही है, इसके मद्देनजर जो आपके अनुभव हैं या सरकार की अभी तक की जो नीति या कार्यक्रम हैं, उसपर आपके जो सुझाव हैं, इसके संबंध में एक व्यापक चर्चा करने का प्रस्ताव सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आया था । आपलोगों को सदन में भी बोले थे, इस संबंध में हमने विभिन्न दलों के नेताओं से भी परामर्श किया है और फिर सरकार से परामर्श करके अगला 13 जुलाई जो शनिवार का दिन है, उस दिन सेंट्रल हॉल जो विधान सभा का है, उसमें 10 बजे दिन से लगातार पूरे दिन का कार्यक्रम है । सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितने सदस्य अपने क्षेत्र की बात या कोई नीतिगत स्तर की बात जो सुझाव देना चाहते हैं, जो अपना परामर्श देना चाहते हैं, उसपर खुलकर चर्चा होगी और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम सभी माननीय सदस्यों से परामर्श करके इस स्थिति से निपटने के लिए या लगातार कम बारिश के कारण जो भूगर्भ जलस्तर घटता जा रहा है, अगर उसके पहले कोई आदमी लिखकर देना चाहते हैं, अगर पहले लिखकर दे दीजियेगा तो विभिन्न विभाग के लोग उस दिन उसपर अपना रिसपैस भी दे देंगे । पूरे दिन की चर्चा है, इसलिए तमाम माननीय सदस्यों से मेरा भी आसन की तरफ से अनुरोध है क्योंकि इस गंभीर विषय पर गंभीर पहल

सरकार ने की है और उसमें हम सबों को मिलकर चूँकि यह प्राकृतिक चीज है और हमलोग इससे कैसे निपटें, इसके उपाय हमलोग बैठकर के इसके बारे में विमर्श करेंगे, उसका निदान निकालेंगे । इसलिए अब माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए पूरक का ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उसपर सरकार सजग है और तत्पर है । महोदय, जो हमारा बजट है, उसके तहत महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष जो 2019-20 चल रहा है, उसमें पटना जिला में 17, जहानाबाद में 13, अखल में 8, गया में 26, नवादा जिला में 18, नालन्दा में 8, भोजपुर में 8, बक्सर में 4, रोहतास में 10, कैमूर में 16, औरंगाबाद में 8, जमुई में 21, शेखपुरा में 17, लखीसराय में 8, भागलपुर में 3, बांका में 22, सहरसा में 2, मधुबनी में 1, बेतिया में 1, मोतिहारी में 1 यानी कुल 202 योजना पर महोदय काम चल रहा है ।

..... क्रमशः

टर्न-2/शंभु/03.7.19

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : क्रमशः..महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूँ कि 2010-12 वित्तीय वर्ष में आहर पईन 60 का जीर्णोद्धार किया गया जिसमें 22095 हे0 में सिंचाई क्षमता की वृद्धि की गयी । ये योजना पूर्ण है । 2012-17 जो द्वितीय कृषि रोड मैप था उसमें 406 योजनाएं ली गयी जिसमें 1 लाख 87 हजार 700 हे0 जमीन में पानी की उपलब्धता करायी है और ये योजनाएं पूर्ण हो गयी । फिर 2017-18 में 88 योजना ली गयी है और 21330 हे0 में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया गया है और योजनाएं पूर्ण हो गयी है । 116 करोड़ की राशि खर्च हुई है । महोदय, वर्ष 2018-19 में 100 योजनाएं ली गयी थी जिसमें 29876 हे0 में सिंचाई क्षमता बढ़ायी गयी और 155 करोड़ रु0 उसपर खर्च हुए, योजना पूर्ण हो गयी । वर्ष 2019-20 में जो माननीय सदस्य ने चर्चा की है इसमें 202 योजनाएं ली गयी हैं जिसमें 90 प्रतिशत पर काम पूर्ण हो गया है । महोदय, मार्च के बाद आचार संहिता लग गया, दो महीने चुनाव में लग गये । विभाग और हमलोग लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है कि जितना जल्द हो सके इसको पूरा कर लें । 59836 एकड़ में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है और उसपर 222 करोड़ रु0 अभी तक खर्च हुए हैं, 90 प्रतिशत योजना पूरी हो गयी है । महोदय, सरकार यह चाह रही है कि जितना जल्द हो सके हम आहर, पईन की उड़ाही कर लें ताकि सिंचाई की भी व्यवस्था हो और जो जल संचय के बारे में सभी की चिंता है उससे उसको बचाया जा सके । सरकार संवेदनशील है, सरकार तत्पर है और माननीय सदस्य के संज्ञान में अगर कोई योजनाएं नहीं ली जा सकी हैं तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वे उन योजनाओं को दे देंगे हम तत्परता से उसपर कार्रवाई करेंगे ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, ये जल संकट की चिंता हमने 27.07.16 को सरकार को अवगत कराया, हमने महोदय, 01.08.16 को अवगत कराया, 11.12.15 को अवगत कराया ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : जो मंत्री जी ने कहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ 19.05.19 को प्रधान सचिव को हमने पत्र लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जल संकट जो उत्पन्न हुआ है उसपर आप अविलंब कार्रवाई करा दीजिए । जल संचय नहीं होने के कारण जमीन के अंदर पानी नहीं जा पा रहा है । उसके बावजूद भी पूरे पत्राचार का एक जवाब नहीं मिला, हमारे क्षेत्र में पूरे गया जिला में- जब मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना हो रही है तो हम बाकी इस विभाग से क्या आशा रख सकते हैं ? हम यही जानना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया क्या माननीय मंत्री महोदय मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन कराना चाहते हैं कि नहीं ?

(व्यवधान)

श्री शक्ति सिंह यादव : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 25 जिलों में जो सुखाड़ की स्थिति है उसमें हमारे विभाग से कोई मतलब नहीं है मतलब इसलिए है कि हर जिले में जो ट्यूब-वेल की स्थिति है और खराब पड़ा है । इसलिए कन्सर्न है, आपने उत्तर में कहा कि कन्सर्न नहीं है, हमारे विभाग का मामला नहीं है । यह आपके विभाग का मामला बनता है इसलिए कि जो किसान सरकारी ट्यूबेल से सिंचाई करते हैं उस सन्दर्भ में जो बंद पड़े नलकूप हैं उसपर सरकार क्या आगे कार्रवाई कर रही है ?

अध्यक्ष : सिद्धकी साहब । अरे बैठिए न, आपके लीडर बोल रहे हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश बाबू बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं और बैठे-बैठे कह रहे हैं खड़ा होकर न उनको आसन से मुखियातिब होना चाहिए ।

अध्यक्ष : वे ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्धकी : महोदय, जो प्रश्न का विषय है ।

अध्यक्ष : अब भाई वीरेन्द्र जी को लग गया श्रवण बाबू कि बैठे-बैठे बोलने की विशेषज्ञता इनकी है तो आप अवधेश बाबू का नाम कहां से डाल रहे हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्धकी : महोदय, प्रश्न का जो विषय है उससे आप आसन भी चिंतित हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं और आपने बताया भी कि सभी माननीय विधायकों से परामर्श लेने के लिए उन्होंने 13 तारीख को बैठक रखा है । उसी के सन्दर्भ में जो अल्पसूचित प्रश्न आया है और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है तो इसी आलोक में जब 13 तारीख को बैठक होगी तो सूचना पहले माननीय सदस्यों को भी चाहिए । उसी आलोक में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या विभाग के पास यह सूचना है कि बिहार में कुल कितने आहर, नाला, पोखर, डबरा, जलाशय हैं, कुल कितने हैं और उसमें से कुल कितने अतिक्रमित किये गये हैं माफिया के द्वारा और माफिया ने

अतिक्रमित करके उसपर निर्माण कार्य भी कराया है और उसे बेचा भी है । क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुल कितना है ? आहर, नाला, पोखर, डबरा, जलाशय और उसकी अद्यतन स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष : चलिए अवधेश जी, अब आप भी अपना पूछ लीजिए । अरे आपको दे रहे हैं न भाई, सबका एक ही बार दे देंगे ? दे देंगे न । आपके पास है संख्या ?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिहार के आहर, पैन की चर्चा की । मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को कि 4055 आहर, पैन हैं अपने बिहार में जिसमें अरबल में 18, औरंगाबाद में 73, बांका में 80, भागलपुर में 70....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ये सारी सूचना आप सदन पटल पर रख दीजिए सभी माननीय सदस्यों को सरकुलेट हो जायेगा । वे जिलावाइज संख्या पढ़ेंगे तो 20 मिनट समय हो गया इस प्रश्न का । आप इसको बंटवा दीजिए ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : जी बंटवा देते हैं ।

अध्यक्ष : चलिए अवधेश जी, अपना पूरक पूछिए ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं और आपने जो अपना एक माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है और उस सोच में यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आता है । माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है या विभाग ने इनको दिया है कि गया जिला में मगध प्रमंडल में अन्य बिहार राज्य के जिलों में जो पानी का लेयर है वह कहीं-कहीं 15 से 20 फीट नीचे चला गया है । एक तरफ इससे जलवायु भी प्रभावित हो रहा है तो लघु सिंचाई विभाग- जो सिद्धिकी साहब ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है- मंत्री जी के पास जवाब नहीं है कि बिहार में खासकर के हम मगध की बात करते हैं- मगध में माननीय मंत्री जी पूरी जानकारी लें कि कितने आहर, पोखर को कब्जा किया गया जिसकी मरम्मत नहीं हो रही है, लूट लिया गया, जमीन को बेच दिया गया ? इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी के पास उपलब्ध नहीं है । अध्यक्ष जी, आपने स्वयं इस बात का अनुभव किया है और अनुभव के आधार पर इस प्रश्न को स्थगित करके 13 तारीख के बाद जो प्रश्नकाल आवे उसमें इस प्रश्न को लिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अशोक कुमार : मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर आपने स्पेशल डिबेल बुलाया है और सरकार बहुत चिंतित है इस विषय पर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा तो सदन को ये बतावें कि.... क्रमशः ...

टर्न-3/ज्योति/03-07-2019

क्रमशः:

श्री अशोक कुमार : जब यह विषय बहुत गंभीर है तो पिछले बार बजट में कितना प्रावधान इस इशु पर किया गया था ? और अगर सरकार चिन्तित है तो इस साल कितना इसमें बजट बढ़ाया है इससे पता चल जायेगा कि सरकार कितनी चिन्तित है और एक दूसरा सवाल अध्यक्ष महोदय, कि ये इतने सीरियस है कि जो नकूप विभाग जिस नलकूप विभाग से खेतों को पानी मिलता था इनसे संभल नहीं पाया और ये पंचायतों को दे दिये है औरा पूरा नलकूप बंद है मरम्मती नहीं हो रही है इसलिए कि इसकी जिम्मेवारी पंचायतों को दे दी गयी है ।

अध्यक्ष : चलिए लास्ट अब मत बढ़ाईये 13 तारीख को सब लोग अपनी बात रखेंगे ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सर्वजीत जी ने जो क्वेश्चन उठाया है तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सुखाड़ को देखते हुए जो खास कर मगध प्रमंडल और गया जिला काफी प्रभावित रहता है और हमारे जिले में खास करके सिंचाई सुविधा के नाम पर बरसाती नहरें हैं जो वर्षा पानी जब होता है तो सिंचाई होती है, ऐसी स्थिति में लघु जल संसाधन विभाग क्या जो पठारी क्षेत्रों में वर्षा के समय पानी जो बर्बाद हो जाता है वर्षा के बाद, उन स्थानों पर छोटी छोटी नदियों पर और नालों पर चेक डैम बना करके सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार सरकार रखती है ?

अध्यक्ष : ठीक है, अल्प सूचित प्रश्न समाप्त हुआ ।

तारांकित प्रश्न संख्या 119 (मो0 नवाज आलम)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, चंदवा से धरहरा तक जल संसाधन विभाग के बांध पर पथ के निर्माण का प्राक्कलन प्राप्त हुआ था । पथ निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त है । पथ निर्माण विभाग प्राक्कलन को अद्यतन दर पर संशोधित किया जा रहा है । संशोधन के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री मो0 नवाज आलम : समय सीमा कुछ निर्धारित कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : समय सीमा तो आप जितना तत्पर रहियेगा उतना जल्दी होगा ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, इसका एन.आसे.सी. हमने ले लिया जल संसाधन से उसका प्राक्कलन भी बना दिया लेकिन चूंकि 1 अप्रैल, 2019 को हमने अपने एस.ओ. आर. में परिवर्तन किया है जो शिड्युल औफ रेट है । नये रेट के हिसाब से उसका संशोधन किया जा रहा है, संशोधन करके आयेगा तो करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या -120 (श्री केदार प्रसाद गुप्ता)-अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या -121 (श्री बशिष्ठ सिंह)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिला अन्तर्गत कोचस वितरणी के कि.मी. 6.78 से खखड़ा रजवाहा निःसृत है प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रब्बी सिंचाई के पूर्व आवश्यकतानुसार सफाई करा कर नहरों के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। उक्त रजवाहा के जीर्णोद्धार कार्य का प्राक्कलन तैयार करने हेतु विभागीय पत्रांक 797 दिनांक 25-06-2019 द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन डिहरी को निदेश किया गया है जून 2020 तक योजना का कार्यान्वयन कराये जाने का लक्ष्य है।

श्री बशिष्ठ सिंह : मंत्री महोदय, को धन्यवाद।

अध्यक्ष: जून 2020 तक तो आपका काम हो जा रहा है।

श्री बशिष्ठ सिंह : धन्यवाद, सर।

तारांकित प्रश्न संख्या 122 (श्री राम विचार राय)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है। आवागमन चालू है।

3-वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ एवं पुल का प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत तैयार कर लिया गया है जो प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है। स्वीकृति के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

श्री राम विचार राय : समय सीमा बता दिया जाय।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : प्रशासनिक स्वीकृति दे दिए हैं जल्दी हो जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 123 (श्री शशि भूषण हजारी)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, यातायात आंशिक रूप से बंद है। हल्के वाहनों का आवागमन चालू है परन्तु पथ की स्थिति खराब होने के कारण अमराजघाट पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा 500 मीटर लंबा उच्च स्तरीय पुल निर्माण के कारण भारी वाहनों का आवागमन बंद है। उक्त वर्णित पथ रोसड़ा, मबीढ़ाला सरकिया मंगल गढ़ राजघाट सतीघाट का पथांश है किलोमीटर 22.52 राजघाट से 30.92, सतीघाट - कुल लम्बाई 8.40 किमी0 पथ को पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 8903, पटना दिनांक 24-12-18 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग से अधिग्रहण किया गया है। तदालोक में पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य का प्राक्कलन 2 उच्चस्तरीय पुल सहित तकनीकी अनुमोदन के उपरांत प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। प्रशासनिक अनुमोदन के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या 124 (श्री मनोज कुमार)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि गुरुधाम भवन को बासुदेवपुर मार्ग रोड नं0 1 जो राज्य योजना अन्तर्गत निर्मित है से सम्पर्कता प्रदत है । इस आरेखन में शाहपुर गांव कनौजी टोला है जिससे राज्य योजना अन्तर्गत निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है। प्रश्नाधीन पथ के आरेखन में शाहपुर गांव कनौजीटोला से गुरुधाम भवन तक कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया हे । इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री मनोज कुमार : महोदय, चूँकि एकल सम्पर्कता के नाम पर कई ऐसे टोलों को हम सम्पर्क नहीं दे पाते हैं जो मुख्य पथ होता है ग्रामीणों का तो मेरा मंत्री जी से एक प्रश्न है कि क्या इसे नाबाड़ के माध्यम से या फिर किसी अन्य योजना के माध्यम से केन्द्रीय विशेष अनुदान के माध्यम से इसका निर्माण कराया जा सकता है अगर कोर नेटवर्क में संभव नहीं है तो ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, हमने बताया कि माननीय सदस्य गुरुधाम भवन होते हुए मुख्य पथ पर आने के लिए जो चर्चा किए कनौजी टोला में आने के लिए.

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो योजना है उसमें संभव नहीं है तो किसी दूसरी योजना से भी सही आप इसको करवा दीजिये ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, हमने बताया गुरुधाम भवन को बासुदेव पुर मार्ग रोड नं01 से राज्य योजना अन्तर्गत निर्मित से सम्पर्कता प्राप्त है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : इस आरेखन में शाहपुर गांव कनौजी टोला है जिससे राज्य योजना अन्तर्गत निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है जिसकी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं दोनों को सम्पर्कता प्राप्त हो बीच से एक रोड की चर्चा कर रहे हैं ।

श्री मनोज कुमार : जी, जी, मैं उसी रोड की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही उपयोगी सड़क है ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : उसमें कोई भी योग्य बसावट नहीं है ।

श्री मनोज कुमार : मैं मुख्य रास्ते तक पहुंचने की बात कर रहा हूँ । मैं उस बसावट तक पहुंचने की बात नहीं कर रहा हूँ । मैं उस मुख्य रास्ते तक पहुंचने की बात कर रहा हूँ किन्हीं दूसरे योजना मद में ले सकते हैं कि नहीं मेरा सवाल सिर्फ वही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सड़क प्राथमिकता पर इस आधार पर लेते हैं कि उसमें बसावट कितना है यानी कितने लोगों को सुविधा प्रदान करेगी, उसके संबंध में आप कोई निश्चित जानकारी दे दीजियेगा कि कितनी बसावट उससे लाभान्वित होगी ।

श्री रामानंद यादव : अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष : रामानंद जी, आपका कहाँ से आ गया ?

डा० रामानंद यादव : 2010 में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बसावट योजना के तहत जो सर्वे किया गया 2010 से अभीतक बहुत से ऐसा शहर में गांव, शहर के अगल बगल पंचायत में बसा है जिसका रास्ता नहीं है यह भी कनौजी टोला है करीब 150-200 घर का बसावट है जो बसता है तो विभाग ने बढ़िया से रिपोर्ट भेजा नहीं है ।

अध्यक्ष : वही कह रहे हैं मंत्री जी कि बसावट की जॉच करवा लीजिये आप ?

डा० रामानंद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह भी करवा दिया जाय कि जहाँ जहाँ बसावट नया बसे है उसका भी सर्वे करा लें कम से कम लोकल पटना जिला का ?

श्री अब्दुल गफूर : महोदय, 25 परसेंट गांव है जहाँ चारों तरफ कोई रोड नहीं है ।

अध्यक्ष : अब इसमें सहरसा जिला को कहाँ घुसा रहे हैं ? आप इसको मंत्री जी बसावट के बारे में देखवा लीजियेगा ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, जिस सड़क की चर्चा आप कर रहे हैं महोदय, 2000-2005 तक में किनकी सरकार थी, 723 कि०मी० बना और जब मुख्य मंत्री जी सत्ता संभालें हमलोग 86000 कि०मी० रोड बनाए हैं । आगे जो बचा है जितने भी जो लक्ष्य है ।..

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, ये माननीय मंत्री जी अकेले में जो भेंट करता है उसी का काम करते हैं ।

अध्यक्ष : मिल लीजिये आप ।

श्री भाई वीरेन्द्र : कैसे करें हम, हमारे पास वह व्यवस्था है नहीं ।

अध्यक्ष : तब तो आपको सहज नुस्खा मालूम है ।

टर्न-4/03.7.2019/बिपिन

तारांकित प्रश्न संख्या- 125 (श्री सत्यदेव सिंह)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । पटना मुख्य नहर के 23वें कि०मी० दायां से निसृत माली रजवाहा वितरणी के किलोमीटर 37.96 पर खड़ासीन ग्राम के निकट क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण हेतु 11 लाख 35 हजार रुपए का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है । कार्यान्वयन हेतु आवंटन निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री सत्यदेव सिंह : धन्यवाद मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 126 (श्रीमती गुलजार देवी)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित ग्राम द्वालख में जानकी नगर मुशहरी एवं डारह पंचायत के लाहबन गाँव में तिलयुगा नदी से वर्तमान में कोई कटाव नहीं हो रहा है । स्थल निरीक्षण से पता चला है कि नदी तट के टनेडस का आंशिक क्षरण हुआ है । विभागीय पत्रांक 2172 दिनांक 29.6.2019 द्वारा

मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को बाढ़ अवधि 2019 में उक्त स्थल पर सतत निगरानी एवं चौकसी बरतने तथा आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखने हेतु निदेशित किया गया है। बाढ़ अवधि के पश्चात निरीक्षणोपरांत आवश्यकतानुसार बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराने का विचार रखती है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 127 (श्री संजय सरावगी)

श्री संजय सरावगी : पूछता हूँ।

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है, पूरक पूछिए। उत्तर सर्कुलेटेड है।

श्री संजय सरावगी: हम देख नहीं पाए हैं हुजूर।

अध्यक्ष : संजय जी, आप देख लीजिए उत्तर तब तक।

एक सूचना हम सभी माननीय सदस्यों को देना चाहते हैं कि आप सब को मालूम है कि हमलोगों ने जो ऑनलाइन प्रश्न देने और सरकार से जवाब ऑनलाइन लेने की प्रक्रिया शुरू की है उसके तहत उसमें अच्छी प्रगति हुई है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आप जब ऑनलाइन प्रश्न देते हैं तो बराबर ऑनलाइन उत्तर आया कि नहीं, उसको भी चेक कर लीजिए। जैसे कल ही 70 प्रश्न थे, उसमें से 46 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन आ चुके थे। इसमें सदन का समय बचेगा और आपके अधिक-से-अधिक प्रश्नों का निष्पादन हो सकेगा। जैसे यही प्रश्न है। अगर पढ़कर आएं उत्तर तो सिर्फ सप्लीमेंट्री होगा, पूरक होगा। एक-दो मिनट में प्रश्न का निस्तारण हो जाएगा, फिर हम अगले प्रश्न में आ जाएंगे।

श्री संजय सरावगी : हुजूर, मेरे ऑर्डर पेपर में ...

अध्यक्ष : मंत्री जी, पढ़ दीजिए।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, 1. उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है।

3. प्रश्नाधीन पुल का प्राक्कलन में आवश्यक सुधार हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया है जिसके आलोक में प्राक्कलन में सुधार किया जा रहा है। प्राक्कलन सुधारोपरांत प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

श्री संजय सरावगी : हुजूर, तीन साल से डी.पी.आर. का प्राक्कलन शुद्ध हो रहा है। ठीक है, माननीय मंत्री बोल रहे हैं कि अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है तो क्या कार्रवाई करेंगे अग्रेतर और कब तक करेंगे, यही बता दें।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: दो दिन के अंदर माननीय सदस्य को बैठाकर समस्या का निदान करवा देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 128 (श्री राजू तिवारी)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर, अरेराज एवं पहाड़पुर प्रखंड के अंतर्गत बरियरिया गांव चम्पारण तटबंध के 104 कि0मी0 से नवादा, पीपरा एवं मलाही गांव से होकर टोक भरवलिया चम्पारण तटबंध के 76 कि0मी0

तक तटबंध के टॉप पर ब्रीक सोलिंग किया हुआ है। नदियों पर निर्मित तटबंध के टॉप का उपयोग बाढ़ अवधि में तटबंध के निरीक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के परिवहन हेतु किया जाता है। यह आम रास्ता नहीं है। वर्तमान में सड़क के पक्कीकरण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सड़क निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग, गामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। यदि संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र की मांग की जाती है तो जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री राजू तिवारी : महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दोनों तरफ इसमें गांव की आबादी है तो हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या ये परमीशन देंगे कि दूसरे विभाग से जैसे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास से ...

अध्यक्ष : वह तो अपने मूल उत्तर में ही कह दिए कि अगर कोई दूसरा विभाग बनाता है तो हम अनापत्ति दे देंगे।

श्री राजू तिवारी : धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न संख्या- 129 (श्री सत्यदेव राम)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, 1. स्वीकारात्मक है।

2. स्वीकारात्मक है।

3. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 1.2 किमी० है जिसमें 500 मीटर ईटीकृत एवं शेष 700 मीटर कच्ची है जो निजी भूमि है जिसमें कोई बसावट नहीं है। उक्त पथ से संबंधित बसावट धर्म परसा, सफापुर, शेख परसा एवं बथुआ को पक्की सड़क से एकल संपर्कता प्राप्त है।

अतः पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, दो पंचायत के लोगों को एकल रास्ता है मुख्य मार्ग से। मंत्री जी उसको ठीक से जांच करा लेंगे तो हम समझते हैं कि दो पंचायत के लोगों को आवागमन प्राप्त होगा अन्यथा जो परेशानी है दो पंचायतों का...

अध्यक्ष : आप लिख कर दे दीजिएगा, वो जांच करा लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 130 (श्री अशोक कुमार सिंह, 203)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नौ प्रखंड सिंचाई विभाग के परिसर में बी.आर.जी.एफ. द्वारा निर्मित भवन प्रखंड संसाधन के अंदर में चलता है।

2. अस्वीकारात्मक है। सिंचाई विभाग के परिसर में ही ई-किसान भवन एवं अन्य भवन में सरकार की योजनाएं कार्यान्वित की जाती है।

3. वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिला अंतर्गत नौ प्रखंड-सह- अंचल कार्यालय-सह-आवासीय भवन निर्माण हेतु मौजा भोगनपुर थाना नं०-247 अंतर्गत 5.5 एकड़ भूमि अर्जन पुनर्वास उचित प्रतीत कर पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत विभाग द्वारा

कुल 7 करोड़ 1 लाख 28 हजार 138 रूपए की लागत व्यय पर भू-अर्जन करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भू-अर्जन की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात् कैमूर जिला के नौ प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवन के निर्माण से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

श्री अशोक कुमार सिंह, 203: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो भूमि अधिग्रहण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है वह कब दी गई और कब तक भूमि अधिग्रहण करके प्रखंड मुख्यालय सरकार बनाएगी?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्र सं0 463 भू-अर्जन दिनांक 14.01.2014 एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पत्र संख्या 581 दिनांक 29.7.2017 के आलोक में विभागीय पत्र संख्या-353962 दिनांक 13.2.2018 द्वारा कैमूर जिलान्तर्गत नौ प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय भवन के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत 7 करोड़ 01 लाख 61 हजार 138 रूपए की लागत पर भू-अर्जन करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

श्री अशोक कुमार सिंह, 203: दूसरा पूरक है अध्यक्ष महोदय कि कब तक भूमि का अधिग्रहण करके प्रखंड मुख्यालय सरकार बनाएगी? इसका जवाब माननीय मंत्री महोदय ने नहीं दिया है।

अध्यक्ष : ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 131 (श्री (मो0) आफाक आलम)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री(मो0)आफाक आलम। श्री (मो0) आफाक आलम।
अनुपस्थित।

तारांकित प्रश्न संख्या- 132 (श्री नारायण प्रसाद)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ राज्य कोर नेटवर्क के सी.एन. सी.पी.एल. के क्रमांक-32 पर सम्मिलित है जिसका प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। स्वीकृति उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

टर्न-05/कृष्ण/03.07.2019

तारांकित प्रश्न संख्या - 133 (श्रीमती भागीरथी देवी)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल ग्रामीण कार्य विभाग के स्वीकृत कोर नेटवर्क के रखांकन पर नहीं है। पुल का स्थल एक तरफ टिकूल टोला एवं दूसरी तरह गोईठही को पक्की सड़क से संपर्कता प्राप्त है। अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष जी, क्या उसकी स्वीकृति हो चुकी है ?

अध्यक्ष : क्या बोलीं ?

श्रीमती भागीरथी देवी : क्या प्रस्ताव नहीं है ? तब कैसे माना जाय ? माननीय मंत्री कह रहे हैं कि स्वीकृति हो चुकी है ।

अध्यक्ष : आप समझ लीजियेगा माननीय सदस्या से ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : जी अच्छा ।

तारांकित प्रश्न संख्या - 134 (श्री अवधेश कुमार सिंह)

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसे जल संसाधन विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, ठीक तब होता जब विषय आप के ध्यान में दिया जाता । बवरैन बांध की बात है, सिंचाई विभाग के मंत्री है, लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री बैठे हैं, यह जमींदारी बांध क्षतिग्रस्त है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय इतना आसानी से कह दिये कि ठीक है । अध्यक्ष महोदय, इस पर सज्जान लीजिये । एक तरफ जल के संरक्षण की बात कर रहे हैं,

अध्यक्ष : इस पर आप को कहना क्या है ?

श्री अवधेश कुमार सिंह : मेरा कहना है कि बवरैन जमींदारी बांध ...

अध्यक्ष : आपके हिसाब से यह बवरैन जमींदारी बांध लघु सिंचाई विभाग का है ?

श्री अवधेश कुमार सिंह : जी, यही तो हम कह रहे हैं । इसको दिखवा लीजिये । जब यह लघु सिंचाई विभाग का है तो फिर सिंचाई विभाग जवाब कैसे देगा ?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो भी जमींदारी बांध है, सरकार का निर्णय है, पहले राजस्व विभाग में था, सब को स्थानान्तरित कर दिया गया है जल संसाधन विभाग में ।

अध्यक्ष : क्या कहना है ?

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण समय भी तो है । और भी चार-पांच क्वेश्चन आ जायेंगे । जब सरकार कह रही है कि इसका जवाब जल संसाधन विभाग देगा ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बीमारी हो गयी है, इनकी बीमारी को दूर किया जाय और इन पर प्रीवीलेज लाया जाय ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य टाईम पास कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग जवाब देगा। माननीय सदस्य समय बर्बाद कर रहे हैं।

अध्यक्ष : अगले जिस दिन जल संसाधन विभाग लिस्टेड रहेगा, उस दिन यह प्रश्न आयेगा।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष : जमींदारी बांध के संबंध में माननीय मंत्री ने कहा है कि उसके संबंध में सारे प्रश्नों का जवाब जल संसाधन मंत्री देंगे तो आप क्या पूछ रहे हैं?

श्री राजेश कुमार : महोदय, चूंकि विभागीय को-ऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण कभी इस विभाग में जा रहा है तो कभी उस विभाग में जा रहा है।

अध्यक्ष : ठीक है।

ग्रामीण कार्य विभाग, 135।

तारांकित प्रश्न संख्या - 135 (श्री निरंजन राम)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर होकर आ गया है।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ रामपुर गांव है जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित कुदरा परसथुआ पथ से संपर्कता प्रदत्त है। पुल के दूसरे तरफ कुदरा स्थित है, जो एन० एच०-२ जी० टी० रोड पर अवस्थित है एवं इसे विभिन्न पथों से संपर्कता प्रदत्त है। कुदरा बाजार से रामपुर गांव के बीच कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित पुल स्थल के डाउन स्ट्रीम के 2 किलोमीटर पर पुल है, इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या - 136 (श्री चंद्रशेखर)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना फेज-2 अंतर्गत डी०पी०आर० तैयार कर अनुमोदन हेतु एस०टी०ए० को समर्पित है। एन०आर०आर०डी०ए०, नई दिल्ली से स्वीकृति मिलने के उपरांत इसका जीर्णोद्धार कराया जाना संभव हो सकेगा।

श्री चंद्रशेखर : महोदय, माननीय मंत्री जी कोई समय-सीमा बता पायेंगे?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : इसी चलते सत्र में करवा देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या - 137 (श्री विद्या सागर केशरी)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल राज्य योजनान्तर्गत निर्मित भेरीआही से एस0एस0बी0 कैम्प तक पथ के रेखांकन में किसलय नदी पर अवस्थित है और वर्तमान में यह क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये पुल के निर्माण हेतु टेक्नोफिजिलटी रिपोर्ट की मांग की गयी है। तत्पश्चात् समीक्षोपरांत अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, बोर्डर पर किसलय नदी पर यह पुल है। पिछले साल 2017 में जो बाढ़ आयी थी, अगस्त माह में, तो उससे उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, हमारे क्षेत्र में पानी का जो रफ्तार था, उसका मुख्य प्रवाह बिन्दु वहीं था जिसके चलते पुल काफी डैमेज हो गया है। महोदय, सीमावर्ती क्षेत्र है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और उस पुल से एस0एस0बी0कैम्प के सिपाहियों को आना-जाना रहता है। अगर इस पुल का जल्द से जल्द निर्माण नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि नेपाल से जो बेटी-रोटी का संबंध है, पुल के गिरने से प्रभावित हो जायेगा। इस पुल से लोगों का आना-जाना होता है। इसलीए इस पुल का निर्माण अत्यंत आवश्यक है।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष : आपका इस प्रश्न से क्या संबंध है?

श्री अमित कुमार : सीतामढ़ी के बाढ़।

अध्यक्ष : सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी के बाढ़ से इस प्रश्न का क्या मतलब है? माननीय सदस्य पुल के बारे में कह रहे हैं।

श्री अमित कुमार : हम दो साल से लगातर बोल रहे हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या - 138 (श्री अनिल सिंह)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अनुपस्थित।

तारांकित प्रश्न संख्या - 139 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। शिवहर जिला के तरियानी प्रखंड के बहराही गांव के वार्ड संख्या-7 में स्थित दो राजकीय नलकूप क्रमशः बहराही उत्तरी एवं दक्षणी अवस्थित है, जो विगत 4 वर्षों से ट्रांसफरमर एवं मोटर जल जाने के कारण बंद हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के तहत राज्य के सभी नलकूपों का संचालन एवं मरम्मति कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना है। इसके तहत उक्त दोनों नलकूपों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया है। विद्युत विभाग

द्वारा ट्रांसफरमर बदलने के पश्चात मोटर ठीक कराकर पंचायत द्वारा नलकूप चालू करा दिया जायेगा । इसके लिये कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, शिवहर को राशि उपलब्ध करा दी गयी है । ट्रांसफरमर लगाने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, शिवहर के पत्रांक 138 दिनांक 24.02.2016, पत्रांक 290 दिनांक 08.02.2019 पत्रांक 1131 दिनांक 21.06.2019 एवं पत्रांक 1150 दिनांक 24.06.2019 द्वारा विद्युत विभाग को लिखा गया है ।

महोदय, ट्रांसफरमर के लिये हमलोग प्रयासरत है कि जल्द से जल्द लग जाय और दोनों पंचायतों को 50-50 हजार रूपया हमने आर्वाणित कर दिया है । महोदय, यथाशीघ्र दोनों को चालू करा देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री अभी आप कह रहे थे कि उसमें आपने पैसा अपने कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया है मतलब राशि आप दे रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : जी ।

अध्यक्ष : और एकजेक्यूशन के संबंध में आपने जो पढ़ा, कहा उसमें सरकार की नीति के हिसाब से ग्राम पंचायत को कराना है ?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : जी ।

अध्यक्ष : तो फिर उसका नियंत्रण ?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : नियंत्रण महोदय, समय-समय पर सचिवालय स्तर पर इसकी समीक्षा होती है, कार्यपालक अभियंता यहां अद्यतन प्रतिवेदन देते हैं और नीचे में भी पंचायत से कहा गया है कि जो विभाग के कनीय अभियंता हैं, जो सहायक अभियंता हैं, उनसे मदद ले करके काम को आगे बढ़ावें और महोदय, लगातार समीक्षा हो रही है सचिवालय स्तर पर हर सप्ताह ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, समन्वय की आवश्यकता होगी तो विभाग जरूर देख ले ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : जी ।

अध्यक्ष : नहीं तो राशि आप उपलब्ध करा रहे हैं, राशि आप के कार्यपालक अभियंता के यहां जा रहा है, क्रियान्वयन की देख-रेख पंचायत को करनी है तो फिर यह सही हुआ, गलत हुआ, राशि का उपयोग हुआ, नहीं हुआ, यह समन्वय आपका विभाग पंचायत से कैसे करेगा ? उसमें स्पष्टता होनी चाहिए ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : महोदय, वह भी हम प्राप्त किये हैं। किस पंचायत को कितनी राशि दी गयी है और किस पंचायत ने ट्यूब-वेल की मरम्मत की है, इसकी भी समीक्षा सचिवालय स्तर पर हमारे प्रधान सचिव लगातार कर रहे हैं ।

टर्न-6/अंजनी/दि0 03.07.19

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रामपंचायत को दे दिया । ठीक है महोदय, ग्रामपंचायत को दे दिया गया लेकिन इसपर अगर किसी की रिसपोंसिबिलिटी फिक्सड नहीं होगी और अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसके लिए कौन जवाबदेह होगा ?

अध्यक्ष : वही न हम बताये हैं, मैंने सरकार को कहा है कि उसके प्रति सजग रहे और उसके समन्वय देखरेख, उसके सदुपयोग पर पूरा प्रभावी नियंत्रण सरकार रखे, वही तो मैंने कहा।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, बहराही गांव में किसानों के खेतों में पटवन के लिए सरकारी नलकूप पांच वर्षों से बंद है, जिसके कारण खेतों का पटवन नहीं हो रहा है । तीनों नलकूप में पानी नहीं निकलता है, जिसके कारण सैंकड़ों एकड़ जमीन पटवन के अभाव में बंजर हो गया है । किसानों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि शीघ्रताशीघ्र नलकूप चालू कराने हेतु निदेश देने की कृपा करें ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल इसकी समीक्षा की थी अपने स्तर से और कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग दोनों सम्पर्क में हैं । हम चाहते हैं कि एक सप्ताह के अन्दर उसको चालू करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारोंकित प्रश्न सं0-140(श्री राम विशुन सिंह)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड में सोन नहर से पीरो कटैया राजवाहा, बिहिया राजवाहा, सिकरिया राजवाहा एवं ज्ञानपुरा उप राजवाहा तथा पीरो प्रखंड के अंतर्गत लहठान राजवाहा तथा तार वितरणी के अंतिम छोर पर स्थित एयार ग्राम में सोन बेसीन में जल की उपलब्धता के अनुरूप कृषकों को पटवन कार्य हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है ।

वाणसागर जलाशय से बिहार राज्य को मई एवं जून माह में कुल 1,86,000 एकड़फीट तथा रिहन्द जलाशय से भी 4,68,000 एकड़फीट जलापूर्ति होनी थी, जिसके विरुद्ध वाणसागर जलाशय से दिनांक 18.06.2019 तक कुल

1,18,014 एकड़फीट एवं रिहन्द जलाशय से मात्र 47,556 एकड़फीट ही जलापूर्ति की गयी । जल की उक्त उपलब्धता के आलोक में सोन नहर प्रणाली के अंतर्गत कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी ।

वाणसागर समझौते के अनुरूप वांछित जलश्राव उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 374 दिनांक 13.06.2019 द्वारा वाणसागर जलाशय से 6,000 घनसेक जलश्राव तथा पत्रांक 363 दिनांक 01.06.2019 के द्वारा रिहन्द जलाशय से 6,000 घनसेक जलश्राव प्रतिदिन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया । पुनः इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक 376 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को स्मार दिया गया ।

वर्तमान में रिहन्द जलाशय से 5,784 एवं वाणसागर जलाशय से 5,720 घनसेक जलश्राव प्राप्त हो रहा है तथा सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज पर कुल 12,755 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है, जिससे संबंधित नहरों के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जब पानी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो किसानों से आप रेंट क्यों लेते हैं और जो प्रश्न में राजवाहा दिया गया है, उसके उपर पानी निगरानी के अभाव में बर्बाद हो रहा है । अगर पानी की समुचित व्यवस्था करके दिया जाता तो जितने राजवाहा हमने दिये हैं उसमें पानी आता । पानी आने के लिए आपका अफसर कुछ कर नहीं रहा है और दूसरी बात है कि पानी पहुंचाते नहीं हैं किसानों को और उनसे आप रेंट ले लेते हैं तो यह क्या बात हुआ हुजूर । सरकार इसका जवाब दे ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनके पास पानी उपलब्ध नहीं है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारे पास पानी की उपलब्धता नहीं है तो फिर किसानों से सिंचाई का रेंट क्यों लेते हैं ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि दो-तीन स्टेट का मामला है जैसाकि मैंने कहा, मध्यप्रदेश से बीच में पानी नहीं आया था, यहां से भी स्मार दिया गया, एडिशनल चीफ सेकेट्री डिपार्टमेंट में हैं, उन्होंने भी वहां से फौलोअप किया...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं, उसमें दो बात सरकार को ग्रहण करनी चाहिए । पहली चीज तो पानी कम मिल रहा है और जो भी पानी वाणसागर या रिहन्द से मिल रहा है, आप उसके वितरण की व्यवस्था कर रहे हैं । माननीय सदस्य का कहना है, पहली बात कि जो भी पानी आ रहा है, उसकी रास्ते में

बर्बादी हो रही है। एक तो विभाग की तरफ से उसकी सख्त निगरानी होनी चाहिए ताकि पानी की बर्बादी न हो....

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, मैं इसको देखवा लेता हूँ।

अध्यक्ष : और दूसरी बात यह जो और महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि अगर पानी किसानों को किसी खास मौसम, सीजन में सरकार नहीं दे पाती है तो उस सीजन का, पीरियड का पटवन कर नहीं लगना चाहिए।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, यह मैं देखवा लेता हूँ।

तार्गति प्रश्न सं0-141(श्री हेम नारायण साह)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिलान्तर्गत महराजगंज प्रखंड के माधोपुर ग्राम-तत्वाटोला छपरा शाखा नहर के 89.90 के निकट पूरब में अवस्थित है।

प्रश्नगत स्थल से 1.49 कि0मी0 Up stream में नहर के 85.00 पर तरवारा के पास द्विपथीय सेतु तथा 0.945 कि0मी0 Down stream में 93.00 पर एक पथीय सेतु निर्मित है। नहर के सेवापथ दायीं ओर निर्मित है, जिसका उपयोग नहर निरीक्षण के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा यातायात के रूप में किया जाता है।

प्रश्नगत स्थल पर नहर का जलश्राव 1307 घनसेक है। विभागीय मापदंड के अनुसार नहर के अंतिम छोर तक जलश्राव प्रवाहित कराने हेतु दो पुलों के बीच की दूरी प्रायः 1.50 मिल अर्थात् 2.40 कि.मी. होनी चाहिए।

उक्त मापदंड के अनुसार प्रश्नाधीन स्थल पर पुल अनुमान्य नहीं है।

श्री हेम नारायण साह : अध्यक्ष महोदय, यह जो तत्वा टोला है, उसमें 80 परसेंट महादलित के लोग रहते हैं तो महादलित के बच्चे कैसे पढ़ने-लिखने जायेंगे, जबतक उनको सुविधा नहीं होगा तो अभी जो दो-तीन किलोमीटर घूमकर बच्चे जायेंगे तो वे क्या शिक्षित बनेंगे? इसलिए आवश्यक है कि वहां पर एक पुल देना जरूरी है तो इस संबंध में मंत्री जी बतायें।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, यह मैं देखवा लेता हूँ लेकिन जो पारामीटर बना हुआ है डिपार्टमेंट का कि अगर अंतिम छोर तक सिंचाई पहुंचाना है और बीच-बीच में अगर पुल बनेगा.....

अध्यक्ष : हेम नारायण जी, एक चीज आप देखवा लीजियेगा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि जो दूसरा पुल है, नियम है कि डेढ़ किलोमीटर से कम दूरी होने पर अनुमान्यता नहीं होती है और आप कह रहे हैं दो-तीन किलोमीटर।

श्री हेम नारायण साह : महोदय, दो किलोमीटर।

अध्यक्ष : तो वह सूचना आप मंत्री जी को दीजिएगा, वे उसको देखवा लेंगे ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, अगर दो किलोमीटर से ज्यादा है तो हम कंसीडर करके इसको देख लेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : केशरी जी, आप पूर्णियां से सीवान कहां पहुंच गये ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, इसी संदर्भ की बात है.....

अध्यक्ष : इस संदर्भ में किसी भी प्रश्न का उत्तर जो पूर्णियां से रिलेटेड होगा, उसका कहां से मंत्री जी जवाब देंगे ? यह संदर्भ क्या होता है ?

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, जिस रेडियस में पुल बनाया जाता था तो अब क्या है कि नहर के आस-पास बसावटें हो गयी हैं और बसावटों के कारण लोगों को , छात्रों को बहुत दूर से आना पड़ता है, जिसके कारण दिक्कत होती है । हमारे यहां भी ए०बी०सी० नहर के पास में काफी बसावट हो गया है और बसावट के आस-पास लोगों का परिचालन काफी रहता है, जिसके चलते बीच-बीच में पुल रहना चाहिए..

अध्यक्ष : विद्या सागर जी, आप यह सूचना मंत्री जी को दे दीजियेगा और वे इसको देखवा लेंगे ।

प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायें । अब कार्य-स्थगन ।

टर्न-7/राजेश/3.7.19

कार्य स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष: अब कार्य स्थगन प्रस्ताव लिये जायेंगे । माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 03 जुलाई, 2019 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री ललित कुमार यादव, मो0 नवाज आलम और श्री राजेन्द्र कुमार । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल ।

(व्यवधान)

शून्यकाल को तो होने दीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को तो पढ़ने दिया जाय ।

अध्यक्ष: नियम नहीं है सुनाने का लेकिन आप सुनाना चाहते हैं तो पढ़ दीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, बिहार की गिरती कानून-व्यवस्था आमजन को झकझोर कर रख दिया है । राज्य की जनता भगवान भरोसे सुबह से शाम तक का वक्त निकाल रही है ।

अध्यक्ष: भगवान के भरोसे तो सब को रहना पड़ता है ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, न महिलाएँ सुरक्षित हैं न पुरुष, न बच्चियाँ सुरक्षित हैं, न किशोरी, न शहर सुरक्षित है, न गाँव, न घर सुरक्षित है न राह । आम जनता को गली मुहल्ले से लेकर गाँव और शहर तक वारदातों से हर पल सामना करना पड़ता है । राज्य की राजधानी भी सुरक्षित नहीं है । राजधानी में पिछले सात माह में 17 हत्याएँ तथा 16 अप्रैल से 27 मई के बीच 11 हत्याएँ हो चुकी हैं । राजधानी को बदमाशों ने अपना शरणस्थली बना लिया है । राज्य में एक-एक दिन में 6-6 हत्याएँ हो रही हैं । राज्य की राजधानी में एक ही रात में 4-4 ए0टी0एम0 की लूट हो रही है एवं बड़े-बड़े व्यवसायियों के दूकानों में डकैती की घटना हो रही है । राज्य में चोरी, डकैती, हत्या एवं लूट थमने का नाम नहीं ले रहा है । सरकार नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब हो गया । गृह विभाग के दिन मांग पर अपनी बातों को रखियेगा ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, हम चाहते हैं सरकार से और आपसे कि सभी कार्य को रोक कर(व्यवधान)

अध्यक्ष: ठीक है लेकिन आपका चाहना नियम के अनुसार नहीं हो सकता है । इसलिए आप गृह विभाग वाले दिन बोलियेगा । अभी शून्यकाल को चलने दीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, जब आम लोग सुरक्षित नहीं हैं तो शून्यकाल का क्या होगा ?

अध्यक्ष: अब आप गृह विभाग के दिन मांग पर अपनी बातों को रखियेगा । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के बेल में आ गये)

(व्यवधान)

शून्यकाल

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अमित कुमार ।

श्री अमित कुमार: अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी रीगा चीनी में किसानों द्वारा बिक्री किये गने का भुगतान कई सीजन से नहीं किया जा रहा है जिससे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं । किसानहित में गने का बकाया भुगतान शीघ्र करायी जाय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य डा० विनोद कुमार यादव ।

डा० विनोद कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरधाटी, डोभी एवं आमस सुखाड़ प्रभावित प्रखण्ड है । जलस्तर काफी नीचे चले जाने से पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है । कई स्थानों पर टैंकरों द्वारा जल आपूर्ति की जा रही है । वर्णित प्रखण्डों के सभी गांवों में स्थायी पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित राज्य में 01 लाख से ज्यादा दवा की दुकाने हैं, जबकि फार्मासिस्ट डिग्रीधारी लगभग 20 हजार है । फार्मासिस्ट की कमी तथा विभागीय कानून की वजह से 80 हजार दवा दुकान बंद होने के कगार पर है ।

अतः मैं फार्मासिस्ट बहाल करने या भोकेशनल ट्रेनिंग देकर अनुभवी दवा दुकानदार को दुकान चलाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ललन पासवान ।

श्री ललन पासवान: अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर प्रखण्ड के ग्राम-खुद्दनु एवं चेनारी प्रखण्ड के केनार कला बसंतपुर ग्राम के बीच सड़क निर्माण हो जाने से दोनों प्रखण्ड के बीच की दूरी 30 किमी० कम हो जायेगी ।

सरकार से उक्त सड़क का शीघ्र निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य मो० नवाज आलम ।

मो० नवाज आलम: अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला में मध्याह्न भोजन योजना में संवेदक चयन में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश सी०डब्ल०जे०सी० नं०-६८२२/१६ का पालन नहीं हुआ

है। विभाग द्वारा अवैध कार्य कराया जा रहा है। मई, 17 में निविदा निकाली गई, लेकिन पालन नहीं हुआ। न्यायालय के आदेश का पालन करावें।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री महबूब आलम।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, पटना न्यू मार्केट सहित पूरे राज्य में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों-दुकानदारों को उजाड़ने पर हाई कोर्ट द्वारा रोक के बावजूद स्मार्ट सिटी के नाम तो कहीं दबंगों के इशारे पर उजाड़ा जा रहा है, इसपर तत्काल रोक लगाने और उनके आवास-दुकान की व्यवस्था की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार।

श्री राजेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तुरकौलिया प्रखण्ड के गदरिया एस0एच0 रोड से शंकर सरैया एस0एच0 रोड तक जाने वाली आर0डब्लू0डी0 रोड में नहर पुल निर्माण नहीं होने के कारण आवागमन बंद की स्थिति में है।

अतः सरकार उपरोक्त पुल को जनहित में अविलंब बनाये।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों का पेटाई सत्र 18-19 का करोड़ों रूपया का बकाया चीनी मिलों के जिम्मे हैं पैसा का भुगतान नहीं होने से कृषकों की स्थिति काफी दयनीय है।

किसानों के बकाये पैसे का शीघ्र भुगतान करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद।

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो सी0एच0सी0 का दर्जा 29015 में दिया गया था लेकिन सी0एच0सी0 की कोई सुविधा यहां नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार आरा सदर अस्पताल के बाद सर्विस के मामले में पीरो सी0एच0सी0 का स्थान है। यहां 30 बेड की सुविधा उपलब्ध करायी जाये।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी।

श्री विद्या सागर केशरी: अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज विधान सभा अंतर्गत रमैय पंचायत के घोड़ाघाट से चिकनी तक बनी पक्की सड़क के बीच परमान नदी के डहरा घाट पर पुल की आवश्यकता है। पुल नहीं रहने से दो विधान सभा क्षेत्र के हजारों लोग इस सड़क का लाभ लेने से वंचित हैं।

अतः उक्त घाट पर पुल निर्माण की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार।

श्री सुनील कुमार: अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखण्ड मोहनपुर चौक से बरियापुर फोर लेन चौक तक जाने वाली सड़क विगत 5 वर्षों से जर्जर एवं जीर्णशीर्ण अवस्था में रहने से आमजन को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है।

अतः उक्त वर्णित सड़क का अतिशीघ्र जीर्णोद्धार करावें।

अध्यक्षः अब शून्यकाल समाप्त हुआ । ध्यानाकर्षण सूचना लिये जायेंगे ।

ध्यानाकर्षण सूचना

श्री मो10 नवाज आलम । ध्यानाकर्षण सूचना नहीं पढ़ी गयी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आपलोग अपनी-अपनी जगह पर तो जाइये ।

(व्यवधान)

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

....

टर्न-8/सत्येन्द्र/3-7-19

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों (खंड-01, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग तथा गन्ना उद्योग विभाग) पर वाद विवाद तथा मतदान।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृषि विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा। इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए समय दिया जायेगा।

राष्ट्रीय जनता दल 60 मिनट

जनता दल यूनाईटेड 52 मिनट

भारतीय जनता पार्टी 41 मिनट

इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 मिनट

सी0पी0आई0(एम0एल0) 02 मिनट

लोक जनशक्ति पार्टी 02 मिनट

हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा 01 मिनट

निर्दलीय 03 मिनट

माननीय मंत्री, कृषि विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“कृषि विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 29,58,77,32,000/- (उनतीस अरब, अनठावन करोड़, सतहत्तर लाख, बत्तीस हजार) रु0 से अनधिक राशि प्रदान की जाय।”

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानन्द सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य

विचार विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

ठीक है। माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“ इस शीर्ष की माँग 10/- (दस) रूपये से घटायी जाय । ”

अध्यक्ष महोदय, आज सदन में कृषि विभाग के महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद हो रहा है और अपने अपने सुझाव लोग देंगे। अध्यक्ष महोदय, इस राशि में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है और ये मेरा राज्य कृषि प्रधान राज्य है महोदय और यहां गांव में 70 प्रतिशत से अधिक किसान रहते हैं। महोदय, वे गांव में रहते हैं, किसान गांव में रहते हैं और सरकार की यह योजना जो राशि पर सरकार ने अनुदान मांग के माध्यम से सदन से सहमति लेना चाहता है महोदय, महोदय ये राशि लेकर क्या करेंगे, ये राशि किसके लिए ले रहे हैं, गांव और गरीब और बेरोजगार के लिए लेकिन इनका जितना भी कार्यक्रम है गांव और गरीब के लिए, बेरोजगार के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए ये सब कागज पर है महोदय। आज किसान की हालत देख लीजिये गांव में जाकर के, आप भी किसान हैं कहीं न कहीं से, ये प्रेम कुमार जी जो मंत्री हैं ये भी कहीं न कहीं से किसान के बेटे या किसान हैं लेकिन महोदय, हमलोग भी किसान हैं। हमलोग भी खेती करवाते हैं, खेती करते हैं, आज लागत मूल्य भी महोदय किसान को नहीं आ रहा है तो किसके लिए ये 29 अरब 58 करोड़ 77 लाख का बजट प्रस्ताव किये हैं। महोदय, ये लूट है, लूट-खसोट योजना है। महोदय, एक-एक किसान की माली हालत देखिये, आज अपने बच्चे को किसान पढ़ा नहीं सकते हैं, किसान अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं महोदय, जबतक लोग गिरवी नहीं रखेंगे खेत को, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, जबतक खेत को बेचेंगे नहीं महोदय, तबतक महोदय आपको वे शादी नहीं कर सकते हैं बेटी का। महोदय, किसान की यहां 70 प्रतिशत आबादी है इस राज्य में और जो भी कार्यक्रम आप चलाते हैं, बेरोजगार और किसान को उसको दशा और सुदृढ़ करने के लिए लेकिन ये कागज पर चलाने से नहीं होगा। महोदय, खेत में पानी नहीं है महोदय, न्यूनतम भी जो मजदूरी है उतना भी लागत किसान को आज नहीं आ रहा है महोदय। किसान की यह माली हालत दिन प्रति दिन बदतर होती जा रही है। अब ये नहीं कहिये प्रेम कुमार जी, कितना भी प्रेम कुमार ढिढ़ोरा पीटें सरकार का जवाब होगा, महोदय ये बोलेंगे सांस फूला फूला कर कि हम किसान के लिए ये कर रहे हैं, हम

राज्य की तरक्की के लिए ये कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे बिहार का व्यंजन देश के हर थाली में होगा यानी महोदय किसान के थाली में अनाज नहीं है और देश के सभी थाली में बिहार का व्यंजन कहां से जायेगा महोदय। महोदय, वर्ष 2019 के प्रथम सप्ताह में जो इनका पटना में कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की बैठक हुई, किसान की आमदनी लगभग 6500 रु0 प्रति माह, ये आंकड़ा है इनका और हम कह रहे हैं इसमें किसानों के श्रम का कोई लेखा जोखा नहीं है, जमीन के लीज रेंट का कोई लेखा जोखा नहीं है। महोदय, उसके बाद क्या बचता है, फसल काटने वाले किसान की आमदनी प्रतिमाह 2000 रु0 से भी कम है। ये न्यूनतम मजदूरी से भी कम हुआ महोदय, मैं विस्तार से जाना चाहता हूँ लेकिन ये जरूर कहूँगा जो किसान के प्रति ये सरकार अनदेखी कर रही है, किसान के प्रति बेरुखी कर रही है जो किसान के हित में नहीं है। किसान भगवान है हमारा और किसान का अपमान हो रहा है। यह अनन्दाता है, भगवान हैं इनलोगों को कोई माफ नहीं करेगा महोदय। महोदय, मैं एक बात की चर्चा करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी का 1-7-19 को सदन में वक्तव्य था महोदय महोदय, विषय था गरीब बच्चे की मौत पर विशेष चर्चा का लेकिन चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान, पशुपालक एवं मुर्गीपालकों पर बड़ा अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया महोदय। महोदय, ये क्या प्रयोग किये कि हर घर के नल जल योजना से लोग भैंस को धोते हैं, खेत को पटाते हैं। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमलोगों को जानकारी में है कि वे भी मवेशी पालते हैं लेकिन ..

(व्यवधान)

प्रोसिडिंग उठाकर देख लीजिये मवेशी बोले हैं या भैंस। प्रोसिडिंग मंगवाईए। महेश्वर जी मंत्री हैं बैठे बैठे नहीं बोलिये, आप प्रोसिडिंग उल्टा कर देख लीजिये तब आप..

(व्यवधान)

यदि मुख्यमंत्री जी भैंस नहीं बोले होंगे तो हम बिहार विधान-सभा की सदस्यता से इस्तीफा कर देंगे, आप मंत्री से इस्तीफा करियेगा हिम्मत है, हिम्मत है आपको, नहीं हिम्मत है, झूठ मत बोलिये मंत्री जी।

अध्यक्ष: इस सभा की सदस्यता जो होती है ललित जी, यह बड़ा ही अलग चीज है इसके लिए लोग बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं और हम आप न जाने कितने वर्षों लगे रहते हैं तब जाकर के इसका सदस्य बनते हैं जब जनता की कृपा होती है। इसकी सदस्यता को हमेशा क्यों दांव पर लगाते हैं ?

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, आपका ध्यान हो तो बोलूँ।

अध्यक्ष: आपही की तरफ तो ध्यान है लेकिन आप उधर चले जाते हैं।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, आपकी तरफ देखता हूँ। महोदय, इस सदन का 25 साल से लगातार सदस्य हूँ महोदय, एक दिन के लिए भी सदन से बाहर नहीं हूँ महोदय। महोदय, माननीय मंत्री ने बैठे बैठे बोला तो मैं उनका उत्तर दिया कि मैं भैंस का शब्द....

अध्यक्षः यही न गड़बड़ हो गया, आप 25 साल से सदस्य हैं और जो बैठे बैठे बोलते हैं उसका उत्तर क्यों देते हैं।

श्री ललित कुमार यादवः हम कभी अनुपस्थित नहीं हुए हैं महोदय...

अध्यक्षः हमेशा बैठकर जो बोलते हैं सदस्य उनकी बातों को नजर अंदाज किया जाता है, उसका उत्तर मत दीजिये।

टर्न-9/मधुप/03.07.2019

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री बैठे-बैठे बोल देते हैं।

महोदय, हम कह रहे थे कि हर घर नल-जल योजना से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोग भैंस धोते हैं, खेत पटाते हैं। हमको जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी मवेशी पालन करते हैं। मवेशी धोते हैं तो नालन्दा से पानी लाते हैं क्या कि पटना का ही अपने आवास का पानी और किसी नल जल का ही पानी है ?

अध्यक्ष : ललित जी, उस समय मैं सदन में था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा की थी अभी सात निश्चय के तहत जो नल जल योजना है, जो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पेयजल गाँव के गरीबतम लोगों को पहुँचाने की योजना है, उस योजना के तहत जो पानी पीने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जब लोग उससे खेत का पटवन या उस पानी से मवेशी या भैंस धोते हैं, यह अच्छी बात नहीं है, किसी पानी से थोड़े ही भैंस धोना मना कर रहे हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, जिस राज्य में सिंचाई का कोई साधन न हो, किसी खेत में आपका कोई नलकूप चालू नहीं है। एक पोखरा-तालाब आपका नहीं है, सूखा हुआ है, किसान क्या करे महोदय ? आत्महत्या कर ले क्या, क्या किसान आत्महत्या कर ले ? क्या आज किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं ? (व्यवधान)

महोदय, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बयान से, जो सदन में उन्होंने किसान का अपमान किया है, हम सिर्फ मर्माहत नहीं हैं, पूरे सदन के साथ-साथ राज्य की जनता मर्माहत है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि इसपर कुछ खेद प्रकट करें। चूंकि 70 प्रतिशत गाँव में किसान रहते हैं और यह किसान देश और गाँव की आत्मा है। किसान का अपमान, यह 70 प्रतिशत बिहार के किसान का अपमान हम लोग बर्दाश्त कम से कम तो नहीं करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसपर खेद प्रकट करना चाहिए। यही बात सदन में कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय ललित यादव जी से हमलोगों की अपेक्षा थी कि इन्होंने कटौती प्रस्ताव लाया है तो किसान के हित में, गाँव के हित में और गाँव के किसानों के बारे में कोई अच्छा सुझाव देंगे लेकिन ये तो मवेशी पर ही चारों तरफ घूमते रह गये। सिर्फ और सिर्फ मवेशी पर आप खाली चले जाइयेगा, वह भी सरकार के प्राथमिकता में है। पशुपालन भी हमारे प्राथमिकता में है और माननीय ललित यादव जी से अपेक्षा रखता हूँ, इतने लम्बे समय से इस सदन के सदस्य हैं, लम्बा अनुभव है, गाँव का भी अनुभव है और सदन का भी अनुभव है तो आज हम सरकार की तरफ से इस बात की उम्मीद करते थे कि अच्छा कोई कृषि के बारे में सुझाव देते ताकि सरकार उसपर अमल करती और बिहार के किसानों को उसका लाभ मिलता।

श्री ललित कुमार यादव : हमने सुझाव भी दिया और जो मुख्यमंत्री जी से चूक हुई, उसको भी हमने उजागर किया। महोदय, हमारी पार्टी की ओर से आलोक मेहता जी बोलेंगे।

अध्यक्ष : ठीक है। आप तो 15 मिनट बोल चुके, अब अगली बार उनको मौका लगेगा। आलोक जी, आप एक के बाद बोलियेगा।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, माननीय मंत्री ने कृषि विभाग पर जो अनुदान माँग सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूँ। महोदय, बिहार की आबादी का 79 प्रतिशत लोगों का जीवन-यापन, जीवन-जीविका कृषि तथा कृषि पर आधारित कार्यों पर निर्भर है। आज धरती के भगवान कहे जाने वाले किसान के हाल और हालात को सुधारने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उनकी आय को दोगुणा करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है।

महोदय, राज्य सरकार ने जो कृषि के क्षेत्र में कार्य किया है, वह काफी सराहनीय है। महोदय, हमें याद है, 2008 के पहले हमारे बिहार में गुणवत्ता वाली बीज, प्रमाणित बीज की उपलब्धता का अभाव था, हमारे मार्केट में बाहर की कम्पनियाँ आकर गेहूँ का बीज, धान का बीज, जैसा-तैसा बीज, जैसे-तैसे बेचा करता था लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कृषि रोड मैप 2008 में बनाया और किसान के हित के लिए, किसान के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम कार्यान्वित कराने का काम किया और तब से चाहे भारतीय बीज निगम हो या बिहार राज्य बीज निगम हो या अन्य प्रदेश से बीज की जो उपलब्धता हुई हमारे बिहार में, हर प्रखंड में जो गुणवत्ता वाली बीज आई जिससे किसान जागरूक हुए और किसान ने बीज जो लगाया, जो ऊपर हुई उसमें काफी मनी प्राप्त हुआ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री मो० नेमतुल्लाह ने
माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया।)

महोदय, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और माननीय मंत्री श्री प्रेम बाबू को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने प्रथम कृषि रोड मैप 2008 में, दूसरा कृषि रोड मैप 2012 में, तीसरा कृषि रोड मैप 2017-2022 के लिए 2017 में जो इन्होंने बनाया और लागू किया। तीसरे कृषि रोड मैप की खास विशेषता है कि जो हमारे किसान हैं, किसान की हर प्रकार की समस्या, किसान का उत्थान, टारगेट सभी प्रकार का उसमें समाधान और कृषि यंत्रों पर विशेष अनुदान, सभी लक्ष्यों को निर्धारित किया गया और रखा गया। महोदय, सबसे बड़ी उपलब्धि बिहार सरकार को तब हुई कि किसान के अनुदान का जो पैसा है, किसान के खाते में डायरेक्ट, जो आधार कार्ड से लिंक्ड है उनके खाते में अनुदान की राशि जा रही है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि हुई जिसके कारण जो बीज का बिचौलिया था, जिसका जमावड़ा खत्म हुआ। महोदय, आज बिहार कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। यही हमारा आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी उपलब्धि है।

सभापति जी, आपको मालूम होगा कि हमारे महोदय समस्तीपुर जिला से आते हैं और समस्तीपुर जो इनका गृह जिला है, उनके गृह जिला में भी सब्जी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। हमको भी मालूम है कि हमारे जिला में भी जो गोभी का उत्पादन होता है, गोभी उस समय काफी कम भाव से 50 पैसे, 2 रूपये, 1 रूपये बिका करता था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत 5 जिला का चयन करके जो सब्जी फेडरेशन बनाने का काम किया और सब्जी फेडरेशन में 97 प्रखण्ड में सब्जी उत्पादन सहयोग समिति का गठन किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उस समिति का काम है कि हमारे जो छोटे-छोटे किसान हैं जिनका सब्जी कलेक्शन करके उनको उचित मूल्य प्राप्त करवाना, जो यूनियन बना है उसको मार्केटिंग प्राप्त कराना। अभी माननीय वरीय सदस्य ललित बाबू बोल रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सपना था कि हर भारतवासी के थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, वह सपना साकार होते दिखाई दे रहा है।क्रमशः....

टर्न-10/आजाद/03.07.2019

..... क्रमशः

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : हर भारतवासी के थाली में बिहार का तरकारी होगा क्योंकि बिहार से सभी जगह सब्जी जा रहा है महोदय। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में चाहे पशुपालन के क्षेत्र हो या कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंडा का उत्पादन हमारे यहां काफी बढ़ा है। महोदय, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहां बिहार में अंडा का काफी कम खपत था, देश स्तर पर औसतन एक व्यक्ति 163 अंडे खाते थे लेकिन बिहार में एक व्यक्ति 9 अंडे खाते थे। अब

राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचने में महोदय हमलोग काफी आगे बढ़े हैं। हर क्षेत्र को जोड़ा गया है, हर क्षेत्र हर जगह माननीय सदस्य जो यहां बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो किसान हैं, जो अन्न उपजाते हैं, जो सब्जी उपजाते हैं जिनके भरोसे आप यहां पर बोलते हैं, जो आपकी ताकत है, उनके बारे में भी आप सोचिए। केवल हल्ला करते हैं लेकिन आप उनके बारे में संवेदनशील नहीं रहते हैं। अगर आप संवेदनशील रहते तो किसानों की समस्या को सरकार से उनकी समस्याओं को आप अवगत कराते न कि आप सदन में हल्ला करते।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो वर्षापात की कमी आयी है, खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में बहुत सारे काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में कहा है कि दिसम्बर के लास्ट तक में इसी साल में सिंचाई के लिए बिजली फीडर लगाकर किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था करायेंगे ताकि किसान लोगों को जो अधिक खर्च पड़ता है पटवन में, उसमें कमी आये और एक यूनिट पर उनको 5रु0 खर्च आये। इसके लिए उन्होंने कृषि फीडर के माध्यम से हरेक किसानों के खेतों में बिजली पहुँचाने का निर्णय लिया है। सरकारी कृषि यंत्र जो अनुमंडल में मेला लगाकर दिया जा रहा है। गुणात्मक बीज दिया जा रहा है, बीज ग्राम का स्थापना किया जा रहा है, कृषि के क्षेत्र में महोदय माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने अपने संबोधन में कहा है पूर्व में भी कहा है कि 152 पंचायतों में प्रखंड कृषि कार्यालय की स्थापना की गई है।

महोदय, पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए हम सबों के लिए चैलेंज का विषय है, मैं चाहूँगा महोदय कि यहां पर सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, वे अपने घर के आगे और घर के पीछे भी जो माननीय मंत्री जी ने फलादार पेड़ देने का काम किया है, आम का पेड़, मैं चाहूँगा कि आपलोग घर के आगे और पीछे भी इस पेड़ को लगाईए क्योंकि आने वाले समय में माकूल अवस्था में बारिश हो और जब आपलोग पेड़ लगायेंगे तो निश्चित रूप से बारिश होगी क्योंकि इसके पहले आपलोग सिर्फ पेड़ काटने का ही काम किया है। हमारे यहां प्रचुण की खेती बहुत ज्यादे मात्रा में होती है, प्रचुण का मतलब यह है कि छोटी-छोटी जो कम समय में जैसे लाल साग, नेनुआ, पालक यह सब जो सब्जी होती है, हमारे यहां सिर्फ वैशाली जिला में ही नहीं बल्कि कई जिले में हमलोग देख रहे हैं कि खेत छोटे-छोटे होते जा रहे हैं, टुकड़े-टुकड़े में खेत होते जा रहे हैं। इसलिए महोदय, चाहूँगा कि किसान जो है, इनके लिए, जो छोटे किसान है, उनके लिए एक नीति बनायी जाय जो कम समय में कम लागत पर जो खेती करते हैं।

महोदय, जो कृषि यांत्रिकरण है, उसमें भी पारदर्शिता लाने की जरूरत है और तेजी से हमारे यहां जो कोल्ड स्टोरेज बन्द हो रहा है, भंडारण का एक ही उपाय है लेकिन आज वह सब बन्द हो रहा है, इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए।

महोदय, आज कृषि के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर हुआ है और आत्मनिर्भरता ही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यही कहना चाहूँगा महोदय, सदन के माध्यम से और यहां अधिकारी भी बैठे हैं और माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा, उनसे आग्रह करूँगा, अभी सरकार के द्वारा बहुत सारे काम किये गये हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि किसानों को जो इनपुट अनुदान दिया जा रहा है और राज्य के जो 80 प्रखंड सुखाड़ घोषित हुए हैं और उनको इनपुट अनुदान दिया जा रहा है, उनको अनुदान तो मिल रहा है लेकिन तेजी से उनको अनुदान मिले

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप शोर्ट कीजिए, आपका समय खत्म हो रहा है।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, राज्य सरकार ने किसानों को सब्सिडी पर जो गुणवत्तापूर्ण कृषि यंत्र दे रहा है, वार्षिक मेला लगाकर जो हर अनुमंडल में दिया जा रहा है, मैं चाहूँगा कि इस तरह की योजना हर प्रखंड लेवल पर चलायी जाय ताकि किसान को इसका ज्यादा लाभ मिल सके। किसानों में इसका प्रचार-प्रसार किया जाय और इसको युद्ध स्तर पर चलाया जाय। लास्ट में मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि इस सदन के माध्यम से कि जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए सब लोगों को इसपर जागरूक होना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से ही पेड़ लगाओ और सदस्य बनो, यह काफी पहले से हमारे यहां चल रहा है। इसलिए मैं विपक्षी सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि आपलोग भी इसकी शुरूआत करें और उन्हें क्षेत्र में भी जाकर के पेड़ लोगों से लगवाये। मैं सदन से और माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : ठीक है, माननीय सदस्य अब समाप्त कीजिए।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, मैं चाहूँगा कि सबके घर पर जितने परिवार हैं बिहार में, उनके घर के आगे और पीछे भी पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाय। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूँ। बहुत, बहुत धन्यवाद।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका, आपको 9 मिनट समय दिया गया है।

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय सभापति महोदय, आज अपनी सरकार के पक्ष में और कृषि विभाग के अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने नेता और आपका आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही पूर्णिया जिला की महान जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ।

सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बिहार की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। जब हम कृषि पर आधारित हैं तो निश्चितरूपेण कृषि पर जो बजट आया है, वह सराहनीय बजट है। कृषि पर जो हमारे बिहार के माननीय

मुख्यमंत्री, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो विशेष ध्यान दिया है, वह निश्चितरूपेण सराहनीय है। महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणी नरेन्द्र भाई मोदी का इस सदन से आभार व्यक्त करूँगा कि इन्होंने कृषि के सम्मान में जो एक योजना चलायी, उसमें बिहार में 76 लाख किसानों का निबंधन हुआ है और उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। सभापति महोदय, हमारे विपक्ष में, प्रतिपक्ष में हमारे सदस्यगण बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, सारे किसान परिवार से जुड़े हैं। लेकिन सभापति महोदय, किसानी के क्षेत्र में जितना विकास हुआ है, इनको नजर नहीं आता है। सभापति महोदय, दूर-दराज के किसान खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर किसानों के कारण उनकी आय जो बढ़ी है, वह हमारे भाईयों को नजर नहीं आता है। महोदय, जो आज किसान है, आज जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जायेंगे तो हमारे जो छोटे किसान भी हैं, वे मोटरसाईकिल पर चलने का काम कर रहे हैं, चार चक्के पर चलने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के जो भाई हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री योजना के साथ-साथ बिहार में हमारे कृषि मंत्री श्री प्रेम कुमार जी ने किसान चौपाल लगाने का काम किया है, उससे किसानों में जागरूकता आयी है। पूरे बिहार के पूरे पंचायतों में आज किसान चौपाल के माध्यम से जागरूकता बढ़ी है, चाहे वे सांकेतिक कृषि प्रणाली के द्वारा हम फसल सह बागवानी लगावें या पशु सह बकरीपालन करें या फसल सह दुधारू पशुपालन का काम करें, उस क्षेत्र में भी हमको लाभ मिल रहा है। आज किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान, आज ऐसी व्यवस्था हुई है जिसमें 40 प्रतिशत से लेकर के 75 प्रतिशत तक सामान्य किसानों को अनुदान दिया जा रहा है और हमारे जो एस0सी0/एस0टी0 के भाई हैं, उनको 50 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक अनुदान देने की व्यवस्था है। ..

.... क्रमशः

टर्न-11/शंभु/03.07.19

श्री विजय कुमार खेमका : क्रमशः....सभापति महोदय, मैं सदन में कृषि विभाग द्वारा किये हुए कार्यों की ओर हमारे सदस्यों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं- जैविक खेती के माध्यम से जो खेती की विधि आई है जैविक खेती के माध्यम से आज पक्का वर्मी बेड, गोबर गैस है इसपर भी अनुदान की व्यवस्था है। हमारे कृषक भाई उस दिशा में बढ़ रहे हैं। कृषि विभाग में कृषि के क्षेत्र में मिट्टी जॉच तो एक क्रांतिकारी विषय बना है। पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से आज मिट्टी जॉच की व्यवस्था की गयी है। सभापति महोदय, बीज विस्तार के माध्यम से किसानों को अनुदानित दर पर बीज की व्यवस्था की जा रही है और एक ऐसी व्यवस्था की गयी है जिसमें डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रत्येक किसानों के खाते में उसका जो लाभ है वह सीधे पहुंच रहा है। सभापति महोदय, आत्मा के

माध्यम से भी सरकार किसान कैसे स्वाबलंबी बने, कैसे आत्मनिर्भर बने इस दिशा में सरकार चिंता कर रही है। आत्मा के माध्यम से प्रगतिशील किसानों को राज्य के बाहर भेजकर के उन्हें नयी-नयी खेती के तकनीक की जानकारी भी दी जा रही है। सभापति महोदय, वैज्ञानिक वार्तालाप और कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से भी उन्हें उन्नत खेती की जानकारी दी जा रही है जिसका लाभ बिहार के सभी किसान चाहे छोटे हो या बड़े हो सारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ आज कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है। आज जो हमारे कृषि मंत्री हैं आदरणीय प्रेम कुमार जी कृषि के क्षेत्र में इतना काम किये हैं इतना किसानों के बीज जागरूकता लाने का काम किये हैं। सभापति महोदय, हमारा जिला पूर्णियां पिछड़ा जिला है जहां 38 हजार महिला किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़कर काम कर रही है। पशुपालन क्षेत्र में 200 ऐसी महिला हैं- जो शराबबन्दी हुआ जिसका बहुत असर हुआ बिहार में और उससे लाखों लाख परिवार सुधरने का काम किये, उसमें सुधार हुआ- 200 महिला परिवार पशुपालन के क्षेत्र में आगे है। हमारे यहां एक सदस्य बता रहे थे सब्जी के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं चाहे पर परबल हो, मशरूम हो इस क्षेत्र में भी हम बढ़े हैं। सभापति महोदय, गेहूं के क्षेत्र में, धान के क्षेत्र में हमारे यहां पूर्णियां में काला गेहूं की भी एक किसान ने खेती की है। हमारे यहां 1 एकड़ में 12 क्वार्टल काला गेहूं का उत्पादन हुआ है। सभापति महोदय, एन0डी0ए0 की सरकार में किसान को उत्साहित करने के लिए पुरस्कृत भी किया जा रहा है। उन्हें 10 हजार, 25 हजार का पुरस्कार भी सरकार दे रही है। इसलिए किसान उत्साहित हैं जो ज्यादा से ज्यादा, अच्छा से अच्छा उत्पादन करते हैं उन्हें सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया जा रहा है। पौधा संरक्षण, भूमि संरक्षण पर भी यह सरकार काम कर रही है। सभापति महोदय, हमारे किसानों का सामान, किसानों की उपज अच्छे दाम पर बिके, अच्छे जगह पर बिके उसके लिए हमारी सरकार जो हाट बाजार है, जो कृषि उत्पादन बाजार समिति है उसका भी विकास कर रही है। मैं सदन में जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि पूर्णियां गुलाबबाग जो बाजार समिति है उसका भी जीर्णोद्धार करना अत्यंत आवश्यक है। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि 15 करोड़ की राशि आदरणीय मंत्री जी ने स्वीकृत किया है, लेकिन उसमें विलंब के कारण किसानों को और वहां जो किसानों के अनाज का क्रय-विक्रय करते हैं, 10 हजार मजदूर जो डेली काम करते हैं जिन्हें सुविधा चाहिए उसका जीर्णोद्धार मैं इस सदन के माध्यम से कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि वह भी शीघ्रातिशीघ्र करवायें। मैं कृषि मंत्री जी से एक और आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे किसान खेतों में और मजदूर जो खेतों में काम करते हैं।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, जो खेतों में काम करते हैं सर्पदंश से उनकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन बाढ़ में आपदा के अनुसार उन्हें भुगतान होता है, लेकिन सामान्य स्थिति में जो सर्पदंश से उनकी मृत्यु होती है उन्हें 4 लाख राशि देने का प्रावधान नहीं है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ऐसे किसान जो खेतों में काम करते हैं, ऐसे मजदूर जो खेतों में काम करते हैं उनके लिए 4 लाख रूपये की आपदा राशि का प्रावधान भी करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए किसान आयोग का भी गठन होना चाहिए। सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्री से कहना चाहूँगा कि सामान्य किसान भी आप तक पहुँच सके- वैसे आप धन्यवाद के पात्र हैं कि पंचायतों में जो किसानों का चौपाल लग रहा है वहां आप भी जाने का काम करते हैं। हमारे भी जो सदस्य हैं विभिन्न क्षेत्रों से वे भी जाने का काम करते हैं।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री विजय कुमार खेमका : कोई ऐसा नंबर जरूर आप दें जिससे किसान सीधे आपसे जुड़ सके। सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विपक्ष जो है, यहां लिखा हुआ है कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग माने जाते हैं।

सभापति(मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री विजय कुमार खेमका : इसलिए सभापति महोदय,

सभापति(मो0 नेमतुल्लाह) : राष्ट्रीय जनता दल से माननीय सदस्य श्री आलोक मेहता।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, एक मिनट। मैं धन्यवाद देता हूँ कृषि मंत्री जी को कि आपने हम सारे सदस्यों को, सारे विधान मंडल को मीठा आम खिलाने का काम किया है और उसके साथ-साथ दो आम का वृक्ष भी देने का काम किया है। इसलिए आइये हम सब मिलकर के आम का पेड़ लगायेंगे, मीठा आम खायेंगे और पर्यावरण को बचायेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

सभापति(मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार मेहता जी। आपका 15 मिनट टाइम है।

श्री आलोक कुमार मेहता : धन्यवाद सभापति महोदय। आज 2019-20 बजट पेश किया गया कृषि क्षेत्र के लिए उसके विरुद्ध कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। महोदय, बिहार एक कृषि राज्य है, कृषि प्रधान राज्य नहीं है। कृषि राज्य इसलिए है क्योंकि जिस राज्य में 90 प्रतिशत तक या उससे भी ज्यादा लोगों की निर्भरता यदि कृषि पर है और कृषि ही यहां के आय का मुख्य स्रोत है तो फिर इसे कृषि राज्य ही कहेंगे। यह एक सौभाग्य की भी बात है कि यह कृषि राज्य है वन ऑफ द बिगेस्ट लेकिन दूसरी ओर कृषि के क्षेत्र में आजादी के बाद जो कुछ हुआ तो ऐसा लगता है कि जैसे उसपर

सारे लोड पड़े हुए हैं और सरकार का ध्यान उसको बढ़ाने की ओर बिलकुल नहीं है । पिछले वर्षों का यदि हम आंकड़ा दें तो मैं अभी सिर्फ दो वर्ष के आंकड़े के बारे में बताता हूँ कि वर्ष 2018-19 में 2749.77 करोड़ रु0 का बजट था, वर्ष 2019-20 में 2958.55 करोड़ का बजट था जबकि कुल बजट 2 लाख 5 हजार 1 करोड़ का बजट पेश किया गया है लगभग जो आंकड़े आये हैं पी0आर0एस0 संस्थान है जो इस क्षेत्र में रिसर्च करता है इसमें एवरेज जो बिहार स्टेट है इसमें 3.1 प्रतिशत अपने बजट एलोकेशन का खर्च कृषि क्षेत्र में करने का प्रावधान किया है । जिस क्षेत्र पर 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत आबादी की निर्भरता है, जहां की इकोनोमी एग्रीकल्चर इकोनोमी ही है उस क्षेत्र में इतना कम एलोकेशन यह बहुत ही खेद का विषय है । बिहार जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 93.6 लाख हे0 है वहां पर 56.3 लाख हे0 जमीन कृषि के उपयोग में जा रही है जिसमें लगभग 80 लाख हे0 जमीन कृषि योग्य भूमि है तो इतना बड़ा जो गैप है और यह जो गैप है इसको पाठने की जो कोशिश होनी चाहिए थी।

क्रमशः

टर्न-12/ज्योति/03-07-2019

क्रमशः

श्री आलोक कुमार मेहता : वह कोशिश कोई यह कहे कि इतना जो बजट एलोकेशन है उस पर हम पूरा काम कर ले रहे हैं तो हमें लगता है कि सबसे पहले एक अच्छे सर्वे की जरूरत थी जो सरकार को करवानी चाहिए थी, बिल्कुल गलत आंकड़ों के आधार पर बजट का एलोकेशन हर वर्ष किया जाता है । कृषि की उत्पादकता क्या हुई, कृषि के उत्पादन का क्या हुआ और जो संरक्षण है, विपणन है, उन सब चीजों का जो लेखा जोखा होना चाहिए था, सही लेखा जोखा वह सरकार के पास पूरी तरह उपलब्ध नहीं है । किसान जो अनन्दाता है और किसानों का कृषि क्षेत्र बिल्कुल अनअौर्गेनाईज्ड सेक्टर है । इसमें जो सरकार की ओर से अनुदान दिए जाते हैं तो यह अनुदान कागजों पर बहुत हद तक बांट दिया जाता है । मैं यह बात इस सदन में बिल्कुल विश्वास के साथ एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ कृषि यंत्र पर सब्सिडी की व्यवस्था है । मैं एक व्यक्ति श्री पुनीत सिंह डांगी जो कि सोनपुर के रहने वाले हैं, कुछ वर्ष, एक साल पहले हमारे पास आए थे और उन्होंने जो लेखा जोखा दिया, बताया कि उनके पूरे परिवार गोतिया सहित 25 लोगों के नाम से पम्पिंग सेट की डेलीवरी हो चुकी है और सरकार के लिस्ट में उसका दस्तखत है जबकि उसका दस्तखत नहीं है और उसकी जाँच के लिए यहाँ से लेकर और इसके पहले माननीय सदस्य हमारे डा0 रामानुज प्रसाद जी ने भी उठाया था इस सवाल को चूंकि इनके क्षेत्र का था लेकिन उसपर आजतक जाँच नहीं हो सकी और एक पुनीत सिंह डांगी नहीं, बिहार में सैकड़ों हजारों पुनीत सिंह डांगी हैं जिनके साथ यह घटना घटी है ।

बहुतों को यह पता भी नहीं है कि उनके नाम से निकला हुआ है, उस व्यक्ति ने यहाँ से लेकर, अपने गांव से लेकर और सेक्रेटेरियेट तक, मंत्रालय तक खाक छानी है इसलिए यह पिक्चर में आया इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हजारों, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं और सरकार के द्वारा प्रावधानित जो राशि है जो सब्सिडी की राशि है उसके बारा न्यारा करने में लोग लगे हुए हैं इसलिए मैं मांग करता हूँ माननीय मंत्री जी से इस सदन में कि एक पुनीत सिंह डांगी के केस को निश्चित रूप से जाँच किया जाय लेकिन उसके सेमेट्रिकल पूरे बिहार में जो इस्तरह का वितरण हुआ है वहाँ भी इसकी जाँच होनी चाहिए और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो गड़बड़ियाँ हैं, वह जब सामने आयेगी तो सरकार को निश्चित रूप से सही पिक्चर उसके सामने आयेगा कि क्या करना चाहती है और क्या वहाँ हो रहा है इसकी भी जिम्मेवारी सरकार की है। क्या करना चाहते हैं उसके बारे में मैंने कहा कि आपने एलोकेशन कम दिया और इसको और बढ़ाने की जरूरत थी। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री बार बार अपने भाषण के क्रम में अभी सदन में नहीं हैं लेकिन उन्होंने कहा कि वह जब कभी डाटा देना चाहते हैं तो 2005 की बात करते हैं और फिर 2019 की बात करते हैं। 2005 में इनफ्लेशन रेट मुद्रास्फीति देश की क्या थी। देश का बजट क्या था और अलग अलग क्षेत्रों में उसके कितने बजट हुआ करते थे दूसरे राज्यों का बजट क्या था इन चीजों को भी औब्जर्ब करने की जरूरत थी। माननीय महोदय, यह सिर्फ सरकास्टिक कमेंट्स करते हुए और अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस्तरह का कमेंट्स बार बार कर सदन का अपमान करने की कोशिश करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री। हमें सख्त औब्जेक्शन है इनके एप्रोच पर जब आप बजट की बात करते हैं तो बगल के उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बजट का साईज क्या था, इस बात की भी चर्चा उप मुख्यमंत्री को करना चाहिए तब आज किसी की भी सरकार होती तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इतना या इससे ज्यादा का बजट होता क्योंकि यह परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वर्ल्ड बैंक ने जो दरवाजे खोले जो खजाना खोला लोन लेने के लिए मैं कहता हूँ कि यह जो इतना बड़ा बजट है, उसका कितना प्रतिशत बिहार सरकार की कमाई की या उसकी उपलब्धि का बजट है यह जरा बतला दीजिये। मात्र 28 प्रतिशत, 27.8 प्रतिशत हिस्सा ही 2 लाख 5 हजार करोड़ के बजट में मात्र 27.8 प्रतिशत ही बिहार सरकार की रेवेन्यू से इस बजट में जायेगा बाकी कहाँ से जायेगा बाकी जो जायेगा गाडगिल कमिटी द्वारा जो समझौता हुआ था केन्द्र और राज्य के बीच उस समझौते के तहत बिहार का हिस्सा मिलेगा और उसके अलावे जो पैसा निलेगा बिहार को वह लोन के रूप में मिलेगा। इस बात को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। मैं इस बात से इत्फाक रखता हूँ कि सरकार का चूँकि उस समय महागठबंधन के सरकार की भी

कुछ उपलब्धियाँ इसमें शामिल हैं। हमारे साथी अभी बोल रहे थे सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में, मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमलोग जब सरकार में थे तो हमलोग साथ मिलकर सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में कुछ काम जो हमलोगों का था, उसको करने की कोशिश की और उसको बढ़ाया जा रहा है इससे बिहार के सब्जी उत्पादक किसानों की जो आय है, उसके बढ़ने का पूरा का पूरा रोड मैप है वह और यदि उसे सही ढंग से लागू किया लेकिन हमें इस बात की इतला करनी है सरकार को बताने की जरूरत है कि गति थोड़ी मंथर गति चल रही है इसलिए अपने पदाधिकारियों को उस कार्य को आगे बढ़ाने पर, उनकी तैनाती होनी चाहिए ताकि उस उद्देश्य को हम पूरा कर सकें और इस्तरह की कई योजनाएं हैं जो शायद हमलोगों के साथ शुरू हुई थी, अच्छी योजनाएं हैं और आज आप उस सराकर में हैं और आप कर रहे हैं। मैं जो काम अच्छा चल रहा है उसकी प्रशंसा करता हूँ लेकिन जो काम गलत चल रहा है, जहाँ लैकूना है जहाँ कमी है, उसको भी बताना हमारी जिम्मेवारी है। बिहार कोई कंज्यूमर स्टेट की तरह बनाने की कोशिश यह बिलकुल सही नहीं है। बिहार के पटना की सड़कों पर चिकनी सड़कों को और चिकना करना, बनी हुई व्यवस्था को और व्यवस्थित करना और गांव जहाँ समाज के अंतिम पंक्ति के लोग रहते हैं जहाँ गांव के अंतिम छोर पर लोग रहते हैं उनकी सुविधाओं के बारे में जो इम्फैसिस होना चाहिए था वह प्रायरिटी सरकार की नहीं दिख रही है। यही वजह है कि ऐसा लगता है कि एक बेली रोड मात्र को जो स्पीड है, उसमें मात्र, उस एक रोड के आस पास जो मकान बन रहे हैं जो टाईल्स लग रहे हैं, उसको देख कर लगता है कि 10-12 हजार करोड़ सिर्फ यहीं खर्च हो जायेगा जो कि बिहार के किसी एक विभाग को समृद्ध करने के लिए कृषि विभाग का बजट 29 सौ कुछ करोड़ की है और 10 हजार करोड़ पटना की एक सड़क के आसपास बनने वाले इन्फास्ट्रक्चर का यदि कौस्ट होगा तो मैं उस तुलना को करके आपको आईना दिखाना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कि इस प्राथमिकता और वैल्यू सिस्टम जो मूल्य है, उसको समझने की जरूरत है कि बिहार कृषि राज्य है। इस बिहार को हम अमेरिका नहीं बना सकते हैं और अमेरिका की इकोनॉमी और उसकी आर्थिक व्यवस्था अलग तरह की है इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार में जो व्यवस्था है जो जिस क्षेत्र में प्रकृति ने हमको आगे बढ़ने का मौका दिया है उन क्षेत्रों में यदि हम इनवेस्टमेंट करें, उन क्षेत्रों में लगाए तो शायद बिहार की तरक्की आज हो रही तरक्की से कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। मसलन बिहार में कृषि के बहुत स्कोप है और उसको एक्सप्लोर किए जाने की जरूरत है। बिहार में क्या क्या चीज उत्पादित किया जा सकता है। हाई वैल्यू आईटेम जो बिहार में पैदा किए जा सकते हैं और उसका मूल्य संवर्द्धन और हमारे यहाँ का जो मक्का है,

बेगुसराय से लेकर किशनगंज तक का मक्का सड़क के किनारे सूखते रहता है और पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग यहाँ से ट्रक के ट्रक ढो के ले जाते हैं ओर वहाँ जाकर सीड बनाते हैं और कुछ गुणवता वाले मक्का से कौर्न फ्लेक्स जैसे आईटेम को बनाते हैं और 250 रुपये के.जि., 200 रुपये के.जि. तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं तो मैं कहता हूँ कि यह काम बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। यदि आपको इनवेस्टमेंट करना है। माननीय सदस्य उमेश जी जैसे कुछ साथी लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में शुरू किया है मैं कह रहा हूँ कि गर्वनमेंट का एप्रोच और इनवेस्टमेंट उस डायरेक्शन में क्यों नहीं हो सकता है और सरकार को उस डायरेक्शन में बढ़ने की जरूरत है। राज्य की उत्पादता, टोटल प्रोडक्टिविटी में कृषि चूँकि सबसे बड़ा सेक्टर है इसलिए इसका थोड़ा भी कट्टीब्यूशन स्टेट के टोटल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है तो क्यों नहीं उस डायरेक्शन में हम काम करें। यह एक अच्छी राय है। राष्ट्रीय जनता दल को हमेशा इस रूप में बदनाम करने की कोशिश होती है कि डिस्ट्रिक्टिव बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कंस्ट्रक्टिव एप्रोच रखकर सरकार को यह सजेस्ट करने का फैसला किया है कि इस कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, गुणवता को बढ़ाने के लिए, ज्यादा इनवेस्टमेंट की जरूरत है और इसमें सब दल से ऊपर उठकर इन बातों से सबकी सहमति होगी। क्रमशः....

टर्न-13/03.7.2019/बिपिन

श्री आलोक कुमार मेहता: क्रमशः ... बिहार में शोरूम बनाए जा रहे हैं, शोरूम इन्वाईट किए जा रहे हैं, दर्जिलिंग फेस पटना का बनाया जा रहा है। शोरूम क्या है? शोरूम में यदि कोई समान बिकता है तो वह बिहार की जनता के द्वारा उत्पादित सामान नहीं है। यह आउट-फ्लो ऑफ इकॉनॉमी को इंगित करता है। बिहार में यदि एक भी चीज शोरूम से खरीदते हैं तो बिहार का पैसा बिहार के बाहर जा रहा है लेकिन हम यदि उत्पादन केंद्र बिहार के अंदर स्थापित करें, कृषि आधारित उद्योग जिसकी संभावना बिहार में बहुत ज्यादा है और वही एक उद्योग है जिसको हम दिन दूनी रात चौगुनी के प्रगति के रास्ते पर ले आ सकते हैं तो उस क्षेत्र में यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम एलौकेशन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके लोकेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और बिहार की टोटल प्रोक्टिविटी में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा और मैं समझता हूँ कि बिहार कटोरा लेकर खड़ा होने की स्थिति में जो बनता जा रहा है, केंद्र सरकार अभी माननीय प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री जी हैं और इन्हीं के पार्टी की सरकार केंद्र में है, हमें खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि इसी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात सबसे पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने उठाया था। माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको आगे बढ़ाया था। अब यह बिहार के हर जनता की मांग है। इस मांग को मैं बहुत गंभीरता के साथ माननीय मंत्री जी

के सामने या माननीय मंत्री जी के माध्यम से हम केंद्र सरकार को माननीय सदन के माध्यम से केंद्र सरकार के पास रखना चाहते हैं कि बिहार की जनता इन चीजों का इंतजार कर रही है और जितने बड़े मैंडेट के लिए मैं बधाई देता हूं लेकिन उस मैंडेट के साथ ही ये सारी जिम्मेवारियां माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सरकार के मंत्री जी के माध्यम से और सरकार को हम कहना चाहते हैं कि यह अपेक्षा जनता की है और जनता इसको भूलने वाली नहीं है। बिहार में जो आउट-फ्लो ऑफ इकॉनॉमी है उसको रोकने और

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब शॉर्ट कीजिए। आपका टाइम ...

श्री आलोक कुमार मेहता: जो इन-फ्लो ऑफ इकॉनॉमी होना चाहिए जो यहां के उत्पादन से बढ़ेगा क्योंकि हम कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देते हैं, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां उत्पादित सामान यदि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में बिकने लगे, यहां की सब्जियां बाहर जाने लगे, यहां के अन्न बाहर जाने लगे, मूल्य संबद्धन के साथ मक्का सिर्फ भेज कर बिहार का जो इकॉनॉमी वायबिलिटी की बात कर रहे हैं वह अब होने वाला नहीं है। मक्का से बना हुआ सामान जब बाहर जाएगा तो दोगुने, तिगुने मूल्य बिहार के अंदर आएंगे, तब बिहार की समृद्धि होगी। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री और देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है और यह भारत के लिए एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और इस बात को हम दुहराना चाहते हैं।

महोदय, वर्मी कंपोष्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो इको-फैंडली एक्टिविटी का हिस्सा है और उसके द्वारा पर्यावरण से लेकर और खाने-पीने की चीज में जो एक केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से हम जहर ले रहे हैं उसको भी रोकने की व्यवस्था है लेकिन यह वर्मी कंपोष्ट का जो प्रोडक्शन है बिहार के अंदर, वह बहुत ही शर्मनाक रूप से उसको डिस्करेज किया गया है। मैं नहीं कहता कि सरकार ने अपने स्तर से नीतिगत स्तर पर डिस्करेज किया है लेकिन जो सिस्टम में लोग बैठे हैं वो गुणवत्ता की जांच के नाम पर, मोआयस्चर कंटेंट के नाम पर वहां पर तरह-तरह के कॉर्मशियल एक्टिविटी शुरू कर दिया लोगों ने और जो जेनुइन वर्मी उत्पादक था, उनका वर्मी उत्पादन उनके घर पर पड़ा हुआ रह गया और जो वर्मी कंपोष्ट के माध्यम से, वह कुछ व्यापार नहीं था, वह किसी के जीविका का साधन नहीं था, वह पूरे पर्यावरण को प्रभावित करने वाला क्षेत्र था। मैं समझता हूं कि उन चीजों को निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो हालात हैं, पानी की समस्या पूरे देश में हो रही है, बिहार में बहुत ज्यादा हो रही है, अनावृष्टि और देर से बारिश, इन सारी चीजों के लिए मैं नहीं कह सकता कि सरकार मात्र जिम्मेवार हो सकती है लेकिन हम उससे रेस्क्यू करने के लिए या प्रिवेटिव ऐक्शन नहीं करने के लिए हम जरूर सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। यहां आपदा प्रबंधन विभाग बना। जब आपदा प्रबंधन कमीशन केंद्र में बन रहा था, मैं संयोग से उस समय सांसद था।

मैंने उसमें बहस में हिस्सा लिया था । हमने उसमें कहा था कि यह आपदा प्रबंधन आपदा आने के बाद मात्र करने वाली गतिविधि का हिस्सा नहीं होना चाहिए, यहां आपदा को रोकने की गतिविधि का भी हिस्सा होना चाहिए । मैं कहता हूं कि जल स्तर यदि नीचे जा रहा है तो फिर कुछ प्लानिंग तो होनी चाहिए.....

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब समाप्त कीजिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता: दो मिनट में मैं अपनी बात को कंक्लुड करता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सोलर वाटर पंप से पानी को निकाला जाएगा । यह सोलर वाटर पंप क्या पानी के जल स्तर को उपर करेगा या नीचे करेगा ? पहले जल संरक्षण की व्यवस्था जल संग्रहण की व्यवस्था और वाटर रीचार्ज जो जमीन के अंदर होना चाहिए उसकी व्यवस्था होनी चाहिए । मेरी एक राय है कि सरकार का जितना गैर-मजरूआ जमीन है उसको पहले आइडेन्टिफाई करें और उसमें तालाब बनाने की और जलाशय बनाने की योजना सबसे पहले उन जगहों में शुरू करे और उसके बाद जो मोटिवेशन के तौर पर आम जनता को भी जो सरकार ने सबसिडी एनाउंस किया है उसको और बढ़ावे ताकि जल संरक्षण की व्यवस्था, जल संग्रहण की व्यवस्था वाटर रीचार्ज जमीन के अंदर होगा ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : बहुत अच्छा । अब माननीय सदस्य समाप्त कीजिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता: जी । महोदय, हमारे पार्टी का काफी समय है । हमको लगता है कि हम ऐडजस्ट कर सकते हैं इसलिए एकाध मिनट यदि और है तो ...

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : और लोग कट जाएंगे ।

श्री आलोक कुमार मेहता: अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से...

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य शिवचंद्र राम जी हैं, सीताराम बाबू हैं ...

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, जो कृषि उत्पादन है...

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्रीमती अमिता भूषण ।

श्री आलोक कुमार मेहता: एक प्वायंट है सर । अंतिम प्वायंट सर । उसमें है कि किसानों के आय को दोगुनी करने की जितनी भी घोषणाएं हैं इलेक्शन के पहले की, सबको बढ़ाकर 2022 कर दिया गया चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो लेकिन मेरा कहना है कि इससे पहले सरकार को निश्चित रूप से एक सर्वे जरूर करा लेना चाहिए कि लागत मूल्य क्या है । जो हमारी समझ है आज 1500 के लगभग सपोर्ट प्राइस धान में दिया जा रहा है लेकिन पहले जो था वह लगभग साढ़े तेरह सौ, चौदह सौ रूपए प्रति किंवंतल था....

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब बैठिए माननीय सदस्य । आप बैठ जाइए । बहुत अच्छा । माननीय सदस्य अमिता भूषण जी, आप शुरू कीजिए ।

श्रीमती अमिता भूषणः माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय में सम्मिलित कृषि विभाग द्वारा लाए हुए अनुदान की मांगों के विरोध में और कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है लेकिन आज की वर्तमान परिवेश में ये सारी बातें किताबी रह गई हैं और सही मायने में कहा जाए तो अतिश्योक्ति होगी, अब तो प्रश्नों में भी यह नहीं पूछा जाता है कि सप्रसंग व्याख्या करें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है या यह भी नहीं पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने क्यों कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और अगर गांव का विकास होता है तो सही मायनों में भारत का विकास होगा।

हमारा प्रदेश भारत का दिल है। अगर इसे भौगोलिक रूप में देखा जाए तो बिहार की ज्यादातर आबादी अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर करती है लेकिन आज सभी जनप्रतिनिधि सदन में अपने आपसे पूछें कि अपने-अपने क्षेत्र में कृषि पर आधारित जनमानस की वर्तमान स्थिति क्या है। उनका ज्यादातर समय प्राकृतिक आपदाओं का सामने करने में ही निकल जाता है। आज की स्थिति यह है कि अपने क्षेत्र में जहां हम बाढ़ से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें सूखे की मार का दंश भी झेलना पड़ रहा है और संयोग से मैं जिस जिले से हूँ, बेगूसराय जिला, वहां के किसानों को, वहां के लोगों को बाढ़ और सुखाड़ दोनों को झेलना पड़ता है ...क्रमशः

टर्न-14/कृष्ण/03.07.2019

श्रीमती अमिता भूषण : महोदय, यह एक सार्वजनिक तथ्य और आंकड़ा है कि लगभग बिहार की 74 प्रतिशत श्रम शक्ति की जीविका कृषि और उसकी सम्प्रति गतिविधियों पर निर्भर करती है। वर्ष 2000 में झारखण्ड के अलग राज्य के रूप में स्थापना के पश्चात् बिहार राज्य वास्तविक तौर पर कृषि प्रधान राज्य हो कर रह गया। सुनने और सुनाने में यह गर्व का विषय हो सकता है कि हम तकरीबन 93 लाख हेक्टेअर क्षेत्रफल वाले प्रदेश हैं, जिसमें लगभग 76 लाख हेक्टेअर सकल बोआई का क्षेत्र है। पर इन आंकड़ों के आवरण के पीछे सच्चाई पर कर्तई गौरवान्वित नहीं हो सकते हैं।

महोदय, निम्न उत्पादकता, बढ़ती लागत, सही दाम नहीं मिलना, कृषि से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का अभाव, जल प्रबंधन नीति का अभाव, पूँजी की कमी इत्यादि समस्याओं से झूझता बिहार की खेती और यहां के किसान जिन परिस्थितियों में जीते हैं, उसे किसी लच्छेदार भाषणों और रोज-रोज की सरकारी घोषणाओं से नहीं बहलाया जा सकता है।

महोदय, गांवों की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ कृषि है। खेती से जुड़ा हर सख्स हमारे लिये भगवान है। अगर आजादी के 70 सालों के बाद भी हमारा भगवान भूखे पेट सोने को मजबूर है तो इसके लिये किस की जिम्मेदारी तय की जाय? वह भी तब जब 15 वर्षों से आप की सरकार हर रोज यह कहती आ रही है कि न्याय की दृष्टि से यह धरती किसानों की है। महोदय, मेरा मानना है कि पिछले कई वर्षों से कृषि की समस्या को हम सिर्फ आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखते चले आ रहे हैं। परन्तु इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है, जिसे सरकार में बैठा सत्ताधारी दल जान-बूझकर इसे नजरअंदाज करता है क्योंकि किसान आज भी जाति धर्म से परे हैं और कोई थोक वोट बैंक नहीं रह गया है। इसलिए सरकार इस वर्ग के लिये करई चिन्तित नहीं है। हाँ, चिन्तित दिखते रहने का हम प्रयास जरूर करते हैं। तभी तो कृषि के लिये कृषि रोड मैप बनाया गया है और कृषि कैबिनेट पर जितनी योजनायें बनती हैं, उसी के अनुपात में कृषकों की दशा और बिगड़ती चली आ रही है।

महोदय, आजादी के बाद हम संपूर्ण साधनविहिन, संसाधनविहिन होते हुये भी नैतिक बल और एक नैतिक नारा "जय जवान जय किसान" के साथ हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति में सक्षम हो गये और करीब 50 सालों के अपने शासनकाल में कांग्रेस की सरकारों ने देश में तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र की श्रेणी में ला दिया तब आज खेती किसानी घाटे का सौदा बन गया। महोदय, यह हमारे लिये चिंता का विषय हो सकता है पर आप के लिये चिन्ता और चिन्तन का विषय दोनों ही है। सदन में बैठे यहां सारे लोग कहीं-न-कहीं कृषि से जुड़े हये हैं, कृषि की हर समस्या से अवगत हैं फिर भी यह राज्य कृषि की दशा को सुधारने में सक्षम क्यों नहीं है?

महोदय, कृषि से जुड़े बिन्दु मुख्य रूप से सीमित हैं। कृषि को प्रभावित करनेवाले कारक भी संज्ञान में हैं। जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इन कारकों को महज कागजी नहीं बल्कि वास्तविक मूर्त रूप दें। जहांतक मैं समझती हूँ कि खेती को प्रभावित करनेवाले जिम्मेदार कारक मुख्य रूप से सिंचाई, पशुपालन, उत्पाद का सही भंडारण और सही दाम आदि हैं। पिछले 15 सालों से तथाकथित सुशासन और न्याय के साथ विकास की सरकार है फिर भी ज्ञात कारणों का वास्तविक कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर सिंचाई की बात करें तो बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी कृषि मौनसून पर आधारित है। बिना पर्याप्त सिंचाई सुविधा के खेती सही तरीके से नहीं हो सकती है। फिर इतने बड़े बड़े रोड मैप और कृषि कैबिनेट के बाद भी सिंचाई की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है?

मेरे जिले बेगुसराय में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 350 सरकारी नलकूप हैं इनमें से सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 130 नलकूप चालू हैं। हालांकि ये आंकड़े भी वास्तविक

नहीं है। सच तो यह है कि इसमें से 30 या 35 नलकूप ही चालू हैं। वर्षों से बंद पड़े होने के कारण नालों को अतिक्रमित कर ध्वस्त किया जा चुका है। कहीं ट्रांसफरमर नहीं हैं तो कहीं ऑपरेटर नहीं है। सरकार ऑपरेटर को पैसे देती है तो ये ऑपरेटर क्या ऑपरेट करते हैं, किसी को मालूम नहीं है। यह सरकार को भी मालूम नहीं है। पर सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिये बुकलेट छपाई जाती है, अच्छा भी लगता है पढ़ने और सुनने में दोनों में। लंबे चौड़े उपलब्धियों का बखान मिल जाता है। प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर चल रहे सिंचाई योजना हमारे किसानों को मालूम नहीं है। इसके लिये जागरूकता के कार्यक्रमों की जरूरत है। किसान तो बस नाम सुनते हैं कि डीजल अनुदान आनेवाला है और कबतक यह न किसान को मालूम न सरकार को मालूम है।

महोदय, एक बेगूसराय जिले में सिंचाई की स्थिति यह है कि तो पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी, इस का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरी सरकार से मांग है कि बेगूसराय सहित राज्य के हर जिले में बंद पड़े नलकूपों को जीर्णोद्धार कराकर इसे चालू करवाया जाय ताकि किसानों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिल सके।

महोदय, कृषि और पशुपालन का संबंध हम सभी जानते हैं। राज्य के पशुपालकों की हालत बदतर है। ज्यादातर जिले में पशुपालन कार्यालय भवन नहीं है। बेगूसराय जिला भी इसी सूची में है। जबकि हमारे यहां पुशपालन विभाग के लिये कार्यालय भवन के लिये पर्याप्त जमीन भी है जिसका लगातार अतिक्रमण हो रहा है। प्रशिक्षित गोपाल मित्र बेरोजगार बैठे हैं। पशु अस्पतालों में लटके ताले सरकार के न्याय के साथ विकास की बात मुंह चिढ़ाती हुई नजर आ रही है। मैंने सरकार से बेगूसराय जिले में विभाग की जो वहां पर हमारी जमीन है उसके लिये मुर्गी दाना और पशु चारा दाना की फैक्ट्री खोलने का आग्रह किया था। सरकार की तरफ से जवाब भी आया था कि वह विचाराधीन है। सरकार का विचार कब आयेगा, यह किसी को नहीं मालूम।

महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि सरकार हर जिला में पशु उपचार केन्द्र का जीर्णोद्धार करते हुये वहां की प्रशिक्षित गोपाल मित्रों की नियुक्ति करे। महोदय, मैं बेगूसराय का नाम बार-बार ले रही हूं क्योंकि मैं उस जिले से हूं और वहां की स्थिति के संबंध में बाकी साथी से भी बात करती हूं तो पता चलता है कि हर जगह की यही स्थिति है। यदि सरकार सचमुच कृषि और किसानों की दशा सुधारने को संवेदनशील है, राज्य के किसानों को उत्तम बीज और खाद की उपलब्धता पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे। महोदय, उर्वरक की काला बाजारी आये दिन सुर्खियों में रहती है। बीज की हालत यह है कि गत वर्ष मक्के की खराब बीज की वजह से पूरे राज्य के मक्के के फसलों में दाने नहीं आये। मक्का किसानों के बीच में भूखमरी की हालत हो गयी है। आज तक सरकार सही किसानों की सूची ही नहीं बना पायी है। कहने को बीज के लिये सरकार

की दर्जनों योजनायें चल रही हैं, बीजों के प्रसंस्करण, संरक्षण, भण्डारण पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकर का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ।

महोदय, बेगूसराय जिले में एक मक्का अनुसंधान केन्द्र है। वर्षों से बंद पड़ा है या बंद करने के कगार पर है। कई बार मैंने मांग की कि वहां एक कृषि विद्यालय की स्थापना की जाय और उसके माध्यम से कृषकों को प्रशिक्षण और अनुसंधान पर बल दिया जाय, पर सेलेक्टेड स्थानों पर ही इसकी घोषणा की जाती है जबकि बेगूसराय जिले के पास इसके लिये पर्याप्त जमीन है।

महोदय, कृषि यंत्रों पर सबसीढ़ी समृद्ध किसानों को तो मिल जाती है पर छोटे और पट्टाधारी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। भूमि सुधार की बात सरकार बार-बार करती है, पर इस पर हाथ डालने से डरती है। ज्यादातर कृषक पट्टे पर खेती करते हैं जिसमें जमीन के कागजात उनके नाम पर नहीं होते, जिनके कारण सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। धीरे-धीरे खेती उनके लिये घाटे का सौदा होने लगता है और फिर वे पलायन कर जाते हैं। आज भी पटना रेलवे जंक्शन पर या बिहार के किसी भी अन्य राज्यों के रेलवे जंक्शन पर देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की जो भीड़ मिलेगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे बिहार के किसान मजदूर हैं। वे क्यों जाते हैं इस पर भी गौर करने की जरूरत है। सरकार से हमारी मांग है कि भूमि सुधार की दिशा में सरकार समुचित कदम उठाये ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे छोटे-छोटे किसानों को भी मिल सके, पट्टेदार किसानों को भी मिल सके।

महोदय, मिट्टी जांच केन्द्र के नाम पर बंदर बांट चलज रही है। मेरी मांग है कि मिट्टी जांच प्रयोगशाला का विस्तार पंचायत स्तर तक हो ताकि किसान मिट्टी के गुणधर्म के हिसाब से फसलों का चयन कर सके।

क्रमशः :

टर्न-15/अंजनी/दि0 03.07.19

श्रीमती अमिता भूषण : क्रमशः.... मुद्दे और भी हैं, तमाम कठिनाई के बावजूद इसके अन्दाता हमारे खेती कर रहे हैं, पर उनकी अन्न उत्पादन की लागत भी वसूल नहीं हो पाती है। उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता है। धान और थोड़ी-बहुत गेहूँ के अलावे अन्य फसलों का पैक्स खरीद नहीं करती है। समर्थन मूल्य से नीचे पर अपनी फसलों को बेचना उनकी अपनी मजबूरी हो जाती है। घोषणायें हमने भी सुनी हैं कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी होनेवाली है, पर आंकड़े और हालात इन घोषणाओं के बिल्कुल विपरित हैं। पैक्स से जो खरीद होती है, उसका ससमय भुगतान नहीं हो पाता

है और न ही खरीदी गयी फसल के भंडारण की समुचित व्यवस्था है। सरकार यदि सचमुच में इन किसानों की दशा सुधारना चाहती है तो फसलों का सही मूल्य और भंडारण पर जोर देना पड़ेगा। फसल बीमा योजना, किसान सम्मान योजना महज बोट बैंक के हथियार के तौर पर उपयोग में लायी जा रही है। जैविक खेती, जैविक कृषि कॉरिडोर के हवाई घोषणा किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है। व्यवसायिक खेती से किसानों का मोह भंग हो रहा है। यदि हम गन्ना के उदाहरण के तौर पर लें तो करीब 15 गन्ना चीनी मील बंद पड़ी हुई है, जबकि 54 लाख हेक्टेयर में से करीब 2.85 लाख हेक्टेयर में गन्ना की खेती होती है। जब चीनी मिलें ही बंद होंगी तो किसान गन्ने का उत्पादन क्यों करेगा? महोदय, कृषि हम सब के लिए एक ऐसा विषय है, जिसपर यदि हम कृषकों की पीड़ा एवं सरकारी रवैयों की चर्चा करें तो एक पूरा सत्र काफी है। बेहतर हो सरकार उदासीन रवैया छोड़कर कृषि की मूलभूत समस्याओं के निवारण पर यथार्थ तरीके से ध्यान दे, हमारे राज्य के किसान आज भी संयमित हैं, यह सरकार के लिए राहत की बात है, पर किसी दिन उनके अन्दर की चिंगारी अगर बाहर आ गयी तो सरकार मुंह छिपाती फिरेगी। अपनी इन्हीं भावनाओं और शंकाओं से सरकार को अवगत कराने का मेरा एक प्रयास है। आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं सदन के प्रति आभार हूँ और विशेष रूप से अपने सचेतक राजेश कुमार जी के प्रति आभारी हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह): बहुत धन्यवाद, आपने ससमय समाप्त कर दिया। अब माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी। आपका दो मिनट टाईम है।

श्री सुदामा प्रसाद : सभापति महोदय, राज्य और केन्द्र सरकारों की कॉरपरेट प्रश्न नीतियों के कारण देश और बिहार की खेती घाटे में जा रही है। 76 प्रतिशत खेती होती है और बाकी के 24 प्रतिशत जो लोग हैं, आबादी का जो हिस्सा है, वे दूसरे पेशे में हैं। वर्ष 2010 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि सुधार आयोग का गठन किया था और उस आयोग ने कहा था कि 77 परसेंट खेती बटाई पर होती है। घाटे की खेती का भार बटाईदार किसान लोग अपने कंधे पर उठाकर चल रहे हैं और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने प्रतिवेदन में कहीं भी बटाईदार किसानों का जिक्र तक नहीं किया, जो खेती का भार उठाये हुए है अपने कंधे पर, उसका कहीं जिक्र न हो तो यह बड़े ताज्जुब और दुःख की बात है। मैं सभापति महोदय के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी और सरकार से यह अपील करूँगा कि आपने अगर इतना भारी भरकम बजट बनाया है और जो दावे ठोक रहे हैं, वह बटाईदार किसानों को नहीं मिल रहा है उसका एक पैसा भी, इसलिए कि बटाईदार किसानों को, खुद को किसान साबित करने के लिए उनके पास कोई प्रुफ नहीं है तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे

कि वह बिहार के बटाईदार किसानों का सर्वे कराये और उनको पहचान पत्र दे ताकि उन्हें भी खेती का लाभ मिल सके। यह मेरा पहला सुझाव है। दूसरा सुझाव यह है कि माननीय मंत्री जी अपने प्रतिवेदन में जल संचय का उपदेश दिया है, यह अच्छी बात है लेकिन जल संचय होगा कैसे? हर साल सोन नदी का 11 लाख से लेकर 13 लाख क्यूसेक पानी बेकार में बह जाता है। कदवन डैम का काम अधर में लटका हुआ है। वर्ष 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र जी ने उसकी आधारशीला रखी थी, करोड़ों खर्च हुआ, अगर उस कदवन डैम को हमलोग बना लें तो फिर अकाल की चिंता नहीं करनी होगी कि अकाल पड़ेगा बिहार में। बिहार अकेले सक्षम है बिहार के ये सात जिले, सोन नहरी इलाके के जो पूरे बिहार को ही नहीं झारखण्ड का भी पेट भर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और अगर ये आप काम कर देते हैं तो इतिहास बनेगा। तीसरा सुझाव बाजार को लेकर है। दावे 30 लाख मैट्रिक धान की खरीद की होती है कि 30 लाख मैट्रिक धान का खरीद होगा लेकिन यह कोई बता दे कि जिस समय सरकार धान की खरीद 15 नवम्बर से लेकर 31 मार्च तक करने का एलान करती है लेकिन क्रय केन्द्रों पर किसानों का एक छटांक धान लिया जाता हो, क्रय केन्द्रों पर ताले लटके रहते हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि जिस तरह से पंजाब में किसानों से खलिहान में ही धान की खरीद की व्यवस्था है, बिना किसी कागज पत्र के, जैसे ही कटनी शुरू हो धान की, गेहूं की तो उसी समय अगर सरकार किसानों से खलिहान में उनका अनाज ले ले तो कहीं कोई बिचौलिया को मौका नहीं मिलेगा। बिचौलियों को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं समझता हूँ कि बिचौलियों को अगर आप क्रय केन्द्रों से भगाना है तो किसानों से खलिहानों में धान और गेहूं की व्यवस्था करे। यह तीन मेरा सुझाव है और जो है मत्स्यपालन और मुर्गीपालन, वह सब तो है ही, कितना दावा ठोका गया है खर्च का, इतने लोगों का भ्रमण कराया गया, कौन भ्रमण कर रहे हैं, हम तो समझते हैं कि उसमें एक भी बटाईदार किसान नहीं होंगे। तो मुझे यह तीन सुझाव देना है सरकार को और हमारे इलाके में सुखाड़ नहीं पड़े, इसके लिए एक अपील करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि मुंजी, जो काराकाट ब्लॉक में रोहतास में है, वहां से लेकर भोजपुर के सरफोरा, तरारी प्रखण्ड में है, वहां तक एक नयी नहर खुदवा दें, जगह है सात-आठ किलोमीटर में और उससे दस हजार एकड़ किसानों के धान की और गेहूं की फसल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति(मो० नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य शिवचन्द्र राम जी। आपको पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करना है।

श्री शिवचन्द्र राम : सभापति महोदय, कृषि विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में और सरकार द्वारा लाये गये अनुदान मांग के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति

महोदय, कृषि विभाग पर चर्चा चल रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथी अपने-अपने विचार से लोगों के बीच में जनता के जनमानस के लिए, जनता के विकास के लिए लोग अपनी परिचर्चा कर रहे हैं। अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं देश में और इस राज्य में, मैं सिर्फ अपने क्षेत्र से लेकर जिला की जो समस्यायें हैं, कई साथियों को हमने देखा कि चिल्ला-चिल्लाकर सरकार की बातें कर रहे थे लेकिन सभापति महोदय, चाहे लाख कुछ कर ले, जबतक इच्छाशक्ति बिहार के मुख्यमंत्री या कृषि विभाग के मंत्री का नहीं होगा, तबतक इस राज्य में किसानों का भला होनेवाला नहीं है। ये सिर्फ इच्छाशक्ति है कलम से कागज पर, जमीन पर कहीं दिखायी नहीं देता। इसमें यही नहीं, अगर कागज पर नहीं है, यदि जमीन पर है तो हमारा दो-तीन सवाल है। माननीय मंत्री जी हैं, हमारा कहना है कि सबसे पहले कि यदि आप कृषि का विकास करना चाहते हैं, कृषि को बढ़ाना चाहते हैं, बिहार के किसान को खुशहाली में लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कृषि को उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा।

...क्रमशः.....

टर्न-16/राजेश/3.7.19

श्री शिवचन्द्र राम, क्रमशः जब तक कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक आप लाख चिल्लाकर रह जाइये किसानों का भला होने वाला नहीं है। आज के डेट में भी चला आ रहा है चमकी बुखार, तो हम पूछना चाहते हैं कृषि मंत्री जी से, अपने जवाब में ये बतायेंगे कि लीची आज बिहार का ही नहीं बल्कि सदियों से बिहार के मुजफ्फरपुर का लीची पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाता रहा है और लोगों ने रिसर्च किसपर करने का काम किया और कहा कि लोग लीची के कारण ही आज बिमार पड़ रहे हैं, वहाँ के तमाम किसानों का लीची बर्बाद हो गया, फेंका गया, तो हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार उन किसानों को जिनकी लीची बर्बाद हुई है, तो क्या उनको मुआवजा देने का काम करेंगे? यही नहीं सभापति महोदय, अगर ये सही रूप से इसकी जांच चाहते हैं, तो जितने भी राज्य में नहर हैं, उसकी उगाही करें और उसमें सदा के लिए पानी रहे, इसकी व्यवस्था करें तब जाकर किसानों का खुशहाल जीवन इस बिहार राज्य में हो सकता है, यही नहीं अभी हमारा जैविक खाद, मैं वैशाली जिला की बात कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वैशाली जिला में जैविक खेती के लिए किसानों को सब्जी का बीज, बर्मी कंपोस्ट दवा और बायोकिट नाशक दवा के लिए इनपुट सबसिडी के लिए प्रावधान लाया गया, जिसमें किसानों को छः हजार रुपया देना है, तो इस छः हजार रुपया में एक रुपया भी, मैं आपको बता रहा हूँ 2017-18 में, एक रुपया भी किसी किसान को नहीं मिला और पदाधिकारी और डीलर के द्वारा इसको घोटाला कर लिया गया, करें इसकी जांच, ये जांच करके वैशाली जिला का बताए, पूरा

इसका घोटाला कर लिया गया और इसपर लिखा पढ़ी हुआ, तो उस समय के जो प्रधान सचिव थे, प्रधान सचिव जी ने वहाँ दिनांक 30.6.2018 को राज्य नोडल पदाधिकारी संजय कुमार जी के नेतृत्व में जांच टीम बनी और जिला के लालगंज और राघोपुर में इसका जांच हुआ और जांच में सही पाया गया लेकिन लोगों ने मिलजूल करके, लीपापोती करके, सरकार को धोखा देने का ही काम नहीं किया बल्कि बिहार के किसानों को भी धोखा देने का काम किया, डीलर से मिलकर इसका लीपापोती किया गया, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सचमुच में किसानों का भला चाहते हैं सभापति महोदय, तो आप एक कमिटी विधान सभा की बनाकर इसकी फिर से जांच करा लिया जाय, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी निकल जायेगा, यही नहीं सभापति महोदय, आगे का कार्यक्रम हमारा है, वैशाली जिला की ही बात मैं कर रहा हूँ, 2015-16 में शंकर धान इसके लिए कई बार जिस कमिटी में मैं मेम्बर हूँ, उस कमिटी ने एक बार नहीं बल्कि दस बार बुला करके पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की, कमिटी गयी जांच करने वैशाली जिला में लेकिन जो किसान का धान पर जो सबसिडी 100 रुपया प्रति किलो दिया जाता था, उसमें शंकर धान 4399.18 किंवटल बॉटा गया और बॉटकर अनुदान की राशि इसका 439.918 लाख होता है, 121.644 लाख का भुगतान का अनुदान होता है, आज भी किसानों का और बिक्रेता का 318.274 लाख का भुगतान नहीं किया गया और जांच पर जांच हो रहा है, बड़े-बड़े आश्वासन दिये जा रहे हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, हमको यह लगता है कि सुशासन बाबू की सरकार में नीचे से लेकर उपर तक इसका लीपापोती करके किसान और बिक्रेता को कुछ मिलने वाला नहीं है जबकि लोग लोक शिकायत निवारण में भी वहाँ का किसान और वहाँ का डीलर जाने का काम किया, याचिका दायर किया, याचिका जो है, वह 26.4.2017 को उनलोगों को न्याय मिला और जिन्होंने अपील की थी, उसको न्याय मिला और जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली को कहा कि आप 15 दिनों के अंदर में आप किसान और डीलर को राशि का भुगतान करें लेकिन यह सरकार आज तक नहीं की और अभी तक जांच ही जांच चल रहा है, यह तो स्थिति बन गयी है सभापति महोदय और ये विकास की बात करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, वही नहीं हमारे यहाँ नहीं बल्कि जहाँ भी दहाई क्षेत्र है नदी के किनारे या दरियाव के किनारे जो रहते हैं, वहाँ टाल दियारा विकास योजना है, बहुत सारे साथी हमारे जान भी नहीं रहे हैं, यहाँ पर ये लोग किसान सम्मान की बात करते हैं, डेवलप की बात करते हैं और टाल दियारा क्षेत्र योजना हमारा है, हमारे मित्र भी यहाँ अभी नहीं है, वे चले गये, बड़ा भाषण दे रहे थे उमेश कुशवाहा जी, ये हमारे जिला के हमारे मित्र है। सभापति महोदय, वर्ष 2018 में देशरी प्रखंड में टाल दियारा योजना है उसके लिए बीज देना है, उसपर सबसिडी है 6400 रुपया में 3200 रुपया, किसानों को सबसिडी देना है, तो इस सबसिडी में वहाँ क्या किया गया,

हमारे देशरी प्रखंड के जहाँगीरपुर साव, रुसुलपुर हबीब, भीखनपुरा और सहदेह प्रखंड के हमारा मरउअतपुर, सुलतानपुर, नया गाँव पश्चिमी और नया गाँव पूर्वी सभापति महोदय, वैसे किसान के नाम का नामकरण किया गया, जिसको कि एक कट्ठा में घर बनाने का जगह है, कोई जमीन नहीं है, उसको खाता पर पैसा ट्रान्सफर किया गया, ये जांच कर लें, मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, अगर ये चाहते हैं कि किसानों का विकास हो, तो ये काम करें, हम इन्हें सिर्फ आईना दिखाना चाहते हैं, ये बोलते हैं विपक्ष हमें आईना दिखायेगा तो हम आगे काम करेंगे, माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा लें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। यही नहीं सभापति महोदय, दूसरा हमारा यह था कि ये सभी लोग मिलकर चाहे हमारा डीलर हो, पदाधिकारी हों, ये मिल करके आज सफाचट करने का काम किया है, इसकी तो ये जांच करा लें, यही नहीं आगे जो वैशाली मेरे ही क्षेत्र में 2017-18 की योजना, जितनी भी योजनाएँ आयी, विभिन्न योजनाएँ जो आती हैं, जो साल की योजना हैं मात्र सभापति महोदय राजापाकर विधान सभा क्षेत्र के राजापाकर प्रखंड के भलुई पंचायत में और देशरी प्रखंड के जहाँगीरशाम पंचायत में और सहदेह प्रखंड के सलाह पंचायत में तमाम योजनाएँ यानि मात्र तीन ही पंचायत में इनके विभाग के लोगों ने दे देने का काम किया, क्या यही सरकार का काम है, आप जितनी योजनाएँ भेज रहे हैं वह शहर के सभी पंचायतों के लिए है और सभी गाँवों में इसका विकास होना चाहिए लेकिन एक पंचायत में ही इसे दे दिया गया, इसको कोई देखने वाला नहीं, अगर मंत्री जी हमारी बातों को सुनते हो, तो निश्चित रूप से इसकी जांच करवाये और जांच करकर दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें।

सभापति(श्री मोरेमतुल्लाह):माननीय सदस्य, आपकी बातों को संसदीय कार्य मंत्री नोट कर रहे हैं।
श्री शिवचन्द्र राम: सभापति महोदय, ये क्या लिखेंगे, क्या देखेंगे, ये तो जान रहे हैं कि इनका कुछ चल नहीं रहा है। यही नहीं सभापति महोदय, ये भी माननीय है और हमलोग भी माननीय हैं, यहाँ पर सारे लोग माननीय हैं। सभापति महोदय, वैशाली जिला का यह ज्वलंत मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, इंतजार करते रहता है, हमारे यहाँ सेन्ट्रल ऑफ एक्सिलेंस फॉर फूड का भवन बनाया गया और इसके लिए विदेश की सरकार ने पैसा दिया और मंत्री जी चुपचाप जाते हैं और उसके पदाधिकारी के कहने पर फीता काटते हैं शिलान्यास का, ये चुपचाप चले जाते हैं और वहाँ के माननीय है, उनको कोई सूचना नहीं रहता है, वहाँ के माननीय जब पदाधिकारी से बात करते हैं, तो पदाधिकारी कहता है कि हमको भी पता नहीं, तो जब आपको ही पता नहीं, तो इसका उद्घाटन किसने करवाने का काम किया, यह स्थिति बन गयी है, इस कृषि विभाग का काम राम भरोसे ही चल रहा है (व्यवधान)

सभापति (श्री मोरेमतुल्लाह): माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री शिवचन्द्र राम: इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कृषि को सचमुच में विकास करना चाहते हैं लेकिन इनसे कृषि का विकास नहीं होगा, जब तक इनके अंदर इच्छाशक्ति नहीं जागेगी, तब तक कृषि का विकास होने वाला नहीं है, इसलिए हमारी जो भी योजनाएँ हैं, जिसकी चर्चा हमने की है, हमारा आग्रह होगा माननीय मंत्री जी से कि वे इन तमाम योजनाओं की जांच कराने का काम करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ प्रसाद।

टर्न-17/सत्येन्द्र/3-7-19

श्री प्रभुनाथ प्रसाद: सभापति महोदय, आज मैं कृषि विभाग के मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ और इसके लिए मैं आसन को और अपने नेता को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार जी को आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, कृषि खेती और वानिकी के माध्यम से खाद और अन्न के उत्पादन से संबंधित ही कृषि है और जो भी हमारे देश की सभ्यता का विकास हुआ है उसमें कृषि का बहुत अहम भूमिका रहा है। महोदय, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर ही आधारित है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जिस घर में दो भाई रहते हों, एक भाई किसान है और दूसरा भाई नौकरी सरकारी नौकरी करता है और संयुक्त रूप से वह घर चला रहा हो तो उसका घर आर्थिक रूप से मजबूत होगा और उसमें से एक भाई अगर अलग हो जाता है नौकरी पेशा वाला तो जो भाई किसानी करता है और वह घर पर रहता है तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। उसी तरह जब झारखण्ड राज्य बिहार से अलग हुआ तो खनिज सम्पदा का क्षेत्र हमलोग से छीन लिया गया और हमारी अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर ही आधारित रह गया। महोदय, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेएर में है और उसमें से केवल 56.3 लाख हेक्टेएर पर ही खेती होती है। महोदय, उसमें से लगभग 79.46 प्रतिशत ही कृषि योग्य भूमि है। महोदय और सिंचाई की जो सुविधाएँ हैं वह मात्र 43.86 पर ही आधारित है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ अगर कृषि का माहौल हो तो माहौल बनाने के लिए पानी, अमन चैन और संसाधन की आवश्यकता होती है। मैं अपने जिले की बात करना चाहता हूँ महोदय, मुख्यमंत्री जी के पद संभालने के पहले वहां पर बहुत सी खूनी रंजीशें हुई थीं वहां के हजारों एकड़े जमीन ऐसी थीं जिस पर खेती नहीं होती थी, वहां पर नरसंहार के कारण लोग डर के मारे खेतों पर खलिहानों पर कार्य नहीं कर पाते थे महोदय। जब 2005 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली तो वहां अमन चैन लागू हुआ और उसके कारण जो शाहाबाद जिला जिसे धान का कटोरा कहा जाता है वह इलाका आज कृषि के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ रहा है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार कृषि की

महत्ता को देखते हुए ही यह कृषि रोड मैप लागू कर रही है, इसी से पता चलता है कि सरकार किसानों के प्रति कितनी गंभीर है। महोदय, जब 2008 में कृषि रोड मैप लागू किया गया तो उसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के हाथों से किया गया है इसी से अंदाजा लगता है कि हमारे नेता कृषि को कितनी गंभीरता से लेते हैं। इतना ही नहीं महोदय, जब तीसरा रोड मैप 9 नवम्बर 2017 को लागू किया गया तो उसमें में भी वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोबिंद जी आकर उस कृषि रोड मैप का उद्घाटन किये। इससे साबित होता है कि हमारे नेता किसानों के प्रति गरीबों के प्रति कितना सचेत रहते हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में बिहार अपना एक अलग स्थान रखता है और जो हमारी सरकार है वह हर प्रखंडों में किसानों के हौसला बढ़ाने के लिए एक सेमिनार 6 महीना पर लगाती रहती है, इसमें प्रोत्साहन के लिए बताया जाता है कि कैसे किसानों को कौन सा बीज कौन सा खाद कौन सा दवा उसमें डालना होगा ताकि उनका उत्पादन क्षमता बढ़ सके। महोदय, कृषि रोड मैप के कारण बिहार में जो खेती का उत्थान हुआ है वह अपना एक अलग स्थान रखता है। इस तीसरे कृषि रोड मैप के लिए महोदय 1 लाख 54 हजार 636 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया है। यह बहुत बड़ी रकम है और इतना ही नहीं आज बिहार चावल और गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में देश में अपना छठा स्थान रखता है महोदय और सब्जी उत्पादन में राज्य जो हमारा है वह देश में तीसरे स्थान पर है महोदय। मैं कहता हूँ आज बिहार लीची के उत्पादन में प्रथम, आम के उत्पादन में चौथे, अमरुद में पांचवा और केला में छठे स्थान पर है महोदय और इतना ही नहीं जो बिहार का बहुत प्रमुख उपज है मखाना उसका देश का 85 प्रतिशत उत्पादन मखाना का बिहार में ही होता है इसके साथ ही साथ महोदय, प्रथम स्थान पर हमारा बिहार है और शहद के मामले में ये बिहार देश के दूसरे स्थान पर है। महोदय, ये सब कृषि में योगदान का ही देन है कि आज हमारे किसान भाई का हौसला बढ़ा है और आज यह बिहार देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों को अगर प्रकृति साथ दे तो बिहार पूरा भारत देश में सभी क्षेत्रों में एक अग्रणी स्थान रखेगा। महोदय, इसी के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जल संधारण के लिए बात की है, आज जो समय चल रहा है पानी को लेकर, अगर जो हमारी कृषि और खेती है, खेती और सिंचाई को हमलोग अलग नहीं कर सकते हैं। खेती के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है महोदय और जो न्यूनतम जल स्तर हमारा भाग रहा है बहुत तेजी से उसका संधारण बहुत ही जरूरी है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अलग से किसानों को खेती के लिए बिजली देने के लिए अलग से ट्रांसफर्मर देने का काम किया है पहले जो किसानों को 100 रु0 पम्प सेट चलाकर पटवन में लगता है अब बिजली से मोटर चलाने पर वे 5 रु0 यूनिट की दर से अदा करते हैं। महोदय, इतना ही नहीं हर क्षेत्र में मशरूम के उत्पादन में, मछली के क्षेत्र

में जो यहां आंध्र प्रदेश से मछली आती थी उसका उत्पादन आज हमारे गांव में हो रहा है महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जबतक किसान का विकास नहीं होगा तबतक हमारे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस नब्ज को पकड़े हुए हैं और चाहते हैं कि किसान को हर तरह से मदद की जाय, हर संभव मदद किया जाय ताकि हमारे किसान सबल और आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सके। उन्होंने किसानों की जो भी फसलें हैं उनकी उपज खरीदने के लिए जो हर प्रखंड में काउंटर बनाया गया है जो बढ़िया ढंग से हो रहा है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कृषि रोड मैप का उद्देश्य में जो सफल कार्य हुआ है उसके लिए मुख्यमंत्री जी हमेशा किसानों को प्रेरित करने का काम करते रहते हैं। राज्य में फसल, सब्जी, दलहन, दुग्ध, मांस, मछली और अंडा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि निर्यातक के तौर पर बिहार खड़ा हो ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है महोदय। दूसरा मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे बिहार का एकऐसा स्थान बने कि भारत में जितने भी राज्य हैं और जितने भी लोग यहां रहते हैं उनकी थाली में एक बिहारी व्यंजन जरूर हो महोदय, ये अगर हो जाता है तो हमारा बिहार एक विकसित राज्य बनेगा और देश में पहला स्थान रखेगा। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए सत्‌त प्रयत्नशील रहते हैं और इस पर काम करते हैं, अमल करते हैं महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहूँगा, एक है हमारे विधान-सभा के अन्तर्गत जो नहरों का पानी बर्बाद होकर चला जाता है जो बरसाती नदियों का पानी आता है वहां पर बाबू कुंवर सिंह के नाम से जो सोनबरसा पंचायत में है उसका पानी बह कर बर्बाद होता है उस पानी को अगर लिफ्ट एरिगेशन से किसानों को दिया जाय तो निश्चित ही पच्चासों गांव का कल्याण होगा, किसानों को मान सम्मान और उनकी आर्थिक सम्पन्नता आयेगी। आपने जो हमको समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री विद्या सागर केशरी: सभापति महोदय, मैं वर्ष 2019-20 के लिए पेश कृषि विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ और इसके लिए सर्वप्रथम इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमारी मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसके साथ फारबिसगंज की जनता को मैं तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे कृषि के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का सदन में मौका दिया है।(क्रमशः)

टर्न-18/मधुप/03.07.2019

...क्रमशः....

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, केन्द्र एवं राज्य की एन0डी0ए0 सरकार द्वारा चालू किये गये योजनाओं के क्रियान्वयन से बिहार की प्रतिभा चमकने लगी है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है, यहाँ की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है, बिहार के काफी लोग कृषि पर ही अपना जीवन-यापन करते हैं।

महोदय, भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से ही जानी जाती रही है। पहले कृषि की जो व्यवस्था थी, वह व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। पहले सामान्य तरीका से कृषि की जाती थी जिसमें गाय के गोबर का खाद, सामान्य बीज और सामान्य सिंचाई व्यवस्था हुआ करता था। 1960 के दशक के बाद बाद जब हरित कांति का दौर आया तो उस समय उन्नत बीज, अच्छे खाद, रसायनिक खाद के रूप में आया, इसके बाद उन्नत सिंचाई व्यवस्था, कीटनाशक दवा, ये सारे चीजों के बाद एक अच्छी कृषि की व्यवस्था दी गई जिसका परिणाम हुआ कि भारत में 1960 के बाद जो हरित कांति लाई गई, उसमें चावल और गेहूँ के उत्पादन में जोरदार इजाफा हुआ और भारत का स्थान दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा। महोदय, कृषि और गो-पालन आज से नहीं हो रही है, यह काफी लम्बे समय से हो रही है। श्रीमद् भगवद्‌गीता में भी कृषि और गो-पालन का समावेश किया गया है। आप देखें तो भगवान् श्रीकृष्ण गो-पालन किया करते थे और बलराम खेती किया करते थे। यह परम्परा आज से नहीं, एक लम्बे समय से परम्परा चलाई जा रही है। महोदय, मैं कृषि के क्षेत्र में खास तौर से कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के जमाने में जिस खेती को हम एक गलत दिशा-निर्देश की ओर ले जा रहे थे, अंग्रेजों की जो नीति थी कि किसानों से हम ज्यादा से ज्यादा ऊपज करवायें और इनके कृषि के ऊपज का जो न्यूनतम मूल्य होता है वह भी हम नहीं दें, इन्हें लाचार करके रखें और इनका शोषण करें। लेकिन वह जमाना बदल गया जब देश में लोकतंत्र आई, एक अच्छी सरकार आई, इसके बाद कृषकों पर खास ख्याल रखा जाने लगा, मैं हृदय से उन किसानों का अभिनंदन-वंदन करता हूँ जो हमारे पेट भरने का काम, देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। मैं ऐसे संत किसान को बार-बार नमन करता हूँ इस सदन के माध्यम से।

सभापति महोदय, केन्द्र एवं एन0डी0ए0 की सरकार ने काफी योजनाएँ चलाई हैं, वर्तमान में वित्तीय वर्ष में बिहार को उपलब्धियों के लिए भारत सरकार, विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं द्वारा 11 विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया है जिसमें जीविका परियोजना को ग्रामीण विकास में नवाचार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक प्रेसीडेंट अवार्ड बिहार को प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक मक्का उत्पादन हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार 2012, 2013 और 2016 में दिया गया। 2012 में चावल के लिए, 2013 में गेहूँ के लिए और 2017 में मक्का के लिए दिया गया था।

महोदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत उप-केन्द्र एवं पृथक फीडरों का निर्माण कराया जा रहा है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा इसी वर्ष अंत तक हर घर तक प्रत्येक खेतों तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया ताकि राज्य के किसानों को खेती के लिए डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से भी सिंचाई की योजना बनाई जा रही है ताकि किसान कम लागत पर खेती में पटवन कर सकें।

महोदय, बिहार में जो खेती की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के संबंध में मैं कुछ बात अपनी रखना चाहता हूँ। महोदय, बिहार में किसानों के लिए करीब 2 दर्जन योजनाएँ चलाई जा रही हैं। सब्सिडी भुगतान की प्रक्रिया पहले जटिल थी जिसे अब बहुत आसान बना दिया गया है। पैक्स एवं व्यापार मंडल में धान बेचने पर किसानों को पैसे के लिए अब ज्यादा भाग-दौड़ या इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 25 दिनों के अन्दर अनुदान की राशि खाते में चली जाती है। बिहार के किसानों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में जैविक खेती के लिए इनपुट अनुदान राशि, डीजल अनुदान राशि, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, सूखा सहायता योजना, कृषि यंत्रों की खरीदारी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म कृषि सिंचाई, लघु सिंचाई से संबंधित अन्य योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डी०बी०टी० से जोड़ दिये गये हैं।

महोदय, बिहार में जो कृषि रोड मैप बनाये गये, 2008, 2012 और 2017-22 की जो कृषि रोड मैप बनाई गई उसमें आमूल-चूल परिवर्तन किया गया और कृषि के विकास के लिए यह एक अच्छा दिन समझा जाने लगा। महोदय, आज जो कृषि की व्यवस्था दी जा रही है उसमें हमारे बिहार के कृषि मंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है। समय-समय पर किसानों के हित के लिए कई एक गाँव में इनको मैंने देखा है और हमारे तरफ भी अररिया में गये और चौपाल लगाकर किसानों की जो समस्याएँ थी उसको इन्होंने सुनने का प्रयास किया। हमारे ही क्षेत्र में जब 2017 की बाढ़ आई, उस बाढ़ में किसानों की फसल लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, उस समय भी कृषि मंत्री के द्वारा एक बड़ी राशि दी गई और मैं उस बड़ी राशि के लिए माननीय कृषि मंत्री का और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वैसी विपत्ति की स्थिति में भी किसानों के हित में इनलोगों ने काम किया।

सभापति महोदय, बिहार में अभी वर्तमान समय में जो देखा जा रहा है कि साल में 87 लाख टन दूध उत्पादन बिहार में होता है, 111 करोड़ अंडा, 326 हजार टन मॉस व 5 लाख टन से अधिक मछली का उत्पादन हो रहा है।

सभापति (श्री मो० नेमतुल्लाह) : आपका समय समाप्त हो गया। कृपया समाप्त करें।

श्री विद्या सागर केशरी : सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो छोटे-छोटे भूखंड हैं, उस भूखंड को 1980 में जो चकबंदी करवाया गया था, उस चकबंदी में पूरी चकबंदी कर दी गई है। ऐसे चकधारी लोगों को कब्जा और दखल दिलाने का प्रयास हमारे बिहार के मंत्री करेंगे।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त कीजिये। अब राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य श्री सीताराम यादव जी।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, मैं दो शब्द और कहना चाहता हूँ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब समाप्त कीजिये।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ कि अररिया में मॉस की फैक्टरी लगी है, वहाँ पशुधन लम्बे समय से काटे जा रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ कि वैसे फैक्टरी को बंद किया जाय। बिहार की सरकार एक बड़े राजस्व प्राप्ति के स्रोत को छोड़ते हुए जब शराबबंदी लागू कर सकती है तो फिर इस तरह के अनैतिक तरीके के व्यवसाय को क्यों नहीं बंद कर सकती है? महोदय, मैं माँग करता हूँ कि इस तरह की मॉस की फैक्टरी को बंद किया जाय।

टर्न-19/आजाद/03.07.2019

श्री सीताराम यादव : धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य श्री सीताराम जी, आपको सिर्फ 5 मिनट टाईम है।

श्री सीताराम यादव : 5 मिनट मात्र।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : जी, शुरू कीजिए।

श्री सीताराम यादव : सभापति महोदय, मैं कृषि विभाग पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। माननीय कृषि मंत्री जी डायरी छपवाये हैं, बिहार कृषि डायरी, खरीफ के लिए विशेष अभियान इन्होंने चलाया है और यह नक्षत्र चल रहा है आद्रा। महोदय, हम आज भी किसानी खेती अपने स्वयं करते हैं, हम इनके डायरी में पढ़ा है और पहले भी देखा है, खरीफ के लिए सबसे पहला उसका बीजोपचार होता है, हमने पूर्खों से भी, पूर्वजों से भी सिखा है और अभी के कृषि वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं कि रोहणी नक्षत्र बीजोपचार के लिए सबसे उत्तम नक्षत्र माना गया है। महोदय, इनके वैज्ञानिक कहते हैं कि 20-22 दिन का बिचड़ा रोप देना चाहिए। वह किसान रोहणी में बीजोपचार किये, रोहणी बीत गया 15 दिन, दिलक्सेरा बीत गया 15 दिन, अब 5 जुलाई को आद्रा भी बीतने जा रहा है। यानी 40 दिन उस बिचड़े को हो गया। अब इनके वैज्ञानिक जो कह रहे हैं, हम उसके कैसे पूरा कर सकते हैं। न कहीं नहर में पानी है

और जमीन के नीचे भी प्राकृतिक पानी खींच रहा है। चापाकल सुखने लगे हैं, इनके नहर सुखे हैं। हम जहां से आते हैं, वहां कमला नहर है, कहीं उसमें पानी नहीं है। 15 जून को पानी खोल दिया जाता था, पानी नहीं है। दक्षिण बिहार में महोदय, जहां से ये आते हैं, इनके जिला में तो बिचड़ा भी नहीं गिरा है। हमारा सिक्यूरिटी जो है महोदय, वे जहानाबाद के हैं और वे बताते हैं कि अभी वहां पर बीजोपचार भी नहीं हुआ है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के आय को दुगुना करने जा रहे हैं। वे किस यंत्र से और किस मंत्र से करने जा रहे हैं। हम माननीय मंत्री से यह गुड़ सिखना चाहते हैं कि आप किस विधि से किसानों का आय दुगुना करेंगे। माननीय मंत्री जी वह यंत्र और मंत्र हमें बता दीजिए, वे हमारे जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं। इसलिए इनसे हम विशेष अपेक्षा रखते हैं। महोदय, आपने तो 5 मिनट समय मेरे लिए रहने दिया और हम बताना चाहते हैं सबसे बड़ी बात कि कृषि ऊपज का आज कोई मूल्य नहीं है महोदय। बिहार सरकार और भारत सरकार का कृषि लागत मूल्य आयोग, दाम तफसिहा किया धान का 1750 रु0 किवंटल, गेहूं दाम इन्होंने तफसिहा किया है 1850 रु0 किवंटल। मैं दावे के साथ माननीय मंत्री जी से और बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एक भी कनवा कहीं किसी किसान का धान और गेहूं खरीदा गया तो यह दावे करें, कहीं किसानों को धान एवं गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिला है। अभी माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी ने कहा कि खेत में कटनी होती है, उसी समय उसकी तौलाई होनी चाहिए। नहीं होता है महोदय, ये दो महीना कहते हैं कि इसमें मोयास्चर रहता है, इसमें नमी है और इसी नमी के पीरियड में किसान गेहूं बो करना होता है, उनको खाद खरीदना होता है, उसको कपड़ा खरीदना है, उसको बाल-बच्चे की पढ़ाई-लिखाई भी करानी है, बेटी का व्याह शादी है, नेऊता-ओता है, उसके पास कोई उपाय नहीं है। ये धान लेंगे नहीं, उचित दाम देंगे नहीं और बिचौलियों के हाथ किसान मजबूर होकर के 1100-1200-1300 रु0 किवंटल में वे धान बेच देते हैं। इनका जो नारा है, वह सिर्फ खोखला साबित हो रहा है। मैं किसी का शिकायत नहीं करता, इधर भी किसान के बेटे बैठे हैं और उधर भी किसान के बेटे बैठे हैं। आज जो महोदय किसान की समस्या है, मैं तमाम माननीय सदस्यों से, बिहार सरकार के तमाम माननीय मंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मैं हृदय से उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज किसान पर और खेती पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक जमाना आयेगा, आज किसान का बेटा भी किसान बनना नहीं चाहता है। खेती की इतनी बड़ी उपेक्षा हो रही है। आप आज मंगल ग्रह पर चले गये, चन्द्रमा पर पहुँच गये, यहां से आप इस्लामाबाद को दाग सकते हैं, यहां से बीजिंग को दाग सकते हैं लेकिन आज भी किसान और हम इन्द्र भगवान के कृपा के पात्र बने हुए हैं। क्या इसके लिए कोई ज्ञानी-वैज्ञानिक नहीं हैं। सरकार इसकी जिम्मेवारी लें, माननीय कृषि मंत्री श्री प्रेम बाबू किसान के घर से आते

हैं, किसान के परिवार से आते हैं। माननीय मंत्री जी मैं आपसे बड़ी उम्मीद और अपेक्षा रखता हूँ, सरकार किसी की रहे, आप इधर हों या उधर हों, लेकिन किसान की सबसे बड़ी चिन्ता होनी चाहिए महोदय। नहीं तो आगे आने वाला समय बहुत ही बिहार के लिए कष्टप्रद होगा। आप नौजवानों को आज नौकरी नहीं दे रहे हैं, कृषि ऊपज का आप उचित दाम नहीं दे रहे हैं, पशुपालन पर कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। नौजवान क्या करेंगे, आज देश में गुंडागर्दी, आतंकवादी बन रहे हैं। आज पटना में दिन-दहाड़े छिनतई की घटना हो रही है, अपहरण हो रहा है, व्यवसायियों को गोली मारा जा रहा है, डॉक्टर को गोली मारा जा रहा है, सोने-चाँदी का दुकान लूटा जा रहा है, इसपर कैसे काबू पाया जायेगा। आप सुनिये तो आपका हम कहां कुछ छिन रहे हैं, हम अपना विचार रख रहे हैं। आपका छाती क्यों फट रहा है, इसलिए कि आप किसान विरोधी हैं, आप भाजपा के हैं, हम जानते हैं संजय जी, आप व्यापारी हैं। आज 5 एकड़ जमीन रखने वाला महोदय करोड़पति है, लेकिन 5हजार रु0 के लिए वह फटेहाल है। संजय जी, आज अगर कोई चाय-पान का गुमटी चलाता है तो वह रोज 500-1000रु0 कमाता है, अगर कोई चौकीदारी का नौकरी करता है तो 10-20 बीघा जमीन जोतने वाला से ज्यादा खुशहाल है। ये तो पक्ष लेंगे, किसानों की बात सुनेंगे तो इनको छाती फटेगा, इनके पेट में मरोड़ उठेगा, ये क्यों सुनना चाहेंगे? महोदय, आज 1300-1400 रु0 में लोग गेहूं बेचे हैं और गेहूं का जो छिलका होता है खोईचा, यही संजय जी के गेहूं का मिल होता है, फ्लावर मिल, फ्लावर मिल से हमलोग गाय-भैंस को खिलाने के लिए चोकड़ लाते हैं, वह 2100 रु0 क्विंटल। महोदय, जो मूल गेहूं है 1400 रु0 क्विंटल, इनका जो करखनिया माल है 2100 रु0 क्विंटल। इतनी बड़ी बेर्इमानी, इतना बड़ा अन्याय। गेहूं जो मूल चीज है वह 1400 रु0 क्विंटल और संजय जी का फ्लावर मिल का चोकड़, जो गेहूं का छिलका है, खोईचा है, उसका दाम है 2100 रु0 क्विंटल तो इनके पेट में मरोड़ उठेगा महोदय। इतना ही नहीं महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज दूध का दाम 25रु0 लीटर हमारे गांव में, हमारे बगल के दरवाजे पर परचेजिंग सेंटर है सुधा कम्पनी का, हम भी गाय का दूध बेचते हैं, फाजिल होता है तो लेकिन हमारे यहां 25रु0 लीटर गाय का दूध लेता है और वही दूध वह 42 रु0 लीटर हमारे गांव में बेचता है। 100 रु0 किलो आज उसका अमृत दही कहकर बेच रहा है।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सीताराम बाबू, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सीताराम यादव : महोदय, मुझे 5 मिनट का और वक्त दीजिए। आज दही 100 रु0 किलो बिक रहा है।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त कीजिए, जितना समय आपका था, उससे ज्यादा समय आपको मिल गया है।

श्री सीताराम यादव : महोदय, दही का दाम 100 रु0 किलो और दूध 25 रु0 लीटर लिया जाता है।

मैं जहां से आता हूँ महोदय, पशुपालन विभाग की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। न कलुआही में डॉक्टर है, न बासोपट्टी में डॉक्टर है, न हरलाखी में डॉक्टर है, न मधवापुर में डॉक्टर है, न शहरघाट में डॉक्टर है और यह सरकार न्याय के साथ विकास और सबका साथ और सबका विकास, कैसा विकास, किसका विकास, यह कैसा विकास हो रहा है ?

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त कीजिए। जनता दल युनाईटेड के माननीय सदस्य श्री मेवालाल चौधरी।

श्री मेवालाल चौधरी : सीताराम बाबू, अब आप बैठिए, हमें बोलने दीजिए।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य श्री मेवालाल चौधरी जी, शुरू कीजिए।

टर्न-20/शंभु/03.07.19

श्री मेवालाल चौधरी : धन्यवाद महोदय, हम माननीय सदस्य आलोक जी का भी भाषण बड़े आराम से सुन रहे थे उसी समय माननीय सदस्य ललित जी भी बोल रहे थे, मुझे सुनकर प्रतीत हुआ कि दोनों का भाषण दो डायरेक्शन में जा रहा है। हमारे माननीय सदस्य ललित जी कह रहे हैं कि बजट बहुत ही ज्यादा है, बजट की बर्बादी है और आलोक जी माननीय सदस्य जो बात कह रहे थे।

(व्यवधान)

सर, हम पॉलीटिकल भाषण नहीं दे रहे हैं इसलिए सुनिये सर। हम पॉलीटिकल भाषण नहीं दे रहे हैं आप सुनिये सर आराम से। जो आलोक जी बोले उन्हीं के विषय में कह रहे हैं आप सुनिये। यह पॉलीटिकल भाषण नहीं है और जो भाषण है इसको सुनना पड़ेगा सर, अदरवाइज सीताराम बाबू का सवाल यकीनी का सवाल चलता रहेगा, इसका अंत नहीं होनेवाला है।

सर, माननीय सदस्य आलोक जी ने पूरे भाषण में एक वैल्यू एडीशन की बात की, उन्होंने मक्का का उदाहरण लिया, उन्होंने मक्का से जितने भी प्रोडक्ट बन सकते थे पंजाब, हरियाणा, अमृतसर, कोलकाता जा रही है और वही प्रोडक्ट हमारे बिहार को बेची जा रही है। बहुत ही अच्छी बात की है सर। अब इस सन्दर्भ में हम सिर्फ दो बात कहना चाह रहे हैं आज जितनी भी बात हाऊस में हो रही है, अगर एग्रीकल्चर को ट्रेडीशनल एग्रीकल्चर समझा जायेगा, अगर वही पारंपरिक खेती जिस खेती को हमारे दादा भी करते थे, हमारे पिता जी भी करते थे तो जो सपना है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि हम प्रोडक्ट को दुगुना करेंगे, डबल प्रोडक्शन करेंगे यह संभव नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ संभव नहीं है। सर, आज एग्रीकल्चर और कृषि जो हो

गया है एक नॉलेज बेस एग्रीकल्चर हो गया है। जब तक आप ज्ञान की बात ज्ञान का प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर में नहीं करने जा रहा है तो हमको नहीं लगता है कि जिस वे से पूरी दुनिया बॉयोलॉजिकल साइन्स में, पूरी दुनिया एग्रीकल्चर साइन्स में एक रिवोल्यूशन कर रही है, एक क्रांति ला रही है। हम इसलिए सर, इसी सदन में हमें याद है कि हमने कहा था कि हमको जरूरत है पंचायत लेवेल पर नॉलेज बैंक बनाने का और वह नॉलेज बैंक एक फार्म स्कूल का काम करेगा। इतना ही नहीं हमने तो कहा था कि संभव हो तो किसी विभाग को तो हर पंचायत के लेवेल पर कॉल सेंटर बना दिया जाय और आज के दिन कम्युनिकेशन के युग में, मोबाइल की एक्सेसेबिलिटी सभी किसान के पास है। वे मोबाइल से भी अपने ज्ञान का वर्द्धन कर सकते हैं। सर, बिहार की धरती अन्पूर्ण है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी जब यहां पर थर्ड कृषि रोड मैप का इनोग्रेशन हो रहा था और यह बात तय है सर उस समय हमलोग प्लानिंग कमीशन में काम करते थे जब यह कहा गया था कि अगर कोई भी सेकेण्ड ग्रिन रिवोल्यूशन शुरू होगी तो वह बिहार से होगी और उत्तर बिहार से होगी। चूंकि उस समय जो हमारी स्थिति थी, जो हमारे किसान थे जितने लगनशील थे, कर्मठता थी उनमें सभी लोगों ने यह अहसास किया, महसूस किया कि मेरे पास लो लैंड थे, जितने हमारे पास कल्टीवेबुल लैंड हैं उस लैंड को यदि हम प्रोपरली युटीलाइज करेंगे तो शायद सेकेंड ग्रिन रिवोल्यूशन का यह पार्ट होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने दूरदृष्टि के हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। इसलिए जब पहला कृषि रोड मैप बनाया गया 2008 में Sir, Just I am going to the back of the history सर, हम भी उसके पार्ट थे 12 घंटा उसमें डिस्कशन हुआ था In between kisan and in between scientist development officers के बीच में और उस कन्क्लूसिव के आधार पर कृषि रोड मैप डेवलप किया गया था। इसलिए माननीय आलोक जी आपने 2005 की बात की हम तो 2008 से 2017 तक की बात कर रहे हैं कि जो कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है, लगातार कोन्सटेंटली इतना युनिफार्मली वृद्धि हुई है, शायद आप इमेजिंग नहीं करेंगे और उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे कृषि रोड मैप को जाता है। जब यह थर्ड कृषि रोड मैप हाल में बना 2017 से 2022 तक आलोक जी खुद इस बात को महसूस किये कि इससे हमलोग डायवर्सिफिकेशन पर अदरदैन धान, गेहूं, मक्का के बजाय हमने वेजिटेबल पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। महोदय, इसलिए अगर आप थर्ड कृषि रोड मैप देखेंगे तो हमलोगों ने वेजिटेबल कॉरीडोर का भी एक सपना देखा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निदेश था और वह भी आर्गेनिक कॉरीडोर। सर, परपस यही है कि किसी भी तरह से किसान के आमदनी को दुगुना किया जाय। सर, मेरा दो-चार ही सजेशन है हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे चूंकि हमको गला में इन्फेक्शन है। सर, आज हमारे माननीय कृषि मंत्री जी गांव-गांव जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं। हर

गांव के कृषि के बारे में इनको विस्तृत नॉलेज है। महोदय, मेरा एक ही चीज कहना है इनके औफिसर्स भी बैठे हुए हैं। सर, अगर वर्ल्ड एग्रीकल्चर को देखेंगे तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रिसर्च एक साथ चलता है, लेकिन सर, हमको खुद कहने में अच्छा नहीं लग रहा है अनफोरचुनेटली हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च को कॉपरेशन बहुत ही कम मिलता है। हमारे पास दो-दो एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी हैं, हमारे पास तीन-तीन वेटनरी कॉलेज हैं, हमारे पास बहुत सारे कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। हमको तो यह लगता है सर कि आदरणीय कृषि मंत्री जी आज हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। माननीय महोदय, क्लाइमेट चेंज सिर्फ बरसात से ही नहीं नापी जाती है उसका पारामीटर और डिफरेंट होता है। सर, जो टेंपरेचर का, जो तापमान का वेरियेशन मोर्निंग और इवनिंग में होता है उससे भी गर्वन करता है किसी भी कॉप के इल्ड का। आज से पांच साल पहले गेहूं की बुआई सभी किसान लोग हैं, सीताराम जी माननीय सदस्य चले गये। पहले किसान गेहूं की बुआई अक्टूबर में करता था और आज नौबत आ गयी है कि किसान गेहूं की बुआई दिसम्बर में करता है कारण है कि टेम्परेचर वेरियेशन इतना होता है- अक्टूबर के समय इतना टेम्परेचर होता है कि वह जन्मेगा नहीं इवेन्चुअली वह मर जायेगा। सर, मेरा एक सुझाव है चूंकि मेरा समय भी खतम हो रहा है हम आसन के माध्यम से कृषि मंत्री जी और सरकार से निवेदन करेंगे कि हर स्टेट में एक कौंसिल ऑफ रिसर्च होता है कृषि मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि यहां पर भी एक बिहार कौंसिल ऑफ रिसर्च हो जो इन्टरफेस का काम करे Between the research organisation and the development organisation इससे क्या होगा कि कल के दिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है आज क्लाइमेट के बारे में किसानों को कोई जानकारी नहीं है। हमारा एक्सटेंशन किसानों को ट्रेनिंग देने में या किसानों को बताने में कि क्लाइमेट चेंज से क्या दुष्प्रभाव पड़नेवाला है अनलेस कि हमारे ग्राउंड लेवेल औफिसर्स को ट्रेंड नहीं किया जायेगा तब तक किसान के बीच हमलोग नहीं पहुंच पायेंगे। बहुत सारे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं मेरा एक सजेशन है ये ड्रोट ये फेमिन बिहार का एक फेनोमिना हो गया है एक साल बाढ़ एक साल सुखाड़ आना ही आना है। हमलोग क्यों नहीं इसपर एक कंप्लीट अनुसंधान रिसर्च सेंटर क्रियेशन ऑफ ड्रायलन रिसर्च सेंटर अपने बिहार में क्रियेट करें ताकि इस तरह की समस्या को लेकर हमलोग हमेशा अनुसंधान करें और जो भी पोपप हो हमलोग डेवलपमेंट के लिए काम करें।

सभापति(श्री मोरेमतुल्लाह) : ठीक है, अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मेवालाल चौधरी : माननीय महोदय, लास्ट में मेरा यही निवेदन है कि....

सभापति(श्री मोरेमतुल्लाह) : 13 तारीख को आपको ज्यादा समय मिलेगा वहीं समझा दीजिएगा।

श्री मेवालाल चौधरी : धन्यवाद।

सभापति(श्री मोरेमतुल्लाह) : माननीय सदस्या भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती अरूणा देवी।

श्रीमती अरुणा देवी : सभापति महोदय, जो आज कृषि अनुदान की राशि सरकार के द्वारा पेश की गयी है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। आज हम अपनी जनता की ओर से और अपने तरफ से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी और कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी सबको मैं प्रणाम, सलाम और नमस्कार करती हूँ।

क्रमशः:

टर्न-21/ज्योति/03-07-2019

क्रमशः:

श्रीमती अरुणा देवी : सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। बिहार राज्य की जनता का मुख्य जीविकोपार्जन का साधन कृषि एवं पशुपालन है। केन्द्र एवं राज्य की एन.डी.ए. सरकार द्वारा चालू की गयी योजनाओं के क्रियान्वयन से बिहार की प्रतिभा चमकने लगी है तथा उसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिहार को उपलब्धियों के लिए भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाओं द्वारा 11 विभिन्न पुरस्करण से पुरस्कृत किया गया है जिसमें जीविका परियोजना को ग्रामीण विकास में नवाचार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक प्रेसीडेंट एवार्ड, बिहार को प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक मक्का उत्पादन हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार, भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद् द्वारा डेयरी एवं पशु प्रक्षेत्र में सतत उच्च वृद्धि एवं उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशीप एवार्ड 2018 प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में उन्नत कार्य हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मीशन के तहत पुरस्कृत किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली में 2018-19 में बिहार मंडप को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एवं उत्कृष्ट मंडप के लिए स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत उप केन्द्र एवं पृथक फीडरों का निर्माण कराया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के अंत तक हर घर तक एवं हर खेत तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि राज्य के किसानों को खेती के लिए डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से भी सिंचाई की योजना बनायी जा रही है ताकि किसान कम लागत पर खेतों में पटवन कर सके।

राज्य सरकार द्वारा विशेष उद्यान फसल योजना के तहत जिलों की विशिष्टता के अनुसार उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा ब्रांडिंग के लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2018-19 में 45.57 लाख किसानों का निबंधन किया जा चुका है।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : कुछ सुझाव है तो सरकार को दीजिये ।

श्रीमती अरुणा देवी : महोदय, आज जो किसानों की जो दशा देख रहे हैं पहले से बहुत उन्नति हुई है और हम कृषि मंत्री को बधाई देते हैं कि हर गांव में हर पंचायत में चौपाल लगवाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीज उपलब्ध करवाते हैं जहाँ तक मेरे क्षेत्र में देखते थे कि खाद के लिए लाईन लगी रहती थी, आज हम देखते हैं कि अपने आप किसान खुशहाल हो गए हैं और खाद की लाईन खत्म हो गयी है और आज समय से बीज, खाद सब मिल रहा है । हम कृषि मंत्री को बधाई देते हैं । जहाँ तक हम सब लोग सदन में किसानों के बाल बच्चे अधिकतर हैं तो किसान के बाल बच्चे रहते हुए हम समझते हैं कि 2000 से आजतक जो कृषि में उन्नति आयी है वह कृषि मंत्री और बिहार सरकार की देन है और हम समझते हैं कि हर क्षेत्र में हमारी जो बिहार सरकार है चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो महिलाओं के विकास की बात है सब में अच्छा काम किए हैं । सब में चहुंमुखी विकास किए हैं और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को आने वाले समय में जनता फिर लायेगी ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब जनता दल यूनाइटेड के श्री विद्यासागर निषाद । 5 मिनट सिर्फ टाईम है आपका ।

श्री विद्या सागर निषाद : सभापति महोदय, आज मैं कृषि विभाग की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आपने जो समय दिया है इसके लिए आपका और अपने दल के नेता नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ । महोदय,

श्रीमती अरुणादेवी : आहर, पैन सब सूख रहा है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : 13 तारीख को स्नेट्रल हॉल में मुख्यमंत्री के सामने जल वाली सब बात रखेंगी । अब बोलिये विद्यासागर निषाद जी, 5 मिनट टाईम है आपको।

श्री विद्या सागर निषाद : सभापति महोदय, आपने जो हमें समय दिया इसके लिए आपका आभार और अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ । महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की लगभग 80 परसेंट से ज्यादा आबादी कृषि पर आधारित है और उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि ही है । महोदय, कृषि के लिए बिहार की सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी एवं सर्व खनिज जल युक्त यहाँ प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इन्हीं कारणों से भारत के तमाम राज्य के लोग बिहार की तरफ दूसरी हरित कार्ति के लिए बढ़ी आशा और उम्मीद की नजरों से यहाँ देखते हैं । महोदय, कृषि के क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा किए गए सराहनीय प्रयास एवं वैज्ञानिक तरीके से किसानों को दिए जा रहे तकनीक से हमारे किसान हर वर्ष हर क्षेत्र में नये आयाम दे रहे हैं और देख के प्रतिष्ठित पुरस्कार कृषि कर्मण जीत कर बिहार के मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं । आज राज्य सरकार किसानों के विकास के लिए कृषि रोड मैप -3 पर काम कर रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता

दी जा रही है और इस दिशा में किसानों की सक्रिय भागीदारी एवं सरकार का सराहनीय प्रयास और सहयोग रहा है जिसके कारण आज हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे किसान अपनी खेती के लिए प्रयोग होने वाले कृषि यंत्र के लिए आवेदन देते हैं और उसके खरीद पर सरकार उन्हें औन लाईन अनुदान भी देती है। राज्य में किसान की आय में लगातार बढ़ोतरी के लिए सरकार की यह कोशिश होती है कि खेती में लागत कम हो तो इसके लिए कृषि विभाग हर समय प्रयत्नशील रहता है जैसे किसानों को सब्सिडी दर पर बीज उपलब्ध कराना, सब्सिडी दर पर खाद उपलब्ध कराना और वर्मी कम्पोस्ट एवं कीट नाशक उपलब्ध कराना वगैरह वगैरह। महोदय, बिहार सरकार संपूर्ण देश में इकलौता राज्य है जो किसानों को डीजल अनुदान देती है ताकि उनके कृषि लागत कम हो और उनकी आमदनी बढ़ सके। महोदय, हमारी बिहार सरकार प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर भी काम करती रही है जिसमें श्री विधि से खेती धान की डायरेक्ट प्लानटेशन शंकर प्रभेद का उपयोग एवं जीरो टिलेज से जो गेहूँ की बुआई होती है, ग्रीन कम्पोस्ट का प्रयोग, जैविक खेती को बढ़ावा देना इन सब चीजों पर काम हो रहा है इससे निश्चित ही किसानों की दशा में सुधार होगा। अभी तो सभापति महोदय, दो ही मिनट हुआ होगा।

सभापति(श्री मोरो नेमतुल्लाह) : दो मिनट में खत्म करिये। सरकार का जवाब भी होगा।

श्री विद्यासागर निषाद : महोदय, माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक चीज मैं लाना चाहता हूँ कि अभी अभी जब पूरे प्रदेश में अन्डर ग्राउन्ड वाटर नीचे जा रहा है और सरफेस वाटर जो लगभग आज के डेट में समाप्त हो चुका है ऐसे समय में सरकार मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दे चुकी है तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो कि आज कृषि मंत्री के साथ साथ पशुपालन मंत्री भी हैं मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जब सरफेस वाटर और तालाब और पूरे आहर, पैन सूख रहे हैं। क्रमशः ...

टर्न-22/03.7.2019/बिपिन

श्री विद्या सागर निषाद: क्रमशः इसी समय आप बिहार सरकार के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के जो जलकर हैं उनके राजस्व को दोगुना कर रहे हैं। ऐसे समय में जब सामान्य किसानों को आप अनुदान दे रहे हैं, उनको सहायता कर रहे हैं और इस समय में आप मछुआरों के लिए जो उनके राजस्व में वृद्धि कर रहे हैं, यह अन्याय है। इसको आप रोकिए और जो उनके राजस्व हैं उसको वापस किया जाए, इसपर पुनर्विचार किया जाए और जो पहले के राजस्व हैं उसको आप 50 प्रतिशत तक अनुदान देकर इस चीज को खत्म किया जाए। मैं सरकार द्वारा लाए गए कृषि विभाग के इस बजट का मैं समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह):भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य जीवेश कुमार जी । आपका पांच मिनट समय है ।

श्री जीवेश कुमार : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आसन को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इस सदन के माध्यम से जाले की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं जिनके कारण मैं यहां खड़ा हूं ।

महोदय, देखिए, विपक्ष के लोगों को कितनी चिंता है कि किसानों की जिनका नेता सदन से गायब है और कटौती प्रस्ताव लाने वाले महान व्यक्ति माननीय सदस्य ललित बाबू का यहां बैठकर पक्ष-विपक्ष को सुनने की चिंता मात्र नहीं है और सदन से गायब हैं । जितने माननीय सदस्यों ने अपनी बात रख दी और रखने के बाद सदन से बाहर चले गए । अब उनको कितनी चिंता है यहां के किसानों की और मैं धन्यवाद देता हूं कि कुछ ऐसे लोग भी आज किसानों की चिंता किए हैं जो कभी खेत के आरी पर नहीं गए

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी अभी आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनको चिंता नहीं है, वो कहीं बैठकर सुन रहे हैं ।

श्री जीवेश कुमार : महोदय, उपमुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, खूब चिंता कर रहे हैं पूरे बिहार की। नेता प्रतिपक्ष चिंता नहीं कर रहे हैं कि किसान की, यह मलाल है हमारा हुजूर और इस बात को मैं रखना चाहता हूं सदन में आपके माध्यम से । उनको चिंता करनी चाहिए । पटना में आकर सदन से फरार हैं और किसानों के हित की बात करते हैं। मुझे आज बड़ी खुशी हुई है, मैं धन्यवाद देता हूं वैसे सदस्यों को । देखिए हुजूर, किसान की तरक्की अब कोई रोक नहीं सकता है । आज कुछ वैसे सदस्यों ने भी किसान की चिंता की है जो कभी खेत के आरी पर नहीं गए हैं और वो भी चिंता कर रहे थे किसानों का तो अब किसानों की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है । स्वामी सहजानन्द सरस्वती जी ने ठीक कहा कि रोटी भगवान है और इसको पैदा करने वाला किसान भगवान से बढ़कर है । इस बात की चिंता आज की एन.डी.ए. सरकार ने प्रारंभ की है और आदरणीय आलोक बाबू माननीय सदस्य जी थोड़ा चिंतित हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं । उनको जरूर चिंता करनी चाहिए कि 2004-05 में कृषि के लिए कितने का बजट पेश किया गया था । आंकड़ा गिना रहे थे । आज दस गुना

(व्यवधान)

बैठ जाइए, मंत्री जी जवाब देंगे, आप बैठ जाइए । मंत्री जी जवाब देंगे और दो-तीन सौ करोड़ में बजट पेश करने वाले लोग आज तीन हजार करोड़ का जिसने बजट पेश किया है उसको मुँह चिढ़ा रहे हैं । कमाल है । हद हो गया हुजूर । चिंता भी नहीं किए किसानों की और आज मुँह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं । देख लीजिए हुजूर । और तो और हुजूर, 2019-20 के लिए आज सब लोगों ने कहा, मैं तो जो आर्थिक सर्वेक्षण

बिहार सरकार ने 2018-19 का पेश किया है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर 89 परसेंट लोग आज गांव में रहते हैं और 76 परसेंट लोग कृषि और पशुधन से जुड़े हुए हैं। अब पशुधन का कितना चिंता किए तो आपको भी मालूम है हुजूर कि पशु का चारा ही खाकर डकार कर गए और वो ज्ञान बॉट रहे हैं सदन के अंदर आकर। बड़ा आश्चर्य होता है और हमने तो सजा दी नहीं, सजा तो कोट ने दी है, तो इसलिए चिंता जायज होनी चाहिए कि कैसे किसान, लोकतंत्र में प्रतिपक्ष भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और हुजूर, अंग्रेजों के जाने के बाद विरोधी दल जिसका नाम है वह प्रतिपक्ष है हुजूर और प्रतिपक्ष उतना ही जिम्मेदार है जितना सत्ता पक्ष जिम्मेदार है और

(व्यवधान)

हुजूर, मैंने किसी का नाम लिया क्या ? हुजूर, मैंने किसी का नाम लिया क्या ? बैठ जाइए। आपको कैसे समझ में आ गई कि किसने चारा खाया। हुजूर, मैंने किसी का नाम लिया क्या ?

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जीवेश कुमार : दो मिनट हुजूर। विषय को रख लेने दीजिए।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब सरकार का जवाब होगा।

श्री जीवेश कुमार : दो मिनट हुजूर। विषय को रखने दीजिए। महोदय, आज भी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 20 परसेंट हिस्सेदारी है और अगर आप बात करें तो यह पहली बार हो रहा है कि बीजों का टीकाकरण करके बीज खेत के अंदर जा रहा है और 2004-05 की तुलना में अगर आज उत्पादन को देख लीजिए तो आपको जरूर आइडिया लग जाएगा कि आज की एन.डी.ए. सरकार, राज्य की एन.डी.ए. सरकार कृषि के प्रति कितनी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, किसानों के हित में कितना काम कर रही है और सबसे बड़ी बात कि आज के दिन में यह बिहार की सरकार को कृषि के क्षेत्र में उन्नत काम करने के लिए 11 विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और जीविका परियोजना को ग्रामीण विकास के नए आयाम देने के लिए, जोड़ने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है और कृषि कर्मण्य पुरस्कार तो कई बार बिहार ने लेने का काम किया है। महोदय, आज कुछ लोग चिंता कर रहे थे पटवन का। बिहार सरकार कृत संकल्पित है, हर खेत को भी पानी पहुँचाने का काम करेगी। ललित बाबू आ गए हैं, उनकी चिंता जायज थी और केवल 75 पैसे, लोग पूछ रहे थे कैसे 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे ? हम उनका लागत मूल्य घटाएंगे। डीजल को बंद करेंगे। 75 पैसे में पटवन करने की व्यवस्था दिसम्बर, 2019 तक बिहार की सरकार सुनिश्चित करने जा रही है। इस दिशा में आपका सहयोग अपेक्षित होना चाहिए और आप भी अपने क्षेत्र में किसानों के खेत तक बिजली पहुँचाने में सहयोग देने का काम करिए ...

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समाप्त करिए। अब सरकार का उत्तर होगा। समय समाप्त हो रहा है।

श्री जीवेश कुमार : आपका आदेश है हुजूर। हम तो हर बार अंत में बोलते हैं और मेरा समय ही खत्म हो जाता है। खैर, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी सदस्यों को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री कृषि विभाग।

सरकार का उत्तर

श्री प्रेम कुमार, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग के द्वारा आज पेश किए गए बजट में ..
(व्यवधान)

अध्यक्ष : अवधेश जी, अपना स्थान ग्रहण करिए।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री: सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय विधायकों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : किसानों के बारे में, अब उसका समय नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : समय नहीं है अब।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री: बैठिये अवधेश बाबू।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कृषि के बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अच्छी राय दी है। माननीय सदस्यों की जो राय आई है उसपर सरकार निश्चित तौर पर विचार करेगी और राज्य के किसानों के हित में लागू करने का काम करेगी।

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि आज बजट जो पेश किया है, हम देख रहे थे, बिहार में पंद्रह साल पहले जो सरकार थी और सरकार का जो बजट रहता था महोदय...

श्री अवधेश कुमार सिंह: मैं व्यवस्था पर हूं महोदय ?

अध्यक्ष : आप व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैला रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं ...

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : क्या व्यवस्था है ?

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था है, संयोग है और मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं ...

अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न जब सदन में किसी नियम का उल्लंघन होता है तब उठाया जाता है। आप पहले यह बता दीजिए कि किस नियम का उल्लंघन हो रहा है।

श्री अवधेश कुमार सिंहः नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है महोदय ।

अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंहः बिहार की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं । एक मौका दीजिए । मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में 214 प्रखंडों को सुखाड़, अकाल घोषित कर दिया

(व्यवधान)

टर्न-23/कृष्ण/03.07.2019

अध्यक्ष : 13 तारीख को इस पर विस्तार से बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, फसल बीमा पूरे बिहार में लागू है ।

अध्यक्ष : हो गया । आप बैठ जाईये । फसल बीमा योजना, इसको मंत्री जी देख लेंगे । माननीय मंत्री जी ।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं है, राज्य के 25 जिले, 280 प्रखंडों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अकाल, सुखाड़ घोषित करने का काम किया था । अध्यक्ष महोदय, आज मुझे खुशी है कि इस विधान सभा के सत्र में सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय दी है । महोदय, मैं देख रहा था 15 वर्ष पहले का जो बजट था, वह बजट होता था 20 करोड़ का और चालू वित्तीय वर्ष में बजट बढ़कर हो गया है 2344 करोड़ का । यानी 2005-6 की तुलना में 2019-20 में योजना के आकार में 117 गुणा अधिक वृद्धि हुई है ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ललित जी । आप ही को कह रहे हैं । आपकी आवाज आपका साथ नहीं दे रही है ।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, भारत के किसानों के तरफ से बधाई देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को बिहार के करोड़ों अन्नदाता किसान भाई-बहनों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं और माननीय प्रधान मंत्री जी ने, महोदय, मुझे बताते हुये खुशी हो रही है कि देश के किसानों के सम्मान में और देश के किसानों की जो माली हालत थी, उसको सुधारने के

लिये हमारी केन्द्र की सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत करके एक नया इतिहास रचा है।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के बाहर चले गये।)

महोदय, आजादी के बाद लगातार 55 वर्षों तक एक पार्टी की सरकार थी। 15 वर्षों में, किसानों के लिये जो कृषि फार्म थे, जिसमें चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया था, सारे कृषि फार्म चरवाहा विद्यालय में तबदील हो गये थे। बिहार राज्य बीज निगम बंद हो चुका था। जब हमारी सरकार आयी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुआई में फिर से बिहार राज्य बीज निगम को शुरू करने का काम किया है।

महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के किसानों की हालत को समझा और हमारी केन्द्र की सरकार ने आजादी के बाद पहली बार जिसने देश के अन्नदाता किसान भाई-बहनों की चिन्ता की। महोदय, इसीलिये हमने कहा कि सर्वप्रथम भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी को बिहार के करोड़ों किसानों की तरफ से शुभकामना, बधाई देना चाहता हूं, आपने किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत करके एक इतिहास रचा है।

महोदय, हम बताना चाहते हैं कि अभी तक 43 लाख आवेदन ऑन लाईन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 41 लाख आवेदनों की जांच कृषि समन्वयक द्वारा करने के बाद अनुशासित हो चुका है और भारत सरकार को जो भेजा गया है, उनके वेबसाईट पर 29 लाख आवेदन अपलोड कर दिये हैं और 8 लाख 77 हजार किसानों के खाते में पहला किस्त की राशि डी०बी०टी० के माध्यम से चली गयी है और महोदय, दूसरे किस्त की राशि 2 लाख 29 हजार किसानों के खाते में जा चुकी है।

महोदय, हम सदन को बताना चाहते हैं कि हम सबों की जिम्मेवारी है कि जो राज्य के हमारे अन्नदाता किसान, भाई-बहन हैं, उनको कैसे जोड़े? मैं देख रहा हूं और अभी और आवेदन आने की जरूरत है और कृषि विभाग के पोर्टल में पंजीकृत किसान को कृषि विभाग के पोर्टल पर विहित प्रपत्र में आवेदन करना है और आवेदन के साथ एल०पी०सी० या रसीद या जमीन के स्वामित्व का स्वघोषणा पत्र अपलोड करना है और आवेदन के साथ ही मैसेज कृषि समन्वयन को जाता है, जो सत्यापन करते हैं और इनके बाद अंचलाधिकारी तथा अपर समाहर्ता के द्वारा किया जाता है। सत्यापित आवेदन राज्य स्तर से भारत सरकार को ऑन लाईन अनुशंसा की जाती है और भारत सरकार के किसान के आधार पर सत्यापित बैंक खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से राशि चली जाती है। महोदय, हम सदन से अपील करना चाहेंगे कि सदन चल रहा है, क्षेत्र में आप जायेंगे और निश्चित तौर पर अपने-अपने क्षेत्र के किसान भाईयों से संपर्क करेंगे और

उनके साथ बैठक करके इन बातों को बताने की जरूरत है। साथ ही साथ यह कहते हुये मुझे खुशी हो रही है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहली बार, महोदय, जब किसान बुढ़ापे की उम्र में आते हैं तो बुढ़ापे के समय जो संकट आता है, परिवार, बेटा भी भूल जाता है और उस बुढ़ापे में उस किसान को भी दवा की जरूरत होती है, कपड़ा और भोजन की जरूरत होती है। महोदय, हमारी सरकार ने यह तय किया है कि किसान सम्मान पेंशन योजना शुरू की जायेगी किसानों के लिये आजादी के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा।

महोदय, हम यह भी कहना चाहते हैं कि राज्य के जो किसान हैं, उन किसानों को याद कराना चाहते हैं कि माननीय तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के शासनकाल में पहली बार किसानों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गयी थी। महोदय, जब-जब हम सरकार में आये हैं, हमारी प्राथमिकता गांव, गरीब और किसान रही है। हमारे राज्य की सरकार हो जो माननीय मुख्य मंत्री की अगुआई में चल रही हो, केन्द्र में हमारे बाजपेयी जी की सरकार थी, महोदय, आज मुझे बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि आज आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के द्वारा पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड सरकार ने देने का एलान किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि साथी कह रहे थे कि किसानों की आमदनी दोगुणी कैसे होगी? महोदय, निश्चित तौर पर किसानों की आमदनी को दोगुणी करने को लेकर लगातार प्रधान मंत्री जी का जो प्रयास हो रहा है, उन्होंने सात सूत्र सुझाने का काम किया है, जिसमें पहला - उन्होंने सिंचाई पर जोर देने का काम किया है, दूसरा-कृषि तकनीक का प्रयोग, तीसरा-ऊपज के नुकसान को कम करना, चौथा - प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्द्धण, पांचवा-कृषि बाजार में सुधार, छठा - प्राकृतिक आपदाओं में किसानों को सहायता और सातवां - कृषि सम्बद्ध मधुमखी पालन, पशुपालन, मुर्गीपालन, मशरूम उत्पादन, मत्स्य पालन, बकरीपालन को बढ़ावा देना।

अध्यक्ष महोदय, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल अगुआई में कौशल विकास योजना के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में हम किसान भाईयों को खेती के साथ-साथ समेकित कृषि प्रणाली की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज काफी संख्या में हमारे किसान भाई बकरी पालन का प्रशिक्षण ले रहे हैं, मछली पालन का ले रहे हैं, गौ पालन का प्रशिक्षण ले रहे हैं और बिहार के बाहर भी हम किसान भाईयों को प्रशिक्षण के लिये भेजने का काम कर रहे हैं।

महोदय, हमारे साथी कह रहे थे गैर-रैयत के बारे में, महोदय, देश का पहला राज्य बिहार है, जहां हमारे नीतीश कुमार की अगुआई में और माननीय उप मुख्यमंत्री जिनके बेहतर वित्त प्रबंधन में, आज मैं पूरे बिहार में मैं देख रहा हूं, माननीय मंत्री जी की शुरू से यह सोच रही है कि जो गैर-रैयत हैं, वे राज्य में औसतन 1 करोड़ 61 लाख कहे

जाते हैं, हम उनका पंजीकरण करवा रहे हैं, ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, 73 लाख किसानों का निबंधन हो चुका है। मुझे बताते हुये खुशी हो रही है, कई माननीय सदस्यों को जानकारी का अभाव था, हम सदन को बताना चाहते हैं कि देश की पहली सरकार, बिहार सरकार जिसकी अगुआई श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। गैर-रैयत किसानों को शामिल करने की योजना, डीजल अनुदान, कृषि इनपुट अनुदान योजना, जैविक शब्दी के लिए अग्रिम कृषि इनपुट अनुदान योजना, फसल सहायता योजना, धन गेहूं अधिप्राप्ति, बीज अनुदान, कृषि यंत्रीकरण की हमारी योजना है। इतनी योजनायें बिहार देश का पहला राज्य है जहां 70 लाख गैर-रैयत हैं, उनकी चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इस सुविधा का लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गये थे, नीति आयोग की बैठक हो रही थी और बिहार में उसके पहले 4 दिन भारत सरकार के माननीय किसान कल्याण मंत्री जी के द्वारा वी०सी० किया जा रहा था। हमने सवाल को उठाया था कि हमारे बिहार राज्य में 70 लाख गैर-रैयत हैं और हमने वी० सी० के माध्यम से, माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया कि बिहार जैसे राज्य में हमारी सरकार सुविधा प्रदान करने का कार्य कर रही है। हमारा भारत सरकार से आग्रह है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। दूसरी खुशी हमारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नीति आयोग में गैर-रैयत के सवाल को उठाने का काम किया गया है।

क्रमशः

टर्न-24/अंजनी/दि० 03.07.19

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : क्रमश..... मित्रों, साथियों, अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार अगुवाई में तीसरा कृषि रोड मैप लागू किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं महोदय। हमारी सरकार किसानों के हर सुख-दुख में पूरी सजगता और दृढ़ता के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलने का कार्य कर रही है। चाहे बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ का मामला हो, आंधी-तूफान हो, ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का मामला हो, हर परिस्थिति में सरकार किसानों के साथ खड़ी रही है तथा हरसंभव सहायता प्रदान करने में तत्पर रही है। हमारी सरकार कृषि की कई योजनाओं में रैयत के साथ-साथ गैर-रैयत यानि बटाईदारों को भी अनुदान का लाभ देने का कार्य कर रही है। यह एक ऐतिहासिक कदम है।

महोदय, कृषि के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि हमारा जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि का विकास ही समग्र विकास की कुंजी है। परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाये बिना प्राकृतिक

संसाधनों जैसे- भूमि, जल और मानवशक्ति की उत्पादक क्षमता का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाय। राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। बिहार में कृषि के विकास से ही आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा, साथ-ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

महोदय, हम बिहार वासियों का सौभाग्य है कि प्रकृति ने बिहार को बहुत उपजाऊ मिट्टी, प्रचुर मात्रा में जल संसाधनों का वरदान दिया है। साथ-ही, यहाँ कृषि जलवायु की विशाल विविधता है, जो बागवानी तथा औषधियों पौधों सहित बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती के लिए काफी अनुकूल है। बिहार गंगा की तराई में बसा है। यहाँ भूगर्भीय जल काफी मात्रा में है। सब्जियों की पैदावार में हम आगे हैं, मखाना, लीची पैदा करने में भी हम सबसे आगे हैं। अनानास, आम, केला, अमरूद, गन्ना, जूट आदि पैदा करने में भी हमारी श्रेष्ठता स्थापित है। महोदय, दूसरे किसी प्रदेश की अपेक्षा बिहार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के 76 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। यहाँ की कृषि जी0डी0पी0 राज्य के जी0डी0पी0 का पाँचवा हिस्सा है। राज्य में कुल 13 मिलियन कृषि परिवार के पास 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन है। जहाँ देश में औसतन 42 प्रतिशत जमीन पर खेती होती है वहाँ बिहार में 60 परसेंट जमीन पर खेती की जाती है परन्तु आज जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या बन गई है। पूरी दुनिया इससे प्रभावित है और हमारा बिहार भी प्राकृतिक आपदाओं से अछूता नहीं है। यहाँ के लगभग सभी जिलों को सुखाड़ एवं बाढ़ की विभीषिका का समय-समय पर सामना करना पड़ता है इसके बावजूद भी हमारे किसान जो अननदाता हैं, किसान दिन-राज मेहनत करके राज्य की उन्नति को शिखर तक पहुँचाने के लिए निःस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रभक्ति की पराकाष्ठा है। मुझे खुशी है कि राज्य के अननदाता किसान भाई-बहनें जिस तरह से परिश्रम करते हैं और इसपर मैं कहना चाहता हूँ -

हो विष्णु तुम धरा के, हल सुदर्शन तुम्हारा,
बिना शेष-शय्या के ही, होता दर्शन तुम्हारा,
मॉ भारती के ज्येष्ठ सुत, तुमको नमन हमारा।

महोदय, अभी वर्तमान में मौसम की बेरुखी आप देख ही रहे हैं। मौसम की बेरुखी अभी तक राज्य की कृषि के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कवि घाघ भड्डरी कहते थे - जेठ चले पुरवाई सावन सुखा जाई। मैं देख रहा था महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बैठकों में, हमलोग तो कहते थे कि जेठ में पुरबा हवा चल रही है और निश्चित तौर पर हमलोगों के लिए आने समय में सूखा का सामना करना पड़ेगा। यानी कि यदि जेठ के महीने में पुरबा हवा चले तो सावन के महीने में सूखा पड़ेगा।

ऐसा मानना चाहिए। ईश्वर करे अभी भी मौसम ठीक-ठाक हो जाय। प्रतिदिन मौसम का मिजाज कुछ इसी तरफ रहा तो पूरा राज्य सूखे की चपेट में आ जायेगा। इसलिये आज सदन में उपस्थित तमाम माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि दलगत भावनाओं से उपर उठकर संभावित सुखाड़ के महेनजर अपने-अपने क्षेत्रों के लिए कुछ ठोस सुझाव या कार्य योजना इस सरकार को उपलब्ध करायें तो सरकार उसपर गम्भीरता से विचार कर एक निश्चित कार्य योजना पर कार्य कर सकती है। हम सबों को पानी की बर्बादी रोकने, अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की जो सरकार की योजना है, वन, पर्यावरण एवं जलवायु प्रबंधन विभाग की योजना है, हमें लोगों को बताना होगा कि यदि हम अभी से नहीं चेते तो आने वाला समय हमारे लिए काफी कठिन होने वाला है। अगर प्रकृति के संकेतों को हमने गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। हमें सजग रहना होगा क्योंकि बाढ़ की समस्या से हम निपट लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम दो-तीन महीने प्रभावित होते हैं लेकिन वहीं सूखा का असर पूरे साल भर रहता है, इसका प्रभाव मानव जीवन के साथ-साथ निरीह पशु-पक्षियों पर पड़ता है इसलिए बहुत ही गम्भीर समस्या यह है।

अध्यक्ष महोदय, आज देश जल संकट की चुनौती का सामना कर रहा है, इस विषम परिस्थिति में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचय जल बेहतर कल की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए जल शक्ति अभियान की पूरे देश में शुरूआत की गई है। यह पूरे देश में लागू होगा। बिहार के संदर्भ में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत उत्तर बिहार के 6 जिलों बेगूसराय, वैशाली, कटिहार, सारण, गोपालगंज एवं मुजफ्फरपुर के चिन्हित 10 प्रखंडों के लिए कृषि विभाग द्वारा जल संरक्षण की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसे ग्रामीण विकास विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग के साथ क्रियान्वित किया जायेगा। इसी प्रकार दक्षिण बिहार के 6 जिले - हमारा गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, पटना एवं भोजपुर के चिन्हित 20 प्रखंडों में सम्पूर्ण प्रखंडों को आच्छादित करते हुए जल एवं भूमि संरक्षण की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, जल शक्ति अभियान दो चरणों में कार्यान्वित होगा। पहला चरण 1 जुलाई से 15 सितम्बर तक तथा दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक चलाया जायेगा। इस अभियान के तहत चिन्हित जिलों एवं प्रखंडों में वर्षा जल के संचय के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, जल छाजन, वृक्षाच्छादन कार्यक्रम को सघन रूप से कार्यान्वित किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन आज एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी है। अनियमित वर्षा तथा अत्यधिक गर्मी एवं ठंड की घटनाएँ आम-सी बात हो गयी हैं। इससे सामान्य जन-जीवन तो प्रभावित होता ही है साथ-ही, कृषि पर भी इसका व्यापक असर होता है।

पिछले वर्ष अनियमित मानसून के कारण धान की खेती प्रभावित हुई। हथिया नक्षत्र में जब वर्षा नहीं हुई और सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अविलम्ब बिना देर किये हुये आपदा प्रबंधन की बैठक इन्होंने बुलाने का काम किया। हमलोग बैठक में गये थे, दशहरे का समय था, हमलोग सब काम को देखकर और हमारे सरकार की प्राथमिकता थी सुखाड़ से निपटने का और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा सर्वे कराने का आदेश दिया, कृषि विभाग के द्वारा राज्य के 38 जिलों के 534 प्रखंडों में सर्वे कराने का काम किया गया और जो मापदंड था उसके आधार पर राज्य के 25 जिले के 280 प्रखंडों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुखाड़ प्रभावित घोषित करने का काम किया गया। महोदय, सुखाड़ घोषित करने के बाद हमलोगों ने इन प्रखंडों में 14,18,723 किसानों के बीच 9 अरब 34 करोड़ 50 लाख 12 हजार 37 रु0, मैं समझता हूँ कि बिहार के लिए एक बड़ी राशि थी, कृषि इनपुट अनुदान डी०बी०टी० के माध्यम से किसानों के खाते में हस्तांतरित करने का काम किया गया। यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, गत वर्ष मॉनसून की अनियमितता के कारण हमारा खाद्यान्न का उत्पादन प्रभावित हुआ। 2018-19 में 25 जिलों में सूखा होने के बावजूद भी 142.36 लाख मे0 टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। इस वर्ष भी विलंब से मॉनसून के आगमन तथा वर्षापात की कमी राज्य के किसानों के लिए चिन्ता का विषय है। उसके बावजूद भी हमलोगों की जो तैयारी है, हम बताना चाहते हैं कि इसके बावजूद भी राज्य में 3 लाख 30 हजार हेक्टेयर में हमलोगों ने बिचड़ा लगाने की तैयारी की है। 3 लाख 30 हजार हेक्टेयर में बिचड़ा लगाने का लक्ष्य जो हमारा है, जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूँ कि उसके विरुद्ध 2,03,697 हेक्टेयर में हमारा 61.73 प्रतिशत बिचड़ा हमारा तैयार हो चुका है। महोदय, धान की रोपनी का जो हमारा लक्ष्य है, 33 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया है जिसके विरुद्ध, तिरहुत, दरभंगा तथा सहरसा प्रमंडल में रोपनी का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

...क्रमशः ...

टर्न-25/राजेश/3.7.19

श्री प्रेम कुमार, मंत्री, क्रमशः खरीफ मौसम में मक्का की बोआई 4 लाख 24 हजार 500 हेक्टेयर में किया जायेगा। अब तक महोदय, मक्का की बोआई 1 लाख 22 हजार 833 हेक्टेयर में आच्छादन हो चुका है, जो 28.95 परसेंट है। इसतरह महोदय लगातार सरकार का जो प्रयास चल रहा है और कृषि विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल अगुवाई में महोदय हमलोग उन कामों को करने का काम कर रहे हैं। हमलोग

चाहते हैं कि सिंचाई में लागत कैसे कम हो, जिसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार सभाओं में और कई अवसरों पर हमलोगों को बताने का काम किया है और हम चाहते हैं महोदय कि जिस्तरह से मैं देख रहा हूँ कि खेतों में महोदय जिस तरह से बड़े पैमाने पर रासायनिक खादों का जो प्रभाव पड़ रहा है, वह काफी चिंता का विषय है महोदय और हम सबों के लिए काफी नुकसानदेह है। हमारी सरकार ने महोदय स्वायल हेल्थ कार्ड हमलोग वितरण कर रहे हैं और स्वायल हेल्थ कार्ड में महोदय जो 16 पोषक तत्व पाये जाते हैं, हम किसानों को बता रहे हैं कि 16 जो पोषक हमारे तत्व हैं, उन तत्वों में जिनकी कमी है, यदि उसके हिसाब से यदि हमारे राज्य के किसान उसका यदि उपयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा उसपर विश्वास जाकरके है कि आने वाले समय में हमारा खाद का खपत भी कमेगा, देश में महोदय पहले हरित कांति का शुरुआत पंजाब से हुआ था, इससे उत्पादन तो काफी बढ़ा, परन्तु रासायनिक खाद, कीटनाशक का अधिक प्रयोग किये जाने के कारण वहाँ की मिट्टी बहुत ही खराब हो चुकी है, साथ ही मानव जीवन पर भी काफी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मिट्टी में ऐसे बहुत से पोषक तत्व पाये जाते हैं, 17 जो मुख्य पोषक तत्व जो हैं जिनकी आवश्यकता पौधों में सबसे ज्यादा होती है जैसे नाईट्रोजन, फासफोरस, पोटास, कैलशियम, मैग्नेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कौपर, मैगजीन, कार्बन, हाईड्रोजन, निजिल, मालिन, ऑक्सीजन आदि यानि महोदय यदि स्वायल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हम किसान भाईयों को बता रहे हैं कि आपके खेतों में किन तत्वों की कमी है, वास्तव में यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो खेती में लागत कमेगा। दूसरा महोदय नुकसान क्या हो रहा है रासायनिक खाद से, हमारा जो ग्राउन्ड वाटर है उसको पोलुटेड करने का काम हो रहा है महोदय, फसलों में आज खाद का जो उपयोग हो रहा है, उसको हमलोग आज खा रहे हैं, इससे आये दिन लोग प्रभावित हो रहे हैं और वायुमंडल जो हमारा है, वह भी हमारा प्रभावित हो रहा है। इस्तरह महोदय लगातार हमलोगों का प्रयास है और हम किसान भाईयों के बीच हमलोगों ने किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक को समय-समय पर हमलोगों ने इस बात का हिदायत दिया है और कहा है कि जब भी आप स्वायल हेल्थ कार्ड बॉटने जाते हैं, तो बैठक करके अवार्ड भी चाहिए, इसलिए महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमलोगों ने जो किसान हमारे गाँव से चलकर ब्लॉक में आते थे, किसान कहते थे कि हमें तो 15 किलोमीटर से आना पड़ता है, 20 किलोमीटर से आना पड़ता है, जिससे हमलोगों को काफी दिक्कत होती है और पैसा भी खर्च होता है और यहाँ आकर पता चलता है कि सलाहकार फिल्ड में गये हुए हैं, समन्वयक फिल्ड में गये हुए हैं, तो इसपर हमलोगों ने एक बड़ा फैसला लिया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसे पारित किया और हमने पहली बार बिहार में जा करके हमने किसानों को कहा कि अब आपको

प्रखंडों में नहीं आना पड़ेगा और पहली बार हमारी सरकार ने महोदय, हमलोगों ने 8405 पंचायतों में हमने फैसला लिया, बीच में चुनाव महोदय आ गया था, चुनाव से पहले 1485 पंचायतों में जहाँ हमारा पंचायत सरकार भवन है, वह सरकारी भवन है, हमने वहाँ पर कहा है सलाहकार वहीं बैठेंगे, समन्वयक वहीं पर बैठेंगे, अब किसानों को ब्लॉकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिला में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हो रहा है। हमने तय किया है महोदय और जो शेष बच रहा है, हम चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के 8405 पंचायतों में हमने कहा है कि किराये का मकान लेकर खोलिये, सलाहकार वहाँ बैठेगा, समन्वयक वहाँ बैठेगा, अब किसानों को लंबा दूरी तय नहीं करना पड़ेगा। महोदय, हमने हाल के दिनों में किसान चौपाल लगाने का काम किया है। किसान चौपाल लगाने का महोदय हमलोगों का मकसद यह था, जब हमें मंत्री बनने का मौका मिला और हमें कृषि विभाग मिला, तो हमें लगा कि यह तो किसानों का विभाग है, पटना में एयरकंडीशन में बैठने से तो पता लगेगा नहीं, जब तक गाँव में नहीं जायेंगे तो हमने अधिकारियों से सलाह किया और हमने कहा कि गाँवों में चलना चाहिए और मैं रब्बी के पहले और खरीफ के पहले हमलोगों ने किसान चौपाल लगाकर राज्य के 8405 पंचायतों में, कई माननीय सदस्य बता रहे थे, चौपाल में जाने का उन्हें मौका मिला था और वहाँ जाने से फायदा यह हुआ कि वहाँ पर राज्य सरकार की योजनाओं को बताने का काम किया गया, हम देखते थे कि बहुत से किसानों को मालूम ही नहीं होता है कि सरकार की क्या योजनाएँ चल रही हैं, तो महोदय हमने चौपाल के माध्यम से केन्द्र सरकार की योजनाएँ, बिहार सरकार की योजनाएँ और किसानों से हमने राय भी लिया महोदय, किसान ने घोरपरास की समस्या बताया, किसान ने सिंचाई की समस्या बताया, ये सारी समस्याएँ जो आयी, इसको लेकर हमने जिला में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कृषि रोडमैप का टास्कफोर्स कमिटी बना हुआ है और उस टास्कफोर्स कमिटी में 12 विभागों के लोग रहते हैं, हमने आदेश दिया विभाग को कि सारा जो अनुशंसा आया है, सुझाव जो आया है, यह सारा का सारा सुझाव आप सीधे जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराइये ताकि हर मंगलवार को जो कृषि रोडमैप की बैठक होती है, टास्कफोर्स की होती है, उस बैठक में निश्चित तौर पर उसकी चर्चा होगी और मुझे खुशी हो रहा है यह बताते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सरकार के 12 विभाग इसमें हैं और 12 विभागों को मिला करके और महामहिम राष्ट्रपति महोदय बिहार में आये थे और मुझे बताते हुए यह खुशी हो रही है कि 12 विभागों को मिला करके एक लाख 54 हजार 635 करोड़ की राशि से तीसरा कृषि रोडमैप लागू किया गया है। पहला कृषि रोडमैप 2008 में लागू किया गया था, दूसरा कृषि रोडमैप 2012 में लागू किया गया था और तीसरा 2017 में हमलोगों ने लागू करने का काम किया, इसके महोदय अच्छे परिणाम आये हैं और हमारी सरकार ने पहला

कृषि रोडमैप से परिणाम आया कि हमारा उत्पादन बढ़ा, तो महोदय इससे काफी फायदे हुए और पहली बार बिहार को 2012 में चावल का सर्वाधिक रिकार्ड उत्पादन के क्षेत्र में हम आगे रहे, उसीतरह से 2013 में गेहूं के क्षेत्र में भी हम आगे रहे और 2016 में मक्का के क्षेत्र में रिकार्ड उत्पादन करने को ले करके राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने का सम्मान मिला, जिसका श्रेय हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, इनके पहल पर, इनके प्रयास पर, यह जो काम हुआ, उसके अच्छे परिणाम आये और महोदय मुझे खुशी है कि आज हम सबों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर और हमारे उर्जा मंत्री जी ने जो प्रयास किया है, पहले हमलोग डीजल का अनुदान देते थे, अब डीजल अनुदान समाप्त होने जा रहा है, अब सभी खेतों में माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में उर्जा मंत्री जी के द्वारा हर खेतों में सिंचाई के लिए कृषि फीडर के माध्यम से बिजली आपूर्ति कराने का तय किया गया है, इसके लिए महोदय में बिहार के किसानों के तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उर्जा मंत्री जी को और माननीय उप-मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि आपने जो पहल किया है, इसका परिणाम जल्द ही आने वाला है। महोदय हम कहना चाहते हैं कि किसतरह महोदय हमलोगों ने एक-एक विषय पर, हमलोगों ने किसान पाठशाला पर भी काम किया है और अब समय हो रहा है, हम बस कनकलूड करते हैं और हम चाहेंगे महोदय, वैसे तो विषय बहुत सारा है, एक विषय हमारे साथी ने कहा, माननीय विधायक निषाद साहब ने कहा और उनकी चिंता थी जल कर के संबंध में, कि अभी जो बंदोवस्ती हो रही है, उनका सात साल पूरा हो गया है और हमें शिकायत मिली है कि 100 परसेंट और 200 परसेंट बढ़ा दिया गया है, तो हमने महोदय पिछले सप्ताह में ही डायरेक्टर को कहा और सारा रिपोर्ट पटना मँगवा रहे हैं और समीक्षा हम कर रहे हैं कि जो जलकर का हमारा एक्ट है, एक्ट के हिसाब से जितना लगना चाहिए, यदि कहीं कमी होगी तो निश्चित तौर पर हम मछुआरा भाईयों को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसकी पूरी समीक्षा करने के बाद सही तरीके से इसे लागू किया जायेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में महोदय एक्ट बना था, नियमावली नहीं बनी थी, हम कल ही बैठक बुलाये थे और सारा मछुआरा भाई आये थे और हम सब मिलकर तय किया है कि आप अपना सुझाव दीजिये और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जल्द ही आपके लिए एक अच्छा नियमावली बने ताकि उसका लाभ आपको मिले। महोदय, हम कहना चाहते हैं, हमलोगों ने जलवायु परिवर्तन को देखते हुए अभी राज्य में

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जलवायु परिवर्तन के साथ घड़ी को भी देखिये।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री: जी सर। महोदय, हम कहना केवल चाहते हैं कि बदलते परिवेश में हम कहना चाहते हैं कि कुल मिलाकर यह मौसम जो बदल रहा है, तो हमलोगों ने क्लाइमेट स्मार्ट गाँव को चुना है, राज्य के पायलेट प्रोजेक्ट में, राज्य के 8 जिलों में लगभग 100

गाँवों में 10 हजार किसानों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कम पानी में या ज्यादा पानी में कैसे खेती करेंगे, उसकी भी तैयारी हमारी है। अब महोदय, समय समाप्त हो रहा है, हम चाहते हैं कैसे तो बहुत सारा विषय है और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार के किसान आज बहुत ही चिंतित हैं, वर्षा की कमी धान की खेती के सामने एक गंभीर चुनौती बन गयी है, हम परिस्थितियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं, किसानों के हित में जो भी आवश्यक होगा, राज्य सरकार वैसा निर्णय यथासंभव लेगी।

क्रमशः

टर्न-26/सत्येन्द्र/ 3-7-19

श्री प्रेम कुमार,मंत्री(क्रमशः): मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ, किसान के हित में जो भी उनका सुझाव है वह निश्चित रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार एक-एक सुझाव पर विचार कर किसानों के हित में निर्णय लेने का काम करेगी और महोदय महाकवि घाघ ने भी यह कहा है कि-

सबि चिन्ता को छाँडि कै, करि प्रभु में विश्वास ।
वाकै थापै, सब थपै, बिन थापे हो नाश ॥

अर्थात् सब चिन्ताओं को छोड़कर भगवान में विश्वास करना चाहिए। ईश्वर में निष्ठा रखने एवं तदनुसार कार्य करने से सब कार्य सिद्ध हो जाता है, बिना उसके सर्वनाश होता है इसलिए हमलोग पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य के पथ पर अग्रसर हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और सफलता मिलेगा। अब मैं माननीय सदस्यगण और वित्तीय वर्ष..

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जो सरकार के द्वारा 13 तारीख को माननीय विधायकों के साथ इतना बड़ा विमर्श का कार्यक्रम रखा गया है सूखे के परिप्रेक्ष्य में, यहां किसानों की जो समस्या है या भूमि जल स्तर के संबंध में उसके बारे में सदस्यों से अनुरोध कर दीजिये।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री: हम सदन से आग्रह करेंगे और बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो चिन्ता है इस विषय को लेकर, मौसम बदल रहा है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वर्षा कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, इस संकट से पूरा देश दुनिया, बिहार गुजर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 तारीख को तय किया है इस पर कि एक लम्बा विचार हो और उसमें सबकी राय आये ताकि आने वाले चुनौतियों से निपटने के लिए हम सब तैयार रहें। आने वाले समय में सुखाड़ की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो हम आने वाले समय के लिए भी सचेत रहेंगे तो निश्चित तौर पर सबों की जो राय आयेगी, सभी विभागों की राय आयेगी, उस राय को मिलाकर...

अध्यक्ष: यह सेन्ट्रल हॉल में होगा..

श्री प्रेम कुमार,मंत्री: हां, यह सेन्ट्रल हॉल में होगा, सारी व्यवस्था रहेगी आपके लिए..

अध्यक्षः और तबतक चलेगा जबतक राय समाप्त नहीं हो जाय।

श्री प्रेम कुमार, मंत्रीः जी, अध्यक्ष महोदय का निर्देश भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हम सभी को आदेश दिया है तो निश्चित तौर पर महोदय, आज वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कृषि विभाग का जो बजट मांग है उसको पारित करने का अनुरोध करता हूँ और जो साथी कटौती का प्रस्ताव दिये हैं, वे कृपया वापस लेने का काम करें।

अध्यक्षः सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

“इस शीर्षक की मांग 10/- (दस) रु० से घटायी जाय।”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

“कृषि विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 29,58,77,32,000/- (उनतीस अरब, अनठावन करोड़, सतहत्तर लाख, बत्तीस हजार) रु० से अनधिक राशि प्रदान की जाय।”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग स्वीकृत हुई।

माननीय सदस्य, आज दिनांक 3 जुलाई, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 29 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सभा की सहमति हुई।)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार दिनांक- 4 जुलाई, 2019 को 11 बजे पूर्वाहन तक के लिए स्थगित की जाती है।